

इसे वेबसाइट www.govtppressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 24, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वचन आवोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं
(2) सार्विकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-11-90-2014-सूअप्र-एक-9.—राज्य शासन, एतदद्वारा, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, श्री के. डी. खान, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 19 जनवरी 2018 तक, (25 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृति के साथ दिनांक 27 दिसम्बर 2017 से 21 जनवरी 2018 तक शारजाह (यू. ए.ई.) विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दी जाती है :—

- विदेश में रहकर धनोपार्जन नहीं करेंगे।
- विदेश जाकर अवकाश में बृद्धि नहीं करेंगे।
- शासकीय सेवा नियमों का पूर्ण पालन करेंगे।

4. विदेश यात्रा हेतु राज्य शासन द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

5. विदेश में बीमार पड़ने पर इलाज स्वयं के व्यय पर करना पड़ेगा। राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार की चिकित्सा पूर्ति नहीं की जायेगी।

6. विदेश में किसी नौकरी/व्यवसाय/साक्षात्कार आदि में भाग नहीं लेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-857-आयएएस-लीब-5-एक-८-(1) सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी., आयएएस., कलेक्टर, जिला पन्ना को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2017 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2017 से 14 मई 2018 तक, एक सौ अस्सी दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है।

6217

(2) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. की अवकाश अवधि में डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला पन्ना का प्रभार सौंपा जाता है.

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव “कार्मिक”.**

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्र. ई-5-483-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2017 तक, एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनके एक्स इंडिया अर्जित अवकाश से लौटने की अवधि तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, आनंद विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”.**

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2017

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3783.—(मेरिट क्र. 01), राज्य शासन, सुश्री सोनाक्षी चतुर्वेदी पिता श्री शैलेष चतुर्वेदी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 9 मार्च 1992 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3784.—(मेरिट क्र. 02), राज्य शासन श्री अरुण कुमार गोयल पिता श्री शिवकुमार गोयल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त 1991 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3781.—(मेरिट क्र. 07), राज्य शासन सुश्री अंजलि अग्रवाल पिता श्री महेन्द्र अग्रवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 8 अक्टूबर 1990 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3772.—(मेरिट क्र. 08), राज्य शासन सुश्री ऋचा गोयल पिता श्री द्वारिका प्रसाद गोयल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 30 दिसम्बर 1991 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3810.—(मेरिट क्र. 10), राज्य शासन श्री सुनील कुमार खरे पिता श्री प्रेमचन्द्र खरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 10 जून 1984 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3815.—(मेरिट क्र. 13), राज्य शासन श्री अनुराग खरे पिता श्री सुरेन्द्र कुमार खरे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 8 सितम्बर 1991 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3785.—(मेरिट क्र. 14), राज्य शासन श्री पुष्णेन्द्र सिंह पिता श्री उदय नारायण सिंह को मध्यप्रदेश

न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अध्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 13 जुलाई 1989 है।

फा. क्र. ३(ए) २०१६-इकीस-ब(एक) ३७९१।—(मेरिट क्र. १५), राज्य शासन सुश्री अंकिता गुप्ता पिता श्री मनोज कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-२ (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये २७७००-७७०-३३०९०-९२०-४०४५०-१०८०-४४७७० में एतदद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 21 जुलाई 1992 है।

फा. क्र. ३(ए) २०१६-इक्कीस-ब(एक) ३७७६।—(मेरिट क्र. १८), राज्य शासन श्री अनुराग शर्मा पिता श्री चन्द्र देव शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-२ (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये २७७००-७७०-३३०९०-९२०-४०४५०-१०८०-४४७७० में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अध्यर्थी का गृह जिला दमोह (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 24 मई 1991 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3775.—(मेरिट क्र. 19), राज्य शासन सुश्री सोम्या साहू पिता डॉ रमेश साहू को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतदद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 23 फरवरी 1993 है।

फा. क्र. ३(ए)२०१६-इक्कीस-ब(एक) ३७९८.—(मेरिट क्र. २१), राज्य शासन सुश्री गार्डी शर्मा पिता श्री उमेश शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग २ (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये २७७००-७७०-३३०९०-९२०-४०५०-१०८०-४४७७० में एतदद्वारा नियुक्त करता है।

अध्यर्थी का गृह जिला धार (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 16 अप्रैल 1994 है.

फा. क्र. 3(ए) 2016-इकाई-ब(एक) 3766.—(मेरिट क्र. 24),
राज्य शासन श्रीमती शेफाली सिंह पति श्री शास्वत राज सिंह को
मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के
पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी
रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान
रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा
नियुक्त करता है।

अध्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 5 फरवरी 1992 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3805.—(मेरिट क्र. 27), राज्य शासन सुश्री ज्योति चतुर्वेदी पिता श्री जे. एम. चतुर्वेदी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अध्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 नवंबर 1989 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3769.—(मेरिट क्र. 33),
राज्य शासन श्री पंकज सविता पिता श्री रामविलास सविता को
मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के
पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी
रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान
रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा
नियुक्त करता है।

अध्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 4 दिसम्बर 1993 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इककीस-ब(एक) 3806.—(मेरिट क्र. 35), राज्य शासन श्री भूपेन्द्र तिवारी पिता श्री लालता प्रसाद तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अध्यर्थी का गृह जिला गुना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 20 जून 1991 है.

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3788.—(मेरिट क्र. 37), राज्य शासन सुश्री रीतिका शर्मा पिता श्री बाबूलाल शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सामगर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 6 दिसम्बर 1986 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3799.—(मेरिट क्र. 41), राज्य शासन श्री सोनू जैन पिता श्री अशोक जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 27 फरवरी 1982 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3768.—(मेरिट क्र. 39), राज्य शासन सुश्री सृष्टि भारती पिता श्री मोहन भारती को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला लुधियाना (पंजाब) है। उसकी जन्मतिथि 5 जुलाई 1993 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3797.—(मेरिट क्र. 43), राज्य शासन श्री शुभम मोदी पिता श्री सतीष मोदी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सामगर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 29 अगस्त 1988 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3800.—(मेरिट क्र. 44), राज्य शासन श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी पिता श्री ब्रजबल्लभ प्रसाद तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग 2

(प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 22 जुलाई 1982 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3767.—(मेरिट क्र. 47), राज्य शासन सुश्री आयुषी गुप्ता पिता श्री उमेश कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1993 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3862.—(मेरिट क्र. 59), राज्य शासन श्री रामअचल पाल पिता श्री जगन्नाथ पाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 12 जून 1982 है।

फा. क्र. 3(ए)2016-इक्कीस-ब(एक) 3835.—(मेरिट क्र. 84), राज्य शासन सुश्री नेहा परस्ते पिता श्री एस. सी. परस्ते को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 4 सितम्बर 1988 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सर्वसेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2017

फा. क्र. 4698-2017-इक्कीस ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 1 नवम्बर 2017 को

मान्य करते हुए श्रीमती अंकिता राज, बाहरवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल (मध्यप्रदेश) का त्यागपत्र दिनांक 11 नवम्बर 2017 को अपराह्न से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2017

फ. क्र. 1(सी)4543, 4706-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला पन्ना के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री जितेन्द्र सिंह बैस, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी/2654/99, दिनांक 12-9-1999) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री जितेन्द्र सिंह बैस, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 17-3-1970 के आधार पर उनके द्वारा

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री जितेन्द्र सिंह बैस, अधिवक्ता, पन्ना को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-3-72-2017-अठाह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4881/688/उपां/टी सी/रीवा/2017 दिनांक 7 अक्टूबर 2017 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरै निम्नानुसार हैः—

अनुसूची					
क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उर्हट	खसरा क्रमांक 186 में से	0.344 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
2	रीवा खास (घोघर)	नजूल प्लॉट क्रमांक 1086, 1087, 1088 में से।	0.2134 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	वाणिज्यिक सामान्य
	रीवा खास (घोघर)	नजूल प्लॉट क्रमांक 1201/1, 1202/1 में से।	0.0318 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	वाणिज्यिक सामान्य
	रीवा खास (घोघर)	नजूल प्लॉट क्रमांक 1213, 1215/1 में से।	0.0448 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	वाणिज्यिक सामान्य
कुल रकवा			0.634 हेक्टेयर		

उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव,

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्र. 14991-स.अ.रा.2017.—मैं, अभ्य वर्मा (आई. ए. एस.) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर जिले में पदस्थ उपजिलाध्यक्ष/संयुक्त जिलाध्यक्षों के मध्य पूर्व में जारी किए गए समस्त कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ :—

(1) श्री अभ्य वर्मा, (आई. ए. एस.) जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर

(अ) दांडिक.—

1. जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर की समस्त शक्तियों का प्रयोग.
2. सम्पूर्ण जिले के कार्यपालिक दण्डाधिकारियों के कार्य पर नियंत्रण एवं निरीक्षण.

(ब) राजस्व.—

1. म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत धारा 107 को छोड़कर शेष मूल प्रकरणों का निपटारा.
2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 37 एवं उसके अंतर्गत बने नियंत्रण निर्देशों के अंतर्गत समस्त मूल प्रकरणों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अपील प्रकरणों का निराकरण.
3. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(1) अंतर्गत भूमि हस्तांतरण एवं 4(3) की कंडिका 20(1) के अंतर्गत अदला बदली प्रकरणों का निपटारा.
4. विभिन्न अधिनियमों एवं कार्यपालिक निर्देशों के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का आवश्यकतानुसार निपटारा.
5. विभागीय जाँच की अपीलों का निराकरण.
6. प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण में से 10वां क्रम का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया जावेगा.

(स) विविध.—

1. नरसिंहपुर जिले में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय.
2. आबकारी
3. सामान्य निर्वाचन/लोकसभा/विधान सभा एवं स्थानीय निर्वाचन.

4. नजूल
5. खनिज शाखा
6. जिला कोषालय
7. लायसेंस शाखा
8. शहरी विकास अभिकरण
9. पंचायत शाखा, जिसमें कलेक्टर के आदेश की आवश्यकता हो.
10. जिला पंजीयक
11. जिला योजना समिति
12. भू-अर्जन नस्तियां अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत होंगी.
13. प्रस्तुतकार कलेक्टर
14. जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति
15. सांख्य लिपिक
16. भू-अभिलेख शाखा/भू-प्रबंधन
17. जिले में पदस्थ अधीनस्थ डिप्टी कलेक्टर्स/तहसीलदार/नायब तहसीलदार के समस्त अवकाश, सामान्य भविष्य निधि के आंशिक विकर्षण/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति.
18. नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण.
19. जो दायित्व अन्य अधिकारियों को न सौंपे गये हों।

(2) श्री जे. समीर लकरा, अपर कलेक्टर एवं अपर दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर

(क) दांडिक.—

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर
2. जिला सत्कार अधिकारी, नरसिंहपुर
3. जिला दण्डाधिकारी, की अनुपस्थिति में उनके निर्देशानुसार कानून व्यवस्था बनाये रखना और आगन्तुकों/आवेदकों से मिलना.

(ख) राजस्व.—

1. म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत धारा 107 के प्रकरणों का निपटारा.
2. म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत अपीलों तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.

3. निपणन संस्थाओं की अपीलों का निराकरण
 4. पट्टों की शर्त उल्लंघन, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे की भूमि के क्रय-विक्रय के प्रकरणों का निराकरण.
 5. शासकीय भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने की अनुमति के प्रकरणों का निराकरण.
 6. रोजगार सहायक की अपीलों का निराकरण
 7. म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 की अंतर्गत भूमि के मद परिवर्तन के प्रकरणों का निराकरण.
 8. अवैध कालोनियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं उनके नियमितिकरण के प्रकरणों का निराकरण.
 9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं द्वारा प्रस्तुत अपीलों का निराकरण एवं इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाँच व निराकरण.
 10. म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.
 11. राज्य शासन के विभिन्न विभागों के भूमि आवंटन के प्रकरणों में कार्यवाही एवं भूमि आवंटन के आदेश जारी करना.
 12. केन्द्र शासन/निजी व्यक्तियों/कंपनियों/संस्थाओं को शासकीय भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में कार्यवाही करना एवं प्रकरण शासन को आदेशार्थ भेजना एवं अन्य कार्यवाहियां.
 13. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली अपीलों का निपटारा.
 14. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपीलों का निराकरण.
 15. विशेष विवाह अधिकारी एवं रजिस्ट्रार म. प्र. हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम 1984 जिला नरसिंहपुर.
 16. आर. बी. सी. चार-1 की कंडिका 18 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदनों का निराकरण.
 17. मंडी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.
 18. सीलिंग प्रकरणों तथा सीलिंग के तहत अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपीलों का निराकरण.
 19. नजूल स्थायी/अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण के प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण.
 20. शासकीय कर्मचारियों के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र.
 21. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि स्वीकृति.
 22. ब्रिस्क योजना
 23. जिला जनगणना अधिकारी/जनगणना से संबंधित सभी गार्ड फाइलों का संधारण एवं नियमानुसार क्रियान्वयन.
 24. ऋण भार मुक्ति प्रमाण-पत्र
 25. The Reconstruction of Financoal Assets and Enforcement of Security Interest Ac. 2002 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण.
 26. वरिष्ठ शाखा के अंतर्गत म. प्र. राज्य बीमारी एवं जिला राज्य बीमारी सहायता निधि के निर्धारित आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर बाबत्.
 27. किराया निर्धारण प्रमाण-पत्र एम. पी. एफ. सी. भाग-2 नियम 60(11).
 28. प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य
 29. जिला उद्योग के कार्यों वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी.
 30. पल्स पोलियो के नोडल अधिकारी
 31. चरित्र सत्यापन संबंधी कार्य.
- (ग) अन्य—**
1. राहत
 2. अल्प बचत अधिकर्ताओं की अंतिम नियुक्ति का कार्य
 3. तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा देयक एवं चिकित्सा देयकों का अंतिम निराकरण का कार्य.
 4. तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संपूर्ण अवकाश का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना.
 5. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के लिये अंतिम रूप से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना.
 6. विभिन्न सिविल एवं दाण्डिक न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेशों का पालन करना. आय की जानकारी भेजना व अन्य आदेशों का समय-सीमा में पालन प्रतिवेदन भेजना.
 7. वित्त/स्थापना शाखा की नस्तियां (अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत होंगी).
 8. सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी.
 9. नोडल अधिकारी सी. एम. हेल्पलाइन (कलेक्टर स्तर की समस्त सी. एम. हेल्प लाइन की शिकायतों का निराकरण).
 10. सामान्य निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन (पंचायत नगरीय निकाय मण्डी).
 11. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे अन्य कार्य.

वित्तीय कार्य-नियमानुसार अंतिम निराकरण कर सकेंगे.—

1. उप जिलाध्यक्षों एवं तहसीलदारों के यात्रा एवं चिकित्सा (औषधि) देयक.
 2. सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि योजना 1974 समूह बीमा योजना 1985 एवं सावधि सह बीमा योजना 2003 की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय भविष्य निधि का अंतिम भुगतान.
 3. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक स्तर/भू अभिलेख एवं खाद्य/महिला बाल विकास शाखा के सामान्य भविष्य निधि यात्रा देयक एवं चिकित्सा/औषधि देयकों की स्वीकृति.
 4. जिला स्तर के कार्यालय सहायक ग्रेड दो, तीन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों को स्वीकृत करना.
 5. शासन नियमों की सीमा तक रुपये 15000/- (अंकन पंद्रह हजार रुपये) के टेलीफोन/पी.ओ.एल. व्यय स्वीकृत करना.
 6. शासकीय वाहनों की मरम्मत के कार्य में रुपये 15000/- (अंकन पंद्रह हजार रुपये) तक की स्वीकृति.
 7. शासकीय वाहनों के टायर ट्यूब एवं बैटरी क्रय करने संबंधी संपूर्ण अधिकारी.
 8. कार्यालयीन फर्नीचर मुद्रण एवं लेखन सामग्री के लिये रुपया 5000/- (अंकन पांच हजार रुपये) तक की स्वीकृति के अधिकारी.
 9. अनुपयोगी स्टाक जो रुपये 5000/- (अंकन पांच हजार रुपये) तक की कीमत का अपलेखन का अधिकार.
 10. चोरी हुये 2000/- (अंकन दो हजार रुपये) तक की कीमत की सामग्री का अपलेखन का अधिकार.
 11. किराये पर लिये गये फर्नीचर पर होने वाले संपूर्ण व्यय को नियमानुसार स्वीकृति के अधिकार। उपरोक्त स्वीकृतियां शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों के पालन करते हुये दी जावे।
 12. दूरभाष विद्युत् देयक एवं अन्य मामलों में रुपये 50000/- (अंकन पचास हजार रुपये) तक या अधिक तक की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपर कलेक्टर को दिये जाते हैं।
- (घ) वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत अपर कलेक्टर को उनके प्रभार वाली शाखाओं में 20000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार सौंपे जाते हैं।
1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय व अन्य परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देना।
 2. जिला नाजरात की वे नस्तियां जिनमें जिला दण्डाधिकारी का आदेश आवश्यक है, को छोड़कर शेष का निराकरण।
 3. विभागीय जांच अधिकारी
 4. सभी शाखाओं से भेजे जाने वाले विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भेजना जिनमें कलेक्टर के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।
 5. बैंक वसूली/खनिज वसूली/राजस्व वसूली एवं विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त होने वाली वसूली वारंट तथा अन्य वसूली के प्रकरणों का निराकरण एवं समीक्षा।
 6. कार्यालय में प्राप्त डाक कलेक्टर के अवलोकन पश्चात् स्वयं अवलोकन उपरांत डाक वितरण के प्रभारी।
 7. सांख्य लिपिक शाखा की चरित्र सत्यापन संबंधी नस्तियाँ का अंतिम निराकरण।
 8. राजस्व विभाग, कलेक्ट्रेट की सी. एम. हेल्पलाईन शिकायतों का निराकरण कराना।
 9. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निपटारा।
- (इ) निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी
1. जिला जेल विभाग/बोस्टल जेल विभाग नरसिंहपुर
 2. वन विभाग नरसिंहपुर
 3. श्रम विभाग नरसिंहपुर
 4. जिला सैनिक कल्याण विभाग नरसिंहपुर
 5. अंत्यावसायी विभाग नरसिंहपुर
 6. लोक सेवा प्रबंधन नरसिंहपुर
 7. परिवहन विभाग नरसिंहपुर
 8. नगर सेना
 9. जाति-प्रमाण-पत्र अभियान
 10. स्वास्थ्य विभाग
 11. परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभियान
 12. आदिम जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जाति लघु परियोजना, आदिम जाति व पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम।
 13. जिला योजना समिति
 14. भू-अभिलेख/भू-प्रबंधन शाखा
 15. जिला पंजीयक

16. भू-अर्जन शाखा
- (3) श्री आर. पी. अहिरवार, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर।
(निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी)
1. कृषि विभाग
 2. सहकारिता विभाग
 3. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
 4. जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर
 5. उद्यानिकी विभाग
 6. पशुपालन विभाग
 7. मत्स्य विभाग
 8. सर्व शिक्षा अभियान
 9. खादी ग्रामोद्योग विभाग/हाथकरघा विभाग
 10. सामाजिक न्याय
 11. जिला पंचायत से संबंधित विकास गतिविधियां तथा ग्रामीण विकास से संबंधित।

विविध.—

1. शिक्षा मिशन/पढ़ना-बढ़ना/सर्व शिक्षा अभियान
2. समग्र स्वच्छता अभियान
3. जन समस्या निवारण शिविरों अन्त्योदय मेले, ग्रामोदय से भारत उदय, नर्मदा सेवा मिशन का आयोजन एवं समीक्षा।
4. 11 सूत्रीय कार्यक्रम/15सूत्रीय, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
5. परख कार्यक्रम
6. प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा।
7. अल्प संख्यक कल्याण
8. प्रभारी अधिकारी स्वरोजगार सेल तथा कौशल उन्नयन
9. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य।

(4) श्री राजेन्द्र राय, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, नरसिंहपुर।

(अ) दांडिक.—

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी नरसिंहपुर अनुविभाग
2. शस्त्र एवं विस्फोस्टक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग।

(ब) राजस्व.—

1. अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर अनुविभाग
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत् पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग।
4. भू-अर्जन अधिकारी नरसिंहपुर, अनुविभाग नरसिंहपुर एवं करेली एवं सक्षम अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रमांक 26 के एवं ख.
5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत नरसिंहपुर एवं करेली तहसील के प्रकरणों का निराकरण।

(स) विविध.—

1. निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी।
3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना।
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, नरसिंहपुर
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
6. जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर के समय समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी।
7. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा।
8. प्रभारी अधिकारी जिला भू-अर्जन अधिकारी एवं एन. टी. पी. सी. के भूमि अर्जन का कार्य।
9. अतिरिक्त जिला सत्कार अधिकारी।

(5) सुश्री रानी बंसल, सहायक कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, गाड़रवारा

(अ) दांडिक.—

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी गाड़रवारा, अनुविभाग
2. शस्त्र एवं विस्फोस्टक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग।

(ब) राजस्व.—

1. अनुविभागीय अधिकारी, गाड़रवारा अनुविभाग
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत् पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग।

4. भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा तहसील
5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत गाडरवारा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध.—

1. निष्कांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी.
3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी गाडरवारा
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी गाडरवारा
7. नजूल शाखा गाडरवारा
8. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(6) श्री महेश कुमार बमन्हा, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, तेन्दूखेड़ा

(अ) दांडिक.—

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी तेन्दूखेड़ा अनुविभाग
2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्व.—

1. अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा अनुविभाग
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत् पंजीयक लोक न्यास तेन्दूखेड़ा अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा, तहसील
5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत तेन्दूखेड़ा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध.—

1. निष्कांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी.
3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी तेन्दूखेड़ा

5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी तेन्दूखेड़ा।
7. सी. एम. हेल्प लाईन भू-अर्जन संबंधी
8. नजूल अधिकारी नरसिंहपुर/करेली एवं नजूल शाखा के प्रभारी
9. भू-अभिलेख एवं भू-प्रबंधन शाखा
10. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(7) श्री मो. शाहिद खान, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, गोटेगांव.

(अ) दांडिक.—

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोटेगांव अनुविभाग
2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्व.—

1. अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव अनुविभाग
2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत् पंजीयक लोक न्यास गोटेगांव अनुविभाग.
4. भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव तहसील
5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत गोटेगांव तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध.—

1. निष्कांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी.
3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना
4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, गोटेगांव
5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.
6. सत्कार अधिकारी गोटेगांव
7. नजूल शाखा गोटेगांव
8. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

- (8) श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी
1. प्रभारी अधिकारी लोक सेवा गारंटी केन्द्र तथा ई-गवर्नेंस
 2. म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत 1000/- तक की आवर्ती व्यय की स्वीकृति.
 3. शिकायत शाखा/समस्त प्रकार की शिकायतें/स्टेनो शाखा
 4. टी. एल. शाखा एवं कलेक्टर, मॉनीटरिंग पेपर प्रभारी/विभिन्न आवोगों से प्राप्त आवेदन पत्रों/माननीय मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, अन्य मंत्रीगणों, विधायक गणों/विष्णु कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही.
 5. शस्त्र लायर्सेंस शाखा
 6. टी. एल. बैठक/जनसुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी
 7. सी. एम. हेल्प लाईन (सामान्य प्रशासन विभाग)
 8. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.
 9. स्थापना एवं वित्त शाखा
 10. जल प्रदाय तथा विद्युत् देयकों की स्वीकृति (अपर कलेक्टर के अनुमोदनार्थ पश्चात्) म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 1000 के अंतर्गत 1000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति.
 11. समस्त शाखाओं के बजट सीमा में रुपये 10000/- (अंकन दस हजार रुपये) तक वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिये जाते हैं।
 12. वरिष्ठ लिपिक शाखा 1 एवं 2
 13. मान. मुख्यमंत्री की घोषणाओं की नस्ती
 14. कालोनी सेल
 15. नाजरात शाखा
 16. खनिज/खाद्य शाखा/आदिम जाति कल्याण/आदिवासी परियोजना के आहरण/संवितरण अधिकारी।
 17. प्रस्तुतकार कलेक्टर शाखा
 18. पुरातत्व शाखा
- (9) सुश्री सोनम जैन, डिप्टी कलेक्टर (परि.) एवं प्रभारी अधिकारी
1. सी. एम. हेल्प लाईन (राजस्व विभाग, सीमांकन, नजूल भूमि शाखा, निर्वाचन शाखा, भू-अभिलेख शाखा, प्राकृतिक आपदा, कलेक्ट्रेट शाखा, धर्मस्व शाखा).
 2. जिला योजना एवं सांख्यिकी/प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा
 3. स्टेशनरी/लायब्रेरी/आवक शाखा/जावक शाखा/टाइपिंग शाखा
 4. राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार शाखा
 5. सांख्य लिपिक शाखा
 6. सिविल सूट शाखा
 7. प्रभारी अधिकारी अल्प बचत
 8. राहत एवं धर्मस्व शाखा
9. राजस्व अंकपाल शाखा 1 एवं 2
 10. प्रस्तुतकार अपर कलेक्टर शाखा
 11. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (सामान्य/राजस्व) सूचना का अधिकार के प्रभारी अधिकारी।
 12. प्रधान प्रतिलिपिकार शाखा
 13. खाद्य शाखा
 14. आदिम जाति कल्याण शाखा
 15. जनसुनवाई
 16. उत्कृष्ट विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय डाइट की नस्तियां भी परीक्षण उपरांत कलेक्टर को प्रस्तुत की जाये।
 17. विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना एवं संबंधित उच्च कार्यालयों को प्रेषित किया जाना।
 18. कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा।
- नोट.—विविध/पूर्व में जारी सी. एम. हेल्पलाईन संबंधी शिकायत निराकरण संबंधी आदेश यथावत् रहेगा। अपर कलेक्टर इसकी प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। जिला प्रबंधक लोक सेवा इस कार्य हेतु सहयोगी रहेंगे।
2. सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग/शाखा अंतर्गत पी. एम. पी. जी. आर., सी. एम. पी. जी. आर. व विधिक प्रकार की शिकायतों का निराकरण करेंगे।
- कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार नियुक्त अधिकारियों के तालिका अनुसार लिंक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :—
- ### लिंक अधिकारी
- | क्र. अधिकारी की अनुस्थिति में | लिंक अधिकारी |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. श्री आर. पी. अहिरवार, | श्री जे. समीर लकरा, |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, | अपर कलेक्टर एवं |
| जिला पंचायत. | अपर जिला दण्डाधिकारी। |
| 2. श्री जे. समीर लकरा, | श्री आर. पी. अहिरवार, |
| अपर कलेक्टर एवं | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, |
| अपर जिला दण्डाधिकारी। | जिला पंचायत। |
| 3. श्रीमती वंदना जाट, | सुश्री सोनम जैन, |
| डिप्टी कलेक्टर एवं | डिप्टी कलेक्टर (परि.) |
| प्रभारी अधिकारी। | एवं प्रभारी अधिकारी। |
| 4. सुश्री सोनम जैन, | श्रीमती वंदना जाट, |
| डिप्टी कलेक्टर (परि.) | डिप्टी कलेक्टर एवं |
| एवं प्रभारी अधिकारी। | प्रभारी अधिकारी। |
- आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।
- अभय वर्मा, कलेक्टर।

कार्यालय, कलेक्टर जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

क्र. 1045-नर्मदा सेल-2017

धार, दिनांक 21 जून 2017

// प्रारंभिक अधिसूचना //

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013))

चूंकी राज्य शासन को इस बात का सामाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में सरदार सरोवर परियोजना हेतु पुनर्बसाहट में भूमि आने के कारण ग्राम अमलाबाबड़ी तहसील कुक्षी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) के अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है:-

अनुसूची (1)

ग्राम - अमलाबाबड़ी

तहसील कुक्षी जिला धार

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	सरदार सरोवर परियोजना हेतु पुनर्बसाहट में भूमि आने के कारण ग्राम अमलाबाबड़ी तहसील कुक्षी जिला धार	-	0.442	0.442
	योग	-	0.442	0.442

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास रथल में भूमि आने के कारण ग्राम अमलाबाबड़ी तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे.)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	हरिगीर, दौलतगीर, महादेवगीर पिता भगवानगीर, सुशीलाबाई पति सोम्यापुरी जाति युसाई निवारी ग्राम एकलबारा भमि स्वामी लक्ष्मीबाई पिता भगवानगीर रामकुंवरबाई वेवा भगवानगीर जाति गुसाई, निवारी ग्राम निसरपुर भूमि स्वामी	8/1	-	1.179	1.179	-	0.442	0.442
			-	1.179	1.179	-	0.442	0.442

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
क्र. 3653-री-1-भू-अर्जन-2017. प्र-क्र- 11-अ-82-14-15.

मन्दसौर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

{धोषणा}

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची -2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू.अर्जन पूर्नवास और पूर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह धोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है।

अनुसूची - 1

- (1) भूमि का वर्णन :- (क) जिला - मन्दसौर
 (ख) तहसील - गरोठ
 (ग) ग्राम - बोलिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.143 है।

अनुसूची (2)

बोलिया से जैन दीवाकर (राजस्थान सीमा) तक पहुंच मार्ग

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रक्कड़ा	प्रभावित भूमि	
				सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5	6
1	रामेश्वर पिता रामनारायण पाटीदार निवासी बोलिया	560/2	0.425	0.000	0.120
2	प्रेमनारायण पिता सत्यनारायण कृष्णाबाई बेवा सत्यनारायण पाटीदार	560/1	0.425	0.112	0.000
3	शंकरलाल पिता रामलाल कुल्मी	500	0.862	0.012	0.000
4	भेरुलाल पिता गुलाब चमार	559/1	0.176	0.000	0.008
5	मोहनलाल व जगदीश प्रसाद पिता मांगीलाल ब्राह्मण	502	0.053	0.000	0.004
		556	0.405	0.024	0.000
		503	0.202	0.010	0.000
6	प्रेमनारायण पिता सत्यनारायण कृष्णाबाई बेवा सत्यनारायण पाटीदार	504	1.068	0.005	0.000
7	गिरधारी नन्दलाल कहैयालाल रामनिवास अशोक पिता केशरीलाल भंवरीबाई बेवा केशरीलाल सुतार	509	1.327	0.102	0.000

8	जगदीश पिता नारायण ब्राह्मण	554	0.971	0.010	0.000	
9	प्रभुलाल पिता मांगीलाल बागरी	519पै.	0.617	0.005	0.000	
		553/3	0.371	0.005	0.000	
10	जुझार पिता मांगीलाल बागरी	519पै.	0.197	0.009	0.000	
11	दोलीबाई पति जुझार बागरी	553/3पै.	0.370	0.009	0.000	
12	नारायण पिता बालाराम माली	553/2	0.742	0.008	0.000	
13	प्रकाशचन्द्र पिता रामकिशन तेली	553/1	0.742	0.008	0.000	
14	रामसिंह गोपालसिंह तुफानसिंह गुमानसिंह मोतीसिंह पिता बापुलाल सो. रा.	521	0.595	0.025	0.000	
15	वरदीबाई बेवा कहैयालाल कारुलाल रामगोपाल राजेन्द्र श्यामसुन्दर पिता कहैयालाल तेली	550	0.833	0.013	0.000	
16	कारुलाल पिता उकांर धापुबाई बेवा उकांर माली	522/1	0.850	0.012	0.000	
17	राजमल पिता मोहनलाल माली	522/2	0.500	0.000	0.004	
18	वरदीबाई बेवा कहैयालाल तेली	547	0.729	0.050	0.000	
19	मोहनलाल पिता काना माली	544	2.023	0.018	0.000	
20	मोहनलाल पिता काना कंकुबाई बेवा काना माली	535	0.109	0.008	0.000	
21	राजमल पिता मोहनलाल माली	536/3 536/2पै.	0.809 0.000	0.000	0.010	
22	के शरसिंह गोपालसिंह नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल सो. रा. निवासी दाताखेडा	536/1	2.084	0.280	0.000	
23	जगदीश पिता मोहनलाल माली	534 पै.	1.400	0.150	0.000	
24	लक्ष्मीनारायण अशोक कुमार नवल किशोर पिता मांगीलाल नाई	564 565 582 583	0.049 0.210 0.308 0.032	0.020 0.040 0.030 0.000	0.000 0.000 0.000 0.032	
	योग			19.484	0.965	0.178

2 सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :-

बोलिया जैन दिवाकर (राजस्थान सीमा) पहुंच मार्ग

3 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण :-

भू.अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है।

मुल ज्ञान 1-143 फूलपट्टा

क्र. 3657-री-1-भू-अर्जन-2017. प्र-क्र-06-अ-82-12-13.

{धौषणा}

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची -2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन पूर्वास और पूर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह धोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है।

अनुसूची - 1

(1) भूमि का वर्णन :- (क) जिला - मन्दसौर

(ख) तहसील - गरोठ

(ग) ग्राम - तहसील शामगढ़ ग्राम पालखंदा, सुरजनानया, सुराखेड़ी, विशन्या,
खेजडिया नारियाखुर्द, कोटडीअकखा, परासली दिवान
तहसील गरोठ की ग्राम बोलिया, फरन्याखेड़ी

(घ) लागभग क्षेत्रफल - 7.420 है।

अनुसूची - 2

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि		प्रभावित भूमि सिंचित असिंचित
			का रकबा	सिंचित	
1	2	3	4	5	6

ग्राम पालखंदा

1	राधुसिंह पिता कालु सिंह सौ.रा.निवासी पालखंदा ग्राम भुमि स्वामि	279	0.500	0.030	0.000
2	समद बाई बेवा नैन सिह सौ.रा.निवासी पालखंदा ग्राम भुमि स्वामि	280	0.650	0.050	0.000
3	इंदर सिंह पिता रामसिंह व भुली बाई बेवा राम सिंह सौ.रा.निवासी पालखंदा	283	0.600	0.050	0.000
		373	0.650	0.040	0.000
		374	0.750	0.040	0.000
		376	0.620	0.040	0.000
4	नैन सिह पिता देवी <u>सिंह</u> सौ.रा.निवासी विशनिया ग्राम भुमि स्वामि	281	4.100	0.100	0.000
		251	0.260	0.030	0.000
		269	0.250	0.030	0.000
		252	0.550	0.030	0.000
5	उमराव सिह पिता अंदर सिंह सौ.रा.निवासी विशनिया ग्राम भुमि स्वामि	284	0.800	0.100	0.000
6	बगदु कारु नारायण सजन उकार पिता उदा धुरी बाई बेवा उदा अमरा पिता पुरा बागरी सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	289	1.390	0.070	0.000
		301	0.300	0.050	0.000
		302	0.070	0.000	0.020

7	कान्हा पिता कालु बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	268	0.630	0.040	0.000
8	भगवान पिता अमरा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	290	0.750	0.050	0.000
9	गांगा पिता अमरा बगदु पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	291	1.490	0.040	0.000
10	मांगीलाल पिता अमरा बगदु पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	250	0.290	0.030	0.000
11	बगदु कारु नारायण सजन उकार पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	303	0.080	0.010	0.000
12	बगत बाई पति दयाराम चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	306	0.090	0.010	0.000
		329	0.470	0.000	0.030
13	रामा सजन रतन पिता घासीगंगा बाई बेवा धासी चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	307	0.100	0.040	0.000
14	अंदर बाई बेवा कांजी सौ. रा. नि. डुँगरखेडी तहसील शामगढ	245	0.100	0.000	0.020
15	तोफान सिंह पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	244	0.180	0.000	0.050
		143	0.800	0.000	0.100
16	कारी बाई पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	243	0.070	0.000	0.030
17	मोतीलाल पिता कालु सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	242	0.110	0.000	0.030
18	रामारतन पिता घासी चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	309	0.340	0.030	0.000
19	बगदी राम उकारलाल पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	325	0.230	0.020	0.000
		326	0.120	0.020	0.000
20	रतनलाल पिता घासी चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	327	0.240	0.030	0.000
21	रामलाल पिता नाथसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	175	0.220	0.000	0.010
		173	0.950	0.000	0.040
22	गंगाराम पिता राम सिंह सौ.रा निवासी ग्राम भुमि स्वामि	334	0.600	0.020	0.000
		337	0.330	0.020	0.000
23	कालु सिंह सुल्तान सिंह रघनाथ सिंह पुरसिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	172	0.660	0.040	0.000
24	चंदर सिंह पिता बापुलाल सौ. रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	338	0.100	0.010	0.000
		341	0.310	0.030	0.000
25	कालुसिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	171/2	0.220	0.010	0.000
26	सुल्तान सिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	170	0.520	0.020	0.000
27	बापुलाल पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	169	0.530	0.030	0.000
		368	0.410	0.010	0.000
		155	0.310	0.040	0.000
28	पुरा पिता रत्ना चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	158	0.380	0.030	0.000
		156	0.070	0.020	0.000
		146	0.310	0.020	0.000
		145	0.320	0.020	0.000
29	दाणी सिंह पिता रघनाथ सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	377	0.800	0.050	0.000
	कुल योग			1.350	0.330

ग्राम सुरजनानया

1	सोदानसिंह गुमानसिंह उमरावसिंह गोपालसिंह पिता पुरसिंह रतनबाई बेवा पुरसिंह अमरसिंह पिता देवी सिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	245	1.530	0.280	0.000
2	सोदानसिंह गुमानसिंह उमरावसिंह गोपालसिंह पिता पुरसिंह रतन बाई बेवा पुरसिंह अमरसिंह पिता देवी सिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	248	2.030	0.000	0.170
3	सुजानसिंह पिता पुरसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	250	1.900	0.320	0.000
4	नरवरसिंह रामसिंह पिता हिंदुसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	251	1.410	0.120	0.000
5	पर्वतसिंह पिता भुवानीसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	252	1.270	0.120	0.000
6	जनसबाई पिता तेजसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	276/1	0.050	0.000	0.010
7	कुशाल बाई पिता तेजसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	276/2	0.040	0.000	0.010
8	कालुराम राधेश्याम पिता नाथुलाल व अमर लाल पिता दत्ता कुम्हार सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	277	0.090	0.000	0.020
9	नरवरसिंह राम सिंह पिता हिंदुसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	278	0.110	0.000	0.030
10	गुमानसिंह पिता पुराणह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	279	0.030	0.000	0.030
11	पर्वतसिंह पिता भुवानीसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	280	0.040	0.000	0.010
12	भेरसिंह बलवंत पिता लघनाथ सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि ख्वामि	288	0.090	0.000	0.020
	कुल योग			0.840	0.300

ग्राम सुराखेडी

1	श्यामसिंह झुंगर सिंह पिता धुलसिंह गंगा बाई बेवा धुलसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि ख्वामि	555	1.530	0.080	0.000
		609	0.580	0.060	0.000
		743	0.780	0.000	0.080
2	गंगाराम पिता भुरु सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि ख्वामि	698	1.150	0.060	0.000
		620	0.100	0.000	0.010
		695	0.310	0.020	0.000
3	भवर सिंह पिता रामसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि ख्वामि	556	0.380	0.030	0.000
4	श्याम सिंह धुलसिंह पिता पर्वत सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि ख्वामि	619	1.720	0.080	0.000
		594	0.310	0.020	0.000
		608	0.430	0.040	0.000
5	चैनसिंह पिता भेरसिंह राम.रा. निवासी ग्राम भुमि ख्वामि	558	0.940	0.010	0.000
		605	0.920	0.000	0.010
		782	0.030	0.000	0.020
		600/1	0.100	0.000	0.020
		599	0.690	0.000	0.100
		560	1.140	0.000	0.080
6	सरतान सिंह पिता उदय सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि ख्वामि	607	0.440	0.040	0.000
		569	2.010	0.100	0.000
		726	1.070	0.100	0.000
		785	0.070	0.000	0.020

8	भगवान सिंह पिता भुपानी सिंह गंगा बाई बेवा भुवानी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	670	0.690	0.020	0.000
		789	0.020	0.000	0.010
9	गुमान सिंह पिता भुवानी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	571	0.690	0.020	0.000
10	तेज सिंह पिता भुवानी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	572	0.700	0.020	0.000
		596/1	0.370	0.020	0.000
11	दुलेसिंह पिता देवीसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	596/2	0.500	0.020	0.000
12	चंद्र सिंह दुलेसिंह पिता देवीलाल हेमत बाईबेवा देवीलाल मुन्ना बाई बेवा सरतानसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	606	1.040	0.000	0.100
		777	0.040	0.000	0.020
		793	0.080	0.000	0.030
13	दुलेसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	590	0.120	0.010	0.000
14	सरदार सिंह पिता उदय सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	587	0.160	0.010	0.000
15	गुमान सिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	588	0.160	0.020	0.000
		589	0.120	0.020	0.000
16	सिधुसिंह विकमसिंह मदन सिंह पिता उकार सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	601	0.350	0.030	0.000
		600/2	0.530	0.000	0.060
17	चंद्रसिंह पिता देवीलला सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	602	0.480	0.040	0.000
		725	0.270	0.030	0.000
18	पुरसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	574	0.140	0.000	0.020
19	उमरावसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	473	0.140	0.000	0.010
20	शक्फुबाई बेवा भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	462	0.440	0.000	0.040
		749	0.050	0.000	0.010
21	रामसिंह चैनसिंह महरबान सिंह पिता नाथुसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	460	0.100	0.000	0.010
		457	0.060	0.000	0.020
22	उकार सिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	458	0.110	0.000	0.020
23	कालुसिंह पिता हिंदसिंह सौदान सिंह पिता करण सिंह इयाम सिंह पिता करण सिंह अ.पा. कर्ता माता सुरज बाई व सुरज बाई बेवा करण सिंह गुमान सिंह पिता जोरावर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	750	0.060	0.000	0.010
24	नैन सिंह पिता दुलेसिंह सज्जनसिंह पिता चंद्र सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	747	0.330	0.000	0.040
25	नैन सिंह पिता दुलेसिंह धाना बाई पति पति दुले सिंह	724	0.280	0.030	0.000
26	गबसिंह पिता किशनलाल सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	781	0.020	0.000	0.010
27	लाभुबाई पति गुमान सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	790	0.010	0.000	0.010
28	गोपाल सिंह पिता धुलसिंह अनंत बाई बेवा धुलसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	794	0.100	0.000	0.040
		745	0.160	0.000	0.030
		746	0.080	0.000	0.040
29	सरतान सिंह पिता उदय सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	744	0.770	0.070	0.000
30	गुमान बाई पति सुल्तान सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	746	0.060	0.000	0.010
	कुल योग			1.000	0.880

ग्राम विशन्या

1	उमराव सिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	310	0.100	0.000	0.040
2	उमराव सिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	311	0.700	0.000	0.030
3	छतर सिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	312/1	1.150	0.010	0.000
4	दुलेसिंह फतेसिंह पिता पुर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	307	0.700	0.000	0.060
5	रामलाल उदय सिंह पिता पुरसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	306	0.510	0.040	0.000
6	दाणीसिंह पिता किशनलाल सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	312/2	1.150	0.000	0.080
7	उँकारलाल पिता परथे सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	303	0.350	0.030	0.000
8	देवास बाई पति रामसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	302	0.350	0.030	0.000
9	श्यामसिंह शिवलाल पिता पुरसिंह व धापु बाई बेवा पुर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम	302	0.380	0.030	0.000
10	करण सिंह पिता चंदर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	313	0.450	0.040	0.000
11	करण सिंह पिता चंदर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	314	0.420	0.050	0.000
12	गोपाल सिंह पिता अमर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	299/2	0.290	0.070	0.000
13	सोदान सिंह पिता अमर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	299/1	0.880	0.040	0.000
14	उकार सिंह पिता रामसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	315	0.320	0.040	0.000
15	चैनसिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	316	0.890	0.070	0.000
	कुल योग			0.450	0.210

ग्राम खेजडिया

1	रतनसिंह पिता दुलेसिंह सौ. रा.निवासी खाईखेडा	245/1	0.810	0.000	0.060
		277	0.460	0.060	0.000
2	किशन लाल पिता मोंतीलाल सौ. रा.निवासी खेजडिया	246	0.600	0.000	0.020
3	शिवलाल पिता निर्भय सिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	247	1.770	0.000	0.020
		249/1	0.810	0.000	0.020
		252	2.210	0.040	0.000
		257	1.760	0.020	0.000
4	राज कुर्वर बाई मुन्ना बाई पिता रतन सिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	249/2	0.800	0.000	0.020
5	कचरु सिंह मान सिंह पिता हरिसिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	253/1	0.360	0.010	0.000
6	किशनलाल पिता मोंतीलाल शंकर सिंह विक्रम सिंह मदन सिंह पिता मानसिंह राजाबाई बेवा मानसिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	275	0.410	0.010	0.000
7	दाणीसिंह पिता दुले सिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	276	0.500	0.030	0.000
	कुल योग			0.170	0.140

ग्राम नारियाखुर्द

1	अमरसिंह पिता बसनसिंह सौ. रा.	167	0.850	0.020	0.000
2	मेहरबान सिंह पिता मांगीलाल	164	0.560	0.010	0.000
3	कालुसिंह उमराव सिंह पिता जोरावरसिंह व वसन बाई बेवा जोरावर सिंह व कालीबाई बेवा पुरसिंह	160	0.570	0.010	0.000
4	राघुसिंह पिता हरिसिंह सौ.रा.	159	0.350	0.010	0.000

5	नारायण सिंह पिता भैरवसिंह सौ. रा.	169	1.050	0.020	0.000
		158	0.250	0.010	0.000
6	फैतेसिंह पिता लाल सिंह सौ. रा.	127	0.100	0.030	0.000
		149	0.240	0.030	0.000
7	भैरवसिंह पिता लाल सिंह सौ. रा.	232	0.290	0.010	0.000
		146	0.370	0.010	0.000
		128	0.100	0.010	0.000
		230	0.310	0.010	0.000
8	मांगीलाल पिता भुवानी सिंह	148	0.180	0.010	0.000
		235	0.640	0.010	0.000
9	दलेसिंह पिता हरिसिंह	127/2	0.100	0.010	0.000
10	मांगुबाई बेवा विजयसिंह	127/1	0.130	0.010	0.000
11	जोरावर सिंह पिता पुरसिंह	115	0.480	0.010	0.000
12	भुवानी सिंह पिता नैनसिंह पिता बापुलाल	176	0.830	0.010	0.000
		178	0.440	0.010	0.000
		236	0.860	0.010	0.000
13	धुरीबाई पति हरिसिंह	206	0.170	0.010	0.000
		207	0.080	0.010	0.000
14	दाणीसिंह पिता हरिसिंह	208	0.620	0.010	0.000
15	रुधनाथ सिंह पिता देवजी	231	0.430	0.010	0.000
16	मुन्नाबाई पति मान सिंह	239/4	0.190	0.010	0.000
		242	0.600	0.010	0.000
17	गोपालसिंह पिता उदय सिंह	240	0.250	0.010	0.000
		243	0.460	0.010	0.000
	कुल योग			0.340	0.000

ग्राम कोटडीआक्खा

1	रामसिंह जोरावर सिंह सुल्तानसिंह पिता पुर सिंह सौ. रा. नि. नारिया खुर्द	283/1	1.000	0.030	0.020
2	भेरसिंह पिता अमरसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	283/2	0.250	0.000	0.010
3	शामुबाई पति शिवसिंह सौ. रा. नि. खेरखेडी	283/3	0.250	0.000	0.010
4	अमर सिंह पिता मेहताबसिंह राम. रा. नि. कोटडी आक्खा	277	3.530	0.040	0.010
5	सोदानसिंह रनजित सिंह पिता किशनलाल सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	298/2	0.220	0.020	0.000
		299	0.190	0.010	0.000
6	गंगाराम पिता पुरसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	301	0.550	0.020	0.010
7	नेपालसिंह पिता दुलेसिंह राम. रा. नि. कोटडी आक्खा	346/1	0.080	0.030	0.000
8	प्रेमकुवर बाई पति तेजसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	346/2	0.280	0.040	0.000

9	फुलबाई बेवा हिंदुसिंह हरिसिंह पिता हिंदुसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	344	0.160	0.000	0.010
		350/1	0.490	0.020	0.010
10	बापुलाल पिता सरूप जी सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	345	0.170	0.000	0.010
11	भुवानीसिंह अर्जुनसिंह तेजसिंह पिता रूपसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	379	0.110	0.020	0.010
12	नारायण सिंह गोपालसिंह पिता मांगीलाल शंकर बाई बेवा मांगीलाल सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	381/2	0.560	0.040	0.020
13	मानसिंह पिता करणसिंह चतुरबाई बेवा करणसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	407	0.640	0.010	0.010
		408	0.600	0.000	0.020
14	भरतबाई पति तुफानसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	375/1	0.100	0.010	0.000
		375/2	0.090	0.010	0.000
		375/3	0.090	0.010	0.000
15	कालुसिंह पिता स्वरूपसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	376	0.720	0.030	0.010
16	तुफानसिंह उमरावसिंह शम्भुसिंह नारायणसिंह पिता कालुसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	377	0.650	0.000	0.030
17	दुलेसिंह पिता शिवलाल सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	351	1.100	0.040	0.000
		378	0.490	0.000	0.030
18	पुरसिंह पिता भेलसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आकथा	348	0.650	0.000	0.030
19	रामसिंह पिता पुरसिंह सौ. रा. नि. खेरखेडी	349	0.580	0.000	0.020
	कुल योग			0.380	0.270

ग्राम परासलीदीवान

1	रघुम कुवर पति सुरेशसिंह राजपुत निवासी एरिया	8	1.950	0.000	0.040
2	अर्जुनसिंह करण सिंह पिता कालुसिंह रा.नि. परासली दीवान	9	1.910	0.030	0.020
3	सजनसिंह पिता पुरसिंह रा.नि. परासली दीवान	14	2.410	0.040	0.020
4	बन्नेसिंह पिता भवरसिंह रा.नि. परासली दीवान	16	2.000	0.010	0.010
		38	2.810	0.030	0.040
5	गजेन्द्रसिंह पिता महेन्द्र सिंह रा.नि. परासली दीवान	37	3.190	0.100	0.040
6	कविता बाई पति नरेंद्र कुमार ओम कुमारी पति महेन्द्रसिंह यादव नि.शामगढ	23	1.520	0.030	0.010
	कुल योग			0.240	0.180

ग्राम बोलिया

1	बदीलाल दिनेश मंगला बाई कृष्णा बाई पिता बालाराम शांति बाई बेवा बालाराम रंगूरा नि. बोलिया	302	0.004	0.000	0.001
2	रामेश्वर पिता भगवन्न निमानि महाजन नि. बोलिया	294	0.109	0.003	0.000
3	सोहनलाल रमेशचंद्र दिनेश चंद्र पिता पुनमचंद्र भावसार नि. बोलिया	291	0.085	0.000	0.001
		293	0.097	0.000	0.097
		290	0.012	0.000	0.001
		280	0.146	0.001	0.000
4	कैलाश पिता नंदा कुम्हार नि. बोलिया	264/1	0.251	0.000	0.004

5	गोवर्धन रमेश पिता रामलाल कुम्हार नि. बोलिया	264/2	0.251	0.000	0.004
6	राजीबाई बेवा मन्नालाल जैन नि. बोलिया	265	0.223	0.000	0.002
	कुल योग			0.004	0.116

ग्राम फरन्यखेडी

1	गुडडी बाई पति मदन सिंह	279/3	0.911	0.000	0.014
2	गुडडी बाई पति मदन सिंह	279/2	0.911	0.000	0.012
3	भेरसिंह पिता फतेसिंह	279/1	1.618	0.000	0.018
4	मांगीलाल मानसिंह पिता भेरसिंह	254	0.012	0.000	0.012
5	नैनसिंह पिता भंवर सिंह	255/1	0.012	0.000	0.001
6	रामसिंह पिता बापूलाल	244	0.061	0.000	0.002
7	भागु बाई बेवा कालुसिंह रामसिंह नारायण सिंह पिता कालुसिंह	257	0.077	0.000	0.001
8	राचन्द्र पिता पुर सिंह	256	0.061	0.000	0.002
9	मांगीलाल पिता ओंकारलाल	258	0.020	0.000	0.001
10	नरवर सिंह इंदरसिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राघुसिंह पुराबाई बेवा राघुसिंह	243	0.073	0.000	0.004
11	भवर सिंह प्यार जी	242	0.033	0.000	0.001
12	जतनबाई बेवा भगवान सिंहभेरसिंह तेजसिंह रामसिंह सुजानसिंह मदनसिंह पिता भगवान सिंह	241	0.061	0.000	0.001
13	मांगीलाल पिता ओंकारलाल	258	0.020	0.000	0.001
14	शिवसिंह पिता ओंकारलाल	261	0.049	0.000	0.001
15	सुल्तान सिंह पिता भवरसिंह	262	0.025	0.000	0.001
16	नाथुसिंह पिता देवीसिंह	263	0.040	0.000	0.001
17	बापूलाल राघुसिंह पिता	265/1	0.039	0.000	0.001
18	गिरवरसिंह	267	0.020	0.000	0.001
19	चंदर सिंह पिता भेरसिंह	268/0.085	0.085	0.000	0.002
20	शिवलाल पिता अंन्दर सिंह	239/1	0.025	0.000	0.001
21	भवरसिंह पिता प्यार जी	268	0.085	0.000	0.001
22	शवलाल पिता इंदर सिंह	270	0.081	0.000	0.003
23	नरवरसिंह इंदर सिंह श्याम सिंह रामसिंह पिता राघुसिंह पुराबाई बेवा राघुसिंह	170	0.036	0.000	0.001
24	मांगीलाल गोपीसिंह पिता प्यार सिंह सम्पत बाई बेवा प्यार सिंह अर्जुन सिंह मेरबान सिंह पिता पुरसिंह भगवती बाई बेवा पुरसिंह	279/4	0.911	0.000	0.010
25	फतेसिंह प्रतापसिंह गोपाल सिंह पिता कालुसिंह सरतानबाई बेवा कालुसिंह	131/2	0.068	0.004	0.000
26	भेरसिंह तेजसिंह पिता वजेसिंह	131/1	0.068	0.004	0.000
27	सुजानसिंह गोपाल सिंह विशनसिंह पिता गोपाल सिंह	111	0.267	0.003	0.000
28	रामलाल पिता पुरसिंह	113	0.360	0.004	0.000
29	मांगीलाल पिता उकारसिंह	130/1	0.107	0.001	0.000

30	शिवसिंह पिता उकारलाल	130/2	0.132	0.001	0.000
31	इंदरसिंह पिता राधुसिंह	108	0.279	0.006	0.000
32	नरवरसिंह इंदरसिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राधुसिंह	107	0.279	0.006	0.000
33	श्यामसिंह पिता राधुसिंह	81/1	0.696	0.006	0.000
34	तेजसिंह पिता भगवान सिंह	82/2	0.819	0.010	0.000
35	सुलान सिंह पिता भवरसिंह	59	1.364	0.001	0.000
36	बाबुलाल राधुसिंह पिता गिरवर सिंह	55	0.401	0.004	0.000
37	श्यामसिंह पिता राधुसिंह	69/2	0.250	0.006	0.000
38	इंदरसिंह पिता राधुसिंह	69/3	0.250	0.006	0.000
39	कालुसिंह पिता श्यामसिंह	54/6	0.625	0.004	0.000
40	श्यामसिंह पिता राधुसिंह	54/5	1.238	0.006	0.000
41	माधुसिंह इंदरसिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राधुसिंह पुराबाई बेवा राधुसिंह	67/3	0.337	0.008	0.000
42	उमरावसिंह पिता बापुलाल सरदार बाई बेवा बापुलाल रामकोशल बाई बेवा कालुसिंह	42/3	1.092	0.012	0.000
43	कैलाश पिता फैतेसिंह सरदार बाई बेवा फतेसिंह	41	0.494	0.000	0.010
44	शम्भुसिंह श्यामसिंह पिता रामचंद्र	62	0.401	0.000	0.003
45	शम्भुसिंह श्यामसिंह पिता रामचंद्र	40	1.570	0.005	0.000
46	सुजानसिंह गोपाल सिंह किशनसिंह पिता जोरावर सिंह	15	1.813	0.006	0.000
47	इंदरसिंह पिता राधुसिंह	12/2	1.421	0.002	0.000
48	राधुसिंह पिता गिरवर सिंह	13	0.275	0.003	0.000
49	गोरखनसिंह सुलानसिंह तुफान सिंह पप्पुसिंह श्याम सिंह पिता मांगीलाल सीता बाई बेवा मांगीलाल नानी बाई बेवा भुवानी सिंह	29	0.938	0.012	0.000
कुल योग				0.120	0.106

2 सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :-

बोलिया से परासली मार्ग योजना

3 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण :-

भू.अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जितीभी जाने वाली भूमि

सिंचित 4.894

अर्जितीभी 2.526

कुल 7.420

क्र. 3661-री-2016 प्र-क्र- 07-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पुष्ट 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉथी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- MR-2 Sub Minor-Village : बीडगांव तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो खीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम - MR-2 Sub Minor-Village : बीडगांव क्षेत्रफल 2.620 रकबा 0.322 है।

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	बीडगांव	0.322	0.000	0.322
	योग	0.322	0.000	0.322

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्व नं.	कुल निजी रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	सिंचित
1	नानुराम देवीलाल फुलबाई पति नानुराम जाति चमार पता निवासी भूमि स्वामी	388	0.780	0.140
2	रामकरण देवीलाल घना कंकुबाई पति रुधनाथ जाति चमार पता निवासी भूमि स्वामी	337/1 335	0.360 1.480	0.084 0.098
कुल रकबा			2.620	0.322

नोट :- भूमि का चला (रकबा) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3665-री-2016 प्र-क्र- 08-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- Main Canal Supply Village-Dhabla Madusingh ढाबला माधौसिंह तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला—मन्दसौर तहसील—भानपुरा ग्राम Main Canal Dhabla Madusingh क्षैत्रफल 15.408 रकबा 1.418 है।

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	ढाबला माधौसिंह	1.418	0.000	1.418
	योग	1.418	0.000	1.418

अनुसूची (1)
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रक्खा	पूर्व में लिया गया रक्खा	कुल अर्जित रक्खा
			हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	सुगनबाई सम्पत बाई नैनीबाई पिता नन्दलाल व सतु पिता रमेश व सुरजबाई बैवा रमेश जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी	736	0.117	0	0.005
2	गुलाबचन्द पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220/2	0.425		0.020
3	देवीलाल पिता डुंगा जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम कालाकोट	1318	1.316	0.108	0.051
4	बद्रीलाल पिता काशीराम जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1349/2	0.979	0.185	0.047
5	रुकमणी बाई लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1378/3	0.496	0.008	0.132
6	शान्ति बाई पति रामनारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1343	1.651	0.105	0.303
7	भेरुलाल पिता भुवाना जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालाकोट	1265 1344	1.562 3.238	-	0.128 0.310 0.438
8	गणपत पिता गंगाराम जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम बीडगांव भूमि स्वामी	1323/1	1.214	0.005	0.035
9	श्यामलाल मोहनलाल गोविन्द पिता गंगाराम व जशोदाबाई बैवा बंशीलाल व पवन कुमार पिता बंशीलाल मेहर पता निवासी ग्राम भू-दान भूमि स्वामी	745	2.055	-	0.176
10	काना पिता देवीलाल जाति भील निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	1336	2.355	0	0.211
कुल रक्खा			15.408	0.411	1.418

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3669-री-2016 प्र-क्र- 09-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बाँधी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-2 Sub Minor-Village : संधारा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम - **MR-2 Sub Minor-Village : संधारा** क्षेत्रफल 11.563 रकबा 1.275 है।

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	संधारा	1.275	0.000	1.275
	योग	1.275	0.000	1.275

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रक्षा	कुल अर्जित रक्षा	कुल अर्जित रक्षा
			हेक्टर	असिचित	सिंचित
1	श्यामकला बैवा महेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहहस्तारणीय	1385	0.640	0	0.012
2	राकेश पिता लालचन्द्र जाति चमार निवासी पता ग्रम भूमि स्वामी अह. हस्तारणीय	1446	0.446	0	0.009
3	लक्ष्मीनारायण पिता शंकर जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अह.ह	236/2	0.352	0	0.096
4	कारुलाल पिता भेरुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तारणीय	110/3/m1	1.000	0	0.238
5	श्रीराम पिता रामलाल बदामबाई जाति श्रीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अह. हस्तारणीय	110/2/4	1.000	0	0.150
6	देवीलाल पिता मांगु हंगामीबाई पति देवीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/7	1.000	0	0.192
7	शंकर पिता सेवा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अह. हस्तारणीय	1918	0.946	0	0.057
8	रतनलाल पिता भेरु जाति भील पता निवासी कालाकोट भूमि स्वामी	1899	0.833	0	0.184
9	कमलाबाई बैवा रामप्रताप जाति भील पता निवासी ग्राम कालाकोट भूमि स्वामी	1848	1.271	0	0.109
10	कचरी बाई बैवा बालाराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अह.ह	1353	0.680	0	0.158
11	रामलाल पिता कंवरलाल रूपाबाई पति रामलाल जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अह. हस्तारणीय	1303	0.138	0	0.048
12	बापुलाल पिता हीरा जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1955	3.257	0	0.022
कुल रक्षा			11.563	0.000	1.275

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3673-री-2016 प्र-क्र- 10-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉथी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor-Village : संधारा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने घर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन घर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम - **D-1 Sub Minor-Village : संधारा** क्षेत्रफल 16.987 रकबा 0.679 है।

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	संधारा	0.679	0.000	0.679
	योग	0.679	0.000	0.679

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रकबा	पूर्व में लिया गया रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	श्रवण कुमार पिता बालचन्द कलावती बाई पति बालचन्द जाति अहीर पता निवासी संधारा	1357	1.901	0	0.013
2	भुवानीशंकर प्रेमचन्द्र पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम रावती राजस्थान भूमि स्वामी	1349/1	1.000	0.030	0.102
3	रमेश कुमार पिता कंवरलाल जाति मेहर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1338/2	1.000	-	0.098
4	बापुलाल पिता बाला जानकीलाल फुलचन्द्र कैलाश रमेश पिता गंगाराम रुकमणी बाई बैवा गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1336	1.044	0.036	0.072
5	गणपत पिता धन्ना धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1901	1.870	0.096	0.031
6	रामलाल पिता देवीलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम संधारा भूमि स्वामी	1622	2.732	-	0.045
7	बजरंग जगदीश रामचन्द्र पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1862/2	1.425	0.051	0.041
8	हीरालाल पिता वरदा जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम कालाकोट भूमि स्वामी	1874/2	2.487	0.041	0.051
9	प्रहलाद पिता रत्नलाल जाति तेली पता निवासी ग्राम संधारा	1293/1/1	1.384	0.050	0.031
10	बापुलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	237/2	0.251	0.012	0.052
11	डालु पिता बाला मेघवाला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	207/2	0.809	0.000	0.112
12	काशीराम पिता रतन जाति राठौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1293/1/2	1.084	0.033	0.031
कुल रकबा			16.987	0.349	0.679

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3679-री-2016 प्र-क्र- 11-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बौद्धी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-2 Sub Minor-Village : कालाकोट** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम - **MR-2 Sub Minor-Village : कालाकोट** क्षेत्रफल 3.940 रकबा 0.597 है।

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	कालाकोट	0.597	0.000	0.597
	योग	0.597	0.000	0.597

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रकबा	कुल अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	असिंचित	सिंचित
1	भागीरथ बालाराम लालचन्द पिता रामा पार्वतीबाई समा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	80	1.300	0	0.055
2	फुलचन्द देवीलाल पिता खेमा कान्तीबाई बैवा खेमा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89	0.450	0	0.091
3	भोना पिता धूरा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ग्राम कालाकोट शासकीय पटेदार	88	0.200	0	0.048
4	प्रकाश भुवानीशंकर पिता भेरुलाल व धीसीबाई बैवा भेरुलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	309	0.570	0	0.179
5	कारुलाल पिता वरदा जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	277	0.650	0	0.128
6	बलराम पिता शिवलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	496	0.770	0	0.096
कुल रकबा			3.940	0.000	0.597

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3681-री-2016 प्र-क्र- 12-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बौद्धी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor - Villege : सम्मतखेडी** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्या नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला—मन्दसौर तहसील—भानपुरा ग्राम — D-1 Sub Minor - Village : सम्मतखेडी क्षेत्रफल 2.360 रकबा 0.492 है।

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	सम्मतखेडी	0.492	0.000	0.492
	योग	0.492	0.000	0.492

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रकबा	कुल अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	असिंचित	सिंचित
1	दयाराम पिता देवीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	287/2	1.180	0	0.163
2	जगदीश पिता देवीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	287/1	1.180	0	0.329
कुल रकबा			2.360	0.000	0.492

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3685-री-2016. प्र-क्र- 13-अ-82-17-18.

मन्दसौर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉथी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-2 Sub Minor - Sanda - Village** : सानडा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि रखामी/भूमि रखामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताकरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम- **MR-2 Sub Minor Sanda** - क्षैत्रफल 4.553 रक्खा 0.438 है।

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्खा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	सानडा	0.438	0.000	0.438
	योग	0.438	0.000	0.438

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रक्खा	पूर्व में लिया गया रक्खा		कुल अर्जित रक्खा
				हेक्टर	सिंचित	
1	हरिसिंह, रामचंद्र, चांदमल पिता किशन जाति भोपा पता निवासी हाफसखेड़ी भूमिस्थामी	649	1.630	0	0.236	
2	अमरीबाई बैवा शिवलाल जाति भोपा पता निवासी ग्राम हापसखेड़ी	638/m1		0	0.050	
3	रामगोपाल भंवरलाल बालचन्द्र पिता मांगीलाल भगवती बाई बैवा मांगीलाल जाति कुम्हार भूमि रखामी	310 307/2	1.010 0.730	0.040 0.024	0.040 0.020	
			1.740	0.064	0.060	
4	बद्रीबाई पति नारायण गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि रखामी	612/1	1.183	0	0.092	
कुल रक्खा				4.553	0.064	0.438

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3693-री-2016. प्र-क्र- 15-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कंपिङ्का -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बौद्धी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-1 Sub Minor-Village : लेदीखुर्द** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंपिङ्का 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कंपिङ्का 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम - **MR-1 Sub Minor-Village : लेदीखुर्द** क्षेत्रफल 4.790 रक्षा 0.054 है।

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्षा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	लेदीखुर्द	0.054	0.000	0.054
	योग	0.054	0.000	0.054

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्व नं.	कुल निजी रक्षा	पूर्व में लिया गया रक्षा		कुल अर्जित रक्षा
				हेक्टर	सिंचित	
1	परमानन्द पिता शिवनारायण जाति अहीर पता निवासी ग्राम रवामी	101/2	1.000	0	0	0.054
2	अशवनी उमेश कुमार पिता श्यामबिहारी जाति माली पता निवासी रामगंजमण्डी भूमेश्वामी	187/2	3.790	0.201	35 संतरा पौधा	
कुल रक्षा			4.790	0.201	0.054	

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपचारण गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3697-री-2016. प्र-क्र- 16-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor-Village : औसारा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण -

जिला-मन्दसौर तहसील-भानपुरा ग्राम - **D-1 Sub Minor - Village : औसारा** क्षेत्रफल 15.064 रकबा 1.618 है।

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (ह.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	औसारा	1.618	0.000	1.618
	योग	1.618	0.000	1.618

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

क्र.	कृषक नाम	सर्व नं.	निजी रक्खा	पूर्व में लिया गया	कुल अर्जित रक्खा
			हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	गुडडी बाई पति कैलाशचन्द्र जाति अहीर पता निवासी ग्राम लेदीखूर्द भूमि स्वामी	269	1.052		0.216
2	देवीलाल पिता कारुलाल जाति अहीर निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	270	1.882		0.224
3	कैलाशचन्द्र पिता भुवानीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	256/1	0.966		0.236
4	मोतीलाल पिता पन्ना जाति अहीर निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	266	3.323		0.020
5	भवानीशंकर पिता कारु लाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	258	1.364		0.272
6	गंगाराम पिता मगन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	257/1/m2	0.347		0.054
7	धमेन्द्र पिता श्यामलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	255/2/1	1.045		0.204
8	रोडू गंगाराम पिता मगन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	257/1/lm	0.347		0.054
9	रामगोपाल पिता रामचन्द्र जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	255/2/2	1.045		0.132
10	भूलीबाई बैवा राधेश्याम व रामदयाल रत्नीबाई कलाबाई पिता राधेश्याम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	410/1	1.971	0.151	0.050
11	रामलाल पिता कारुलाल जाति निवासी ग्राम भूमि स्वामी	251/2/3	1.722		0.156
				15.064	1.618

नोट :— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3703-री-2016. प्र-क्र- 17-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय—समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बैंयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **D-1 Sub Minor-Village : नीमथूर** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला—मन्दसौर तहसील—भानपुरा ग्राम — **D-1 Sub Minor-Village : नीमथूर** क्षेत्रफल 5.115 रकबा 0.342 है।

अनुसूची (1)

स. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	नीमथूर	0.342	0.000	0.342
	योग	0.342	0.000	0.342

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रक्खा	पूर्व में लिया गया रक्खा	कुल अर्जित रक्खा
			हेक्टर	सिंचित	सिंचित
1	लीलाधर पिता सालगराम पाठीदार जाति कुल्मी निवासी पता औसरना भूमि स्वामी	391/1	1.071	0.009	21 पौधा संतरा
2	मानकुवरबाई पति रामदयाल रावत जाति मीणा पता भगवानपुरा ग्राम भूमि स्वामी	530/1/2	1.017	0.312	18 पौधा संतरा
3	रामलाल पिता कुशलराज जाति कुल्मी पता निवासी औसरना भूमि स्वामी	690/2/1	1.463	0.108	0.089
4	रणजीत सिंह पिता नन्दकुंवर उछल कुंवर पुष्ट कुंवर कैलाश कुंवर जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	81/1	1.122	0.180	0.089
5	धर्मेन्द्र कुमार पिता टिकमचन्द्र जाति महाजन निवासी भानपुरा भूमि स्वामी	637/1	0.442	0	0.164
कुल रक्खा			5.115	0.609	0.342

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3705-री-2016. प्र-क्र- 18-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- **MR-1 Sub Minor-Village : बोरदा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण –

जिला—मन्दसौर तहसील—भानपुरा ग्राम — MR-1 Sub Minor-Village : बोरदा क्षेत्रफल 0.136 रकबा 0.055 है।

अनुसूची (1)

सं. कं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	बोरदा	0.055	0.000	0.055
	योग	0.055	0.000	0.055

अनुसूची (1)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट –II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल निजी रकबा	कुल अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
			हेक्टर	असिंचित	सिंचित
1	मदनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौभिया राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	252/2	0.136	0	0.055
कुल रकबा			0.136	0.000	0.055

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3689-री-2016. प्र-क्र- 14-अ-82-17-18.

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति से भूमि क्य नीति म.प्र. पत्र भाग - 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1)तहत)

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकरण कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बौथी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम:- — **Main Canal Supply Sanda - Village : सानडा** तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप 'ख' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है।

क्य नीति की आपसी सहमति से भूमि क्य कण्डिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण —

जिला—मन्दसौर तहसील—भानपुरा ग्राम — **Main Canal Supply Sanda** - क्षैत्रफल 10.940 रकबा 1.017 है।

अनुसूची (1)

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	सानडा	1.017	0.000	1.017
	योग	1.017	0.000	1.017

अनुसूची (1)
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II

संख्या नं.	कृषक नाम	सर्वे नं.	कुल	कुल	कुल
			निजी रक्खा	अर्जित रक्खा	अर्जित रक्खा
			हेक्टर	असिंचित	सिंचित
1	गोपाल अमृतराम मुन्नाराम संतोषबाई पिता हरिराम व देउबाई बैवा हरिराम जाति भील निवासी पता ग्राम भूमि स्वामी	587/1	0.560	0	0.024
2	अमृतराम पिता हरिराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	615	0.610	0	0.066
3	गीताबाई बैवा मोडीराम व सांवरलाल लाडबाई सीमा ममता टीना मेना पिता मोडीराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	587/5	0.550	0	0.105
4	सब्बा पिता रूपा व कजोड़ीबाई पिता सब्बा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि तारबलडी	671/2	1.000	0	0.070
5	सूरज हीरा गोरु पिता छोटू कजोड़ीबाई पति सूरज फुलीबाई पति हीरा पूरीबाई पति गोरु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	682/m1	0.600	0	0.076
6	कन्हैयालाल मांगीलाल बबलीबाई पिता मंगला जाति भील पता निवासी ग्राम जगपुरा राजस्थान भूमि स्वामी	576	2.200	0	0.069
7	द्वावकीलाल प्रेमबाई धीरीबाई माधुबाई पिता कालु जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	558	3.250	0	0.288
8	रामगोपाल भंवरलाल बालचन्द पिता मांगीलाल भगवती बाई बैवा मांगीलाल जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92/2	1.240	0	0.005
9	गीता बाई बैवा मोडीराम व सांवरलाल लाडबाई सीमा ममता टीना मैना पिता मोडीराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	288/2	0.180	0	0.128
10	अमरेया पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासकीय पटटेदार	361	0.570	0	0.058
11	फुलचन्द पिता रूपचन्द जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	288/3	0.180	0	0.128
कुल रक्खा			10.940	0.000	1.017

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

प्र-क्र-ए-421

आगर-मालवा दिनांक 17 नवम्बर 2017

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।



अनुसूची (1)

ग्राम - लाडोन		तहसील - नलखेड़ा	जिला आगर-मालवा
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	अर्जित रकबा
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	4.498	2.018
	योग	4.498	2.018

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

ग्राम-लाडोन		तहसील-नलखेड़ा		जिला आगर-मालवा	
क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमार्क
1	कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2	3	4	5
		196/3	0.418	0.080	
		196/4/2	0.209	0.100	
	योग		0.627	0.180	
2	सोहन बाई पति माधोसिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	196/4/1	0.564	0.190	
			0.564	0.190	
		योग		0.190	
3	बापूलाल पिता भगवान सिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/2/1	0.200	0.153	
			0.200	0.153	
		योग		0.153	
4	बद्रिलाल पिता भगवान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/2/2	0.200	0.190	
			0.200	0.190	
		योग		0.190	
5	मयाराम पिता भगवान सिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/2/3	0.200	0.190	
			0.200	0.190	
		योग		0.190	
6	भारीरथ पिता नाथू सिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/3	0.773	0.190	
			0.773	0.190	
		योग		0.190	
7	कालू सिह पिता दल्ला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	199/7	0.602	0.602	
			0.602	0.602	
		योग		0.602	
8	घनश्याम नाभा पिता रोडसिंह सर पिता स्वयं रोडमल पिता नारायण सिह	330/1	0.303	0.030	
			0.303	0.030	
		योग		0.030	
9	प्रेमसिंह पिता शमलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	330/4/1	0.147	0.015	
			0.147	0.015	
		योग		0.015	

15	अंदूर सिंह पिता रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	330/4/2	0.153	0.015	
	योग		0.153	0.015	
11	बाबूलाल पिता रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	330/4/3	0.003	0.003	
	योग		0.003	0.003	
12	शिवनारायण पिता मांगु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	333/2/2	0.331	0.110	
	योग		0.331	0.110	
13	हिन्दु सिंह पिता मांगु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	333/2/3	0.395	0.150	
	योग		0.395	0.150	
	कुलयोग		4.498	2.018	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र-क्र-ए-423

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - गोयल		तहसील - नलखेड़ा	जिला आगर मालवा
विवरण		अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण	
		कुल रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	3.673	1.944
	योग	3.673	1.944

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	प्रताप पिता नाथुलाल जाति गुर्जर	148/5	0.648	0.160
	योग		0.648	0.160
2	मदनसिंह पिता पीरुसिंह कृष्णबाई वि. पीरुसिंह जाति गुर्जर	149/2/1	0.235	0.050
	योग		0.235	0.050
3	लच्छीराम पिता पीरुसिंह जाति गुर्जर	149/2/2	0.117	0.050
	योग		0.117	0.050
4	देवकरण पिता लच्छीराम जाति गुर्जर	149/2/3	0.118	0.050
	योग		0.118	0.050
5	प्रताप पिता नाथुलाल जाति गुर्जर	150/2	0.261	0.080
	योग		0.261	0.080
6	मदनसिंह पिता पीरुसिंह कृष्णबाई वि. पीरुसिंह जाति गुर्जर	235/3	0.011	0.011
	योग		0.011	0.011
7	देवी सिंह पिता गणपत जाति गुर्जर	286/1	0.084	0.084
	योग	to 3	0.084	0.084

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
8	सुगनबाई पति गंगाराम जाति गुर्जर	286/2/1	0.105	0.105
	योग		0.105	0.105
9	सुगनबाई पति गंगाराम जाति गुर्जर	286/2/2	0.135	0.135
	योग		0.135	0.135
10	सुगनबाई पति गंगाराम जाति गुर्जर	286/2/3	0.115	0.115
	योग		0.115	0.115
11	देवीसिंह पिता गणपत जाति गुर्जर	286/3	0.021	0.021
	योग		0.021	0.021

12	देवीसिंह पिता गणपत ना बा सरपर माता कंकुबाई हि 2/3 भागीरथ रामचंद्र पिता सिद्ध गंगाराम पिता उमराव हि 1/3 जाति गुर्जर	286/3/1	0.010	0.010
	योग		0.010	0.010
13	देवीसिंह पिता गणपत जाति गुर्जर	286/3/2	0.209	0.209
	योग		0.209	0.209
14	सुगनबाई पति गंगाराम जाति गुर्जर	286/4	0.073	0.073
	योग		0.073	0.073
15	देवीसिंह पिता गणपत जाति गुर्जर	289/1	0.188	0.100
	योग		0.188	0.100
16	देवीसिंह पिता गणपत जाति गुर्जर	289/2	0.209	0.197
	योग		0.209	0.197
17	सुगनबाई पति गंगाराम जाति गुर्जर	290	0.042	0.042
	योग		0.042	0.042
18	गंगाराम बशरह न.98/2/2	291	0.010	0.010
	योग		0.010	0.010
19	श्री राम मंदिर	293	0.084	0.054
	योग		0.084	0.054
20	मेहताब पिता देवा जाति डोली	294	0.104	0.066
	योग		0.104	0.066
21	कृष्णमोहन पिता रामदयाल जाति	295/2	0.010	0.010
	योग		0.010	0.010
22	मदनलाल पिता रामप्रताप जाति ब्राह्मण	295/3	0.010	0.010
	योग		0.010	0.010
23	रुकमीबाई पिता दीनदयाल जाति ब्राह्मण	295/4	0.011	0.011
	योग		0.011	0.011
24	सोरम बाई पति भागीरथ जाति गुर्जर	300/4	0.021	0.021

क्र.	कूपक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
	योग		0.021	0.021
25	छिंतु पिता गोपाल जाति गुर्जर	601	0.146	0.120
	योग		0.146	0.120
26	भेरु पिता भग्नु जाति गुर्जर	603/1/1	0.382	0.075
	योग		0.382	0.075
27	रामचंद्र पिता प्रताप धिसीबाई रंभाबाई झानुबाई प्रतिया जाति गुर्जर	603/2/1/2	0.314	0.075
	योग		0.314	0.075
	महायोग		3.673	1.944

टोट :— भूमि के नवयो एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र-क्र-ए-430

दिनांक 22 नवम्बर 2017

•(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बौद्ध निर्माण के द्वूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम :- कनाली		तहसील:- नलखेड़ा जिला आगर- मालवा	
स. क	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं द्वूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	26.640	21.620
	योग	26.640	21.620

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	काशीराम पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम पनाला	2/2	0.330	0.170	
		8/2/1	0.090	0.090	
		10/2	0.060	0.060	
		43/2/1	0.020	0.020	
		योग	0.500	0.340	
2	सिद्धु पिता दरियाव जाति गुर्जर नि. पनाला	3/1	0.070	0.070	
		5/1	0.010	0.010	
		2/1	0.170	0.170	
		8/1	0.090	0.090	
		10/1	0.030	0.030	
		38/1	0.010	0.010	
		43/1	0.010	0.010	
		योग	0.390	0.390	
3	शांति बाई वि. गंगाराम जाति गुर्जर	3/2	0.130	0.130	
		5/2	0.020	0.020	
		6/1	0.120	0.120	
		8/2/2	0.090	0.090	
		38/2	0.020	0.020	
		43/2/2	0.020	0.020	
		योग	0.400	0.400	
4	शिवलाल पिता देवा जाति गुर्जर	4	0.190	0.190	
		योग	0.190	0.190	
5	भूलीबाई पति सिद्धलाल जाति गुर्जर नि.पनाला	6/2	0.060	0.060	
		योग	0.060	0.060	

6	बालु पिता कालु जाति गुजर	7	0.130	0.130	
		9	0.090	0.090	
		26	0.110	0.110	
		योग	0.330	0.330	
7	सीताराम पिता गंगाराम जाति गुर्जर	11/1	0.210	0.210	
		13/1	0.080	0.080	
		14/1	0.030	0.020	
		19/1	0.220	0.220	
		33/1	0.120	0.120	
		योग	0.660	0.650	
		11/2	0.200	0.200	
8	गोकूल सिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर	13/2	0.070	0.070	
		14/2	0.030	0.030	
		19/2	0.230	0.230	
		32/2	0.040	0.040	
		33/2	0.130	0.130	
		योग	0.700	0.700	
		12/1	0.050	0.050	
9	मदन लाल पिता छिंतु जाति गुर्जर	15/1	0.020	0.020	
		16/1	0.080	0.080	
		17/1	0.010	0.010	
		18/1	0.010	0.010	
		30/1	0.010	0.010	
		31/1	0.020	0.020	
		39/1	0.010	0.010	
10	शिवलाल पिता छिता जाति गुर्जर	45/1	0.050	0.050	
		योग	0.260	0.260	
		12/2	0.050	0.050	
		15/2	0.020	0.020	
		16/2	0.090	0.090	
		18/2	0.010	0.010	
		30/2	0.200	0.020	
11	प्रह्लाद सिंह पिता उमराव जाति गुर्जर	31/2	0.020	0.020	
		39/2	0.010	0.010	
		45/2	0.060	0.060	
		योग	0.460	0.280	
		12/3	0.030	0.030	
		15/3	0.020	0.020	
		16/3	0.060	0.060	
12	मान सिंह पिता उमराव सिंह जाति गुर्जर	30/3	0.010	0.010	
		31/3	0.010	0.010	
		39/3	0.010	0.010	
		45/3	0.040	0.040	
		योग	0.180	0.180	
		12/4	0.030	0.030	
		15/5	0.050	0.050	
13	मंवर जी पिता उमराव जाति गुर्जर	16/4	0.060	0.060	
		17/2	0.010	0.010	
		18/3	0.010	0.010	
		30/4	0.010	0.010	
		31/4	0.020	0.020	
		45/4	0.040	0.040	
		योग	0.230	0.230	
		12/5	0.040	0.040	
		15/4	0.010	0.010	
		16/5	0.060	0.060	
		31/5	0.010	0.010	
		45/5	0.030	0.030	
		30/5	0.010	0.010	
		योग	0.160	0.160	

14	મૈયુ કાલુ શંકર પિતા બુલા જાતિ ગુર્જર યોગ	20	0.230	0.230	
15	દેવબાઈ પતિ માટુ જાતિ ગુજર નિવારી ગ્રામ પનાલા યોગ	20/209	0.170	0.170	
16	અમર સિહ પિતા બાપુ ગંગાબાઈ રામવિલાસ બાઈ પિતા બાપુ કંચનબાઈ વિ. બાપુ કાલુ મૈયા શંકર પિતા બુલા રમેશ રામનારાયણ પિતા સમદર સાધેનિબાઈ મુરીબાઈ પિતા સમદર શકુલાઈ વિ. સમદર ભંવર પ્રમુ કંબરલાલ ચંશીલાલ પિતા ભેરુ રંગબાઈ વિ. ભેરુ દાતાર પિતા રામા જાતિ ગુજર પતા નિવારી ગ્રામ પનાલા યોગ	21 22 23 24	0.230 0.240 1.060 0.130	0.230 0.240 0.430 0.130	
17	બલદેવ પિતા ભેરુ લીલાબાઈ બુલીબાઈ પિતા ભેરુ ઉદા ગંગારામ રામરતન પિતા દોલા માન સિહ પિતા શિવલાલ નાબા સરપર માતા બાળબાઈ બલદેવ પિતા ભેરુ જાતિ ગુર્જર પતા નિવારી ગ્રામ પનાલા યોગ	25	0.290	0.290	
18	રામુબાઈ વિ. રૂગનાથ મન્ના પિતા ઘિસા જાતિ ગુર્જર યોગ	27	0.070	0.070	
19	મેહરબાનસિહ પિતા બાપુસિહ મુકેશ પિતા સિદ્ધ અમર સિહ રામચંદ્ર રમેશ પિતા ભંવર લાલ ઉમરાદબાઈ વિ. ભંવર લાલ નીતાબાઈ શાતિ બાઈ પિતા ભંવર લાલ માંગીબાઈ ધાપુબાઈ પિતા ગણપત જાતિ સુતાર પતા નિવારી ગ્રામ પનાલા યોગ	28	0.070	0.070	
20	રામરતન પિતા ધૂલા હિ 1/2 ભેરુ લક્ષ્મણ રમેશ પિતા માંગુ બુલીબાઈ સિદ્ધીબાઈ પિતા માંગુ જાતિ ચમાર યોગ	46 58	1.230 0.150	1.230 0.140	
21	રામરતન પિતા ધૂલા જાતિ ચમાર પતા નિવારી ગ્રામ પનાલા	47 207	0.380 2.090	0.150 2.090	
22	ભંવર જી પિતા ભેરુ સુજાન ઘનશ્યામ પણ્ણ પિતા ગોપી રામકણ્ણ ગાયત્રી પિતા ગોપી જાતિ નાઈ યોગ	48 52 53	0.200 0.060 0.050	0.200 0.060 0.050	
23	માંગુ લક્ષ્મીનારાયણ પિતા ભેરુ જાતિ કુલ્લી નિવારી ગ્રામ પનાલા	51 54 55 56	0.070 0.040 0.040 0.150	0.050 0.030 0.010 0.010	
24	રંગબાઈ પુડી ભાગીરથ જાતિ ગુર્જર યોગ	57	0.050 0.050	0.030 0.030	
25	અમરસિહ પિતા ભંવરલાલ જાતિ સુતાર યોગ	197	1.000 1.000	0.080 0.080	
26	બદ્રીલાલ પિતા રામા જાતિ બલાઈ યોગ	198	1.550 1.550	1.320 1.320	

27	शिवलाल पिता रामा जाति बलाई	199	2.090	1.220	
		203	2.090	2.090	
28	योग		4.180	3.310	
	गंगाराम पिता कालू जाति गुजर	200	2.090	2.090	
29	योग		2.090	2.090	
	सरजुबाई वि. अमरसिंह कैलाश पिता अमरसिंह जाति बलाई	204	2.100	2.100	
30	योग		2.100	2.100	
	मेरु पिता मांगु जाति चमार	205	2.100	0.540	
31	योग		2.100	0.540	
	पीरु गिरधारी रमेश पिता बापू जानीबाई गंगाबाई पिता बापू गोपीबाई वि. बापू जाति चमार नि.पनाला	206	2.100	2.100	
महायोग			2.100	2.100	
			26.640	21.620	

नोट :-

- (1) भूमि से संबंधित नक्शे एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर एवं भू-अर्जन कार्यालय आगर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्र-क्र-ए-432

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर-मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	तहसील – नलखेड़ा	
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	कुल रकबा
		अर्जित रकबा	
1	निजी भूमि		
	1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	13.400	11.930
	योग	13.400	11.930

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉथ परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमार्क
1	2	3	6	9	
1	भैरू सिह पिता धीसा बालचंद पिता भैरूसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	342	0.060	0.060	
		348/1	0.050	0.050	
		349/1	0.060	0.060	
			0.170	0.170	
2	पीरलाल पिता भैरूसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	344/1	0.130	0.130	
			0.130	0.130	
3	मांगीलाल पिता धीसा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	344/2	0.130	0.130	
		348/2	0.050	0.050	
		349/2	0.060	0.060	
		351/1	0.350	0.350	
	योग		0.590	0.590	
4	पदमाबाई,लीलाबाई,देवबाई पुत्री नंदलाल जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	346	0.280	0.280	
		347	0.150	0.150	
		350	0.140	0.140	
			0.570	0.570	
5	इंदर सिह पिता भैरूसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	351/2	0.340	0.340	
			0.340	0.340	
6	गीताबाई पति बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	352	0.130	0.130	
		355	0.860	0.860	
			0.990	0.990	
7	सालगराम पिता धीसा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	353	0.080	0.080	
		354	0.250	0.250	
			0.330	0.330	
8	बालचंद पिता रामलाल जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भण्डावत शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय भूमि स्वामी	357	0.600	0.200	
			0.600	0.200	
9	कनीराम पिता कालू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	358/3	0.130	0.130	
			0.130	0.130	
10	गोरीलाल पिता कालू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	358/4	0.130	0.130	
			0.130	0.130	

11	पुरसिंह दत्तक पुत्र कालू हि 3/4 जडाव बाई पुत्री किशन हि 0 1/4 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम	359	4.950	4.650	
			योग	4.950	4.650
12	जाहिद शाह, आबिद शाह, शादिकशाह आरीफशाह, पुत्रगण सुलतान शाह, ईरशाद बी, बेबी बी, नीमा बी, उर्फ दिलशाद बी, पुत्रीयां सुलतान शाह, आमना बी वि० सुलतान शाह जाति पठान पता निवासी ग्राम भण्डावत शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय	360	0.410	0.410	
			योग	0.410	0.410
13	जुले खा बेगम वि. शफीमोहम्मद पिता फिदाहुसैन जाति पठान पता निवासी ग्राम भण्डावत	361	0.410	0.410	
			योग	0.410	0.410
14	हनीफा बी पिता मु० फकीर मोहम्मद जाति पठान पता निवासी ग्राम भण्डावत शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय	362	0.410	0.410	
			योग	0.410	0.410
15	देव जी पिता धीसा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	364	1.040	1.040	
			योग	1.040	1.040
16	बाई विधवा देवीसिंह रोड़मल मानसिंह पिता निवासीह सुरज बाई पुत्री देवीसिंह जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भण्डावत शासकीय पट्टेदार अहस्तांतरणीय	365	0.500	0.500	
			योग	0.500	0.500
17	रामबाबू पिता सेवा जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	366	0.500	0.430	
			योग	0.500	0.430
18	बनेसिंह पिता सुजान जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भण्डावत भूमि स्वामी	372	1.200	0.500	
			योग	1.200	0.500
महायोग			13.400	11.930	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला शाजापुर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

क्र. भू-अर्जन-2017-123

शाजापुर, दिनांक 03 नवम्बर 2017

-:: अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013:-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निर्मांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	5	6
शाजापुर	शुजालपुर	दुग्धा	0.476	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	ग्राम दुग्धा से लाहरखेड़ा मार्ग निर्माण

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रक्खा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कमलसिंह पिता चंद्रसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	91/2	0.826	-	0.826	0.084	-	0.084
2	एलमसिंह पिता चंद्रसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	91/1	0.826	-	0.826	0.073	-	0.073
3	रामसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	93/2 min2	1.258	-	1.258	0.134	-	0.134
4	परवतसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	93/2 min1	0.886	-	0.886	0.134	-	0.134
5	केशरसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	93/2 min3	1.258	-	1.258	0.010	-	0.010
6	देवकरण, राजकुमार, रामनाथ पिता हुकुमसिंह, धापूबाई वि.हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	93/3	0.105	-	0.105	0.010	-	0.010
7	रामबाबू उर्फ पिटू द.पु.बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी	96/5	0.732	-	0.732	0.031	-	0.031
		-	-	-	Total	0.476	-	0.476

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2017-124

-:: अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
अधिकार, अधिनियम 2013 ::-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक 1 से 4 में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की है कि राज्य शासन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर/भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में कर सकेगा :-

अनुसूची (01)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	5	6
1	2	3	4		
शाजापुर	पोलायकलौं	पोलायकलौं	1.708	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	देवगुलर जोड़-अरंडिया से अवंतिपुर बडोदिया मार्ग निर्माण

अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विक्रमसिंह पिता लीलाधर हिस्सा 1/2 उज्जगल कुमार ना.बा.पिता हरिनारायण सरपरस्त पिता स्वयं हिस्सा 1/2 जाति खाती निवासी ग्राम	159/4, 159/6 शा. नं. 160, 161/1, 161/2, 163	-	-	0.157	-	0.041	0.041
2	श्रीराम पिता मंसूरसिंह जाति खाती निवासी ग्राम	57/6209 /2 min 1 159/5/2	-	-	0.263	-	0.020	0.020
	Total-2				0.130	-	0.053	0.053
					0.393	-	0.073	0.073
3	हेमराज पिता हरिचरण जाति खाती निवासी ग्राम	57/6209 /1 min 1 159/5/2	-	-	0.595	-	0.021	0.021
	Total-2				0.130	-	0.052	0.052
					0.725	-	0.073	0.073
4	रामप्रसाद, सुखराम, वृद्धावन पिता गणपत हिस्सा 1/3 समभाग, प्रहलादसिंह, लीलाबाई, कमलाबाई, भागवंताबाई पिता उमरावसिंह कैलाश, बाबूलाल, विहारीलाल, निर्मलाबाई, सोदराबाई पिता रणछोड, गीतादेवी बेवा रणछोड हिस्सा 2/3 समभाग जाति खाती निवासी ग्राम	5668/1	-	-	2.602	-	0.167	0.167
5	देवकरण दत्तक पुत्र मंगाजी जाति खाती निवासी ग्राम	5603 5667 Total-2	-	-	2.916 0.167 3.083	-	0.073 0.042 0.115	0.073 0.042 0.115
6	रामसिंह पिता जगन्नाथ जाति खाती निवासी ग्राम	5666/2	-	-	1.348	-	0.124	0.124
7	भंवरलाल पिता गंगाधर जाति खाती निवासी ग्राम	5665/1	-	-	1.338	-	0.184	0.184

8	विष्णुप्रसाद पिता माखनसिंह जाति खाती निवासी ग्राम	5625/1	-	-	0.700	-	0.084	0.084
9	रामेश्वर पिता माखनसिंह जाति खाती निवासी ग्राम	5625/2	-	-	0.700	-	0.084	0.084
10	देवकरण पिता रुग्नाथसिंह सुमित्राबाई सुशीलाबाई पुत्री रुग्नाथ सिंह जाति खाती निवासी ग्राम	5604	-	-	1.411	-	0.060	0.060
11	बद्लदयसिंह पिता जगन्नाथ जाति खाती निवासी ग्राम	5606/2	-	-	0.596	-	0.050	0.050
12	सुन्दरलाल पिता देवकरण जाति खाती निवासी ग्राम	5608	-	-	0.930	-	0.030	0.030
13	चंद्रबाई बैवा धासीराम पूजाबाई, सीनाबाई, अंकिताबाई, पवन, कुंदन ना.वा.सरपरस्त माता चंद्रबाई व सुलोचनाबाई पवित्राबाई, धापूबाई, बसकन्याबाई, बिन्दाबाई, रमकुबाई पिता धासीराम जाति खाती निवासी ग्राम	3560/1	-	-	0.105	-	0.031	0.031
14	जयराम पिता छोतरसिंह जाति खाती निवासी ग्राम	3560/4/ 2 min 1	-	-	0.078	-	0.010	0.010
15	भगवतसिंह पिता छोतरसिंह जाति खाती निवासी ग्राम	3560/4/ 1 min 1	-	-	0.076	-	0.011	0.011
16	मूलचंद पिता नानाजी जाति खाती निवासी ग्राम	3556/1	-	-	0.188	-	0.031	0.031
17	राजेन्द्रसिंह पिता माखनसिंह जाति खाती निवासी ग्राम	3556/2	-	-	0.094	-	0.031	0.031
18	किशोरसिंह पिता आत्माराम जाति खाती निवासी ग्राम	2650/2/ 1 min-1	-	-	0.026	-	0.016	0.016
19	मदनलाल पिता आत्माराम जाति खाती निवासी ग्राम	2650/2/ 1 min-2	-	-	0.026	-	0.016	0.016
20	प्रेमसिंह पिता सीताराम जाति खाती निवासी ग्राम	2650/4	-	-	0.105	-	0.074	0.074
21	कैलाशनारायण, कमलसिंह, धीरेन्द्रकुमार पिता बाबूलाल, सोरमबाई विधवा बाबूलाल निवासी ग्राम	2650/5/ 1	-	-	0.063	-	0.042	0.042
22	भगवंतीबाई विधवा राजाराम, शिवनारायण पिता राजाराम जाति खाती निवासी ग्राम	2649/2 min-1	-	-	0.031	-	0.010	0.010
23	सीताराम पिता नाथूलाल जाति खाती निवासी ग्राम	2649/2 min-2	-	-	0.031	-	0.010	0.010
24	कान्तिलाल पिता नाथूलाल जाति खाती निवासी ग्राम	2649/2 min-3	-	-	0.031	-	0.010	0.010
25	दामोदर पिता गिरराज जाति माहेश्वरी व राधेश्याम पिता अनोखीलाल जाति खाती निवासी ग्राम	2729/3	-	-	0.042	-	0.021	0.021
26	देवबाई बैवा आत्माराम, राधेश्याम, बाबूलाल पिता आत्माराम रामकुवरबाई, कृष्णबाई, शिप्राबाई पुत्री आत्माराम हिस्सा 6/7 राजेश, रेखाबाई पिता किशोरसिंह हिस्सा 1/7 जाति खाती निवासी ग्राम	2668/2	-	-	0.042	-	0.031	0.031
27	रामचंदर पिता नन्दूलाल लखनलाल, राकेशकुमार, संजयकुमार पिता शिवनारायण, धीसीबाई बैवा शिवनारायण जितेन्द्र कुमार पिता गौरीशंकर, सुगनबाई विधवा गौरीशंकर जाति खाती निवासी ग्राम	2668/3	-	-	0.084	-	0.052	0.052
28	धरमसिंह, करणसिंह, प्रेमसिंह, राधेश्याम, विष्णु पिता उमरावसिंह, अयोध्याबाई हिस्सा 1/3 समभाग सेवाराम, भगवतीप्रसाद पिता रुग्नाथ सिंह हिस्सा 2/3 समभाग जाति खाती निवासी ग्राम	3532 3533 सीन शामिल नंबर 3534, 3535	-	-	0.125 2.100	-	0.050 0.177	0.050 0.177
	Total-2	-	-	-	2.225	-	0.227	0.227
	Total	-	-	-	18.468	-	1.708	1.708

नोट—भूमि के नवशे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर / भू—अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग,

क्र. भू-अर्जन-2017-18405

—: अनुसूची :—

राजगढ़ दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम मदापुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम मदापुरा				
स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	चन्द्रसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	15/1/1	0.040	0.040
2	चन्द्रसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/3	0.097	0.097
3	चन्द्रसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/2	0.103	0.023
4	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	15/1/2	0.137	0.137
5	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	34/1/3	0.025	0.025
6	हरिसिंह पिता गंभीरसिंह	35/1/1	0.078	0.050
7	भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/1	0.030	0.030
8	भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	17/1	0.107	0.107
9	भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/4	0.026	0.026
10	भंवरसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	35/1/2	0.078	0.050
11	भगवानसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	16/1/2	0.137	0.137
12	भगवानसिंह पिता गंभीरसिंह जाति राजपूत	34/1/1	0.103	0.022
13	ख्युवीरसिंह बनेसिंह धरनाथसिंह पिता इन्द्रसिंह मनोहरकुंवर भंवरकुंवर पिता इन्द्रसिंह अतंरकुंवर बेवा इन्द्रसिंह जाति राजपूत	44/2/1	0.139	0.139
14	सालकुंवर बेवा सुरजसिंह जाति राजपूत	43/1	0.455	0.455
15	बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़	21/1/1	0.069	0.069
16	बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़	23/1	0.240	0.204

17	बालकिशन बनावडे पिता कन्हैयालाल जाति कुम्हार निवासी राजगढ़	24/1	0.335	0.335
18	पूरजी पिता गोपीलाल जाति तंवर	18/1	0.759	0.759
19	फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़	18/2	0.152	0.152
20	फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़	19	0.013	0.013
21	फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़	21/2	0.152	0.152
22	फिरोज खान पिता छोटेखां निवासी राजगढ़	22/2	0.354	0.354
23	गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर	27	0.190	0.190
24	गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर	28	0.139	0.139
25	गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर	112/1	0.265	0.265
26	गंगाराम पिता किशनलाल जाति तंवर	37/1	0.273	0.273
27	धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर	36/2	0.472	0.472
28	धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर	29/2	0.127	0.127
29	धूलीबाई पति गंगाराम जाति तंवर	30/2	0.098	0.098
30	धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर	36/1	0.236	0.236
31	धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर	29/1	0.063	0.063
32	धूलजी मेहताब पिता मनीराम चतरीबाई बेवा मनीराम गोराबाई रम्कूबाई पिता मनीराम जाति तंवर	30/1	0.016	0.016
33	रघुनाथ रमेश पिता कनिराम रेशमबाई पुत्री कनिराम जाति तंवर	41	0.810	0.557
34	गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवलाल सुरज धापूबाई कमलाबाई पिता बालाबक्ष जाति नाई निवासी राजगढ़	42	0.911	0.911
35	गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई	40	0.885	0.885
36	गोपाल कैलाश जगदीश पिता शिवलाल राजूबाई बेवा शिवनारायण जाति नाई	45	0.531	0.531
37	धूलजी पिता दोलजी जाति तंवर	46	1.063	0.810
38	धूलजी पिता दोलजी जाति तंवर	47	0.468	0.348
39	मांगीलाल पिता नन्दा जाति तंवर	50	0.696	0.230
40	अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	26/1	0.152	0.152
41	अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	38/1	0.050	0.050
42	अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	49/4	0.133	0.040

43	अमरसिंह पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	112/4	0.549	0.367
44	नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भंवरलाल मांगीबाई बेवा भवंरलाल हि. 17 पैसा कालू कन्हैयालाल राधीबाई पिता गोरधन सम्पतबाई बेवा गोरधन हि. 83 पैसा जाति तंवर	114/1	0.586	0.057
45	अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर	33/4/1	0.073	0.015
46	अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर	39/1/3	0.147	0.147
47	अमरसिंह पिता तुलसीराम जाति तंवर	56/1/2	0.107	0.054
48	रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर	33/4/2	0.074	0.015
49	रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर	39/1/2	0.148	0.148
50	रामप्रसाद पिता तुलसीराम जाति तंवर	56/1/3	0.108	0.054
51	रामचन्द्र पिता तुलसीराम जाति तंवर	33/4/3	0.074	0.014
52	रामचन्द्र पिता तुलसीराम जाति तंवर	39/1/1	0.148	0.148
53	रामचन्द्र पिता तुलसीराम जाति तंवर	56/1/1	0.108	0.055
54	बद्रीलाल पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	37/3	0.201	0.201
55	बद्रीलाल पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	112/6	0.513	0.367
56	हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	37/2	0.108	0.108
57	हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	38/2	0.093	0.093
58	हजारी पिता परसराम दोलीबाई बेवा परसराम जाति तंवर	112/5	0.512	0.340
59	नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भंवरलाल मांगीबाई बेवा भवंरलाल	39/2	0.147	0.147
60	नारान भारत दरियावबाई जानीबाई पिता भंवरलाल मांगीबाई बेवा भवंरलाल	55/3	0.078	0.034
61	कन्हैयालाल पिता गोरधन राधीबाई पति गोरधन जाति तंवर	39/3	0.148	0.148
62	बालू पिता गोरधन राधीबाई पति गोरधन जाति तंवर	39/4	0.147	0.147
63	हरिसिंह पिता किशनलाल जाति तंवर	112/2	0.669	0.367
64	करणसिंह पिता किशनलाल जाति तंवर	112/3	0.668	0.367
65	प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवा भोनजी जाति तंवर	38/3	0.553	0.553

66	प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवा भोनजी जाति तंवर	26/2	0.050	0.050
67	प्रेमसिंह पिता भोनजी अमरीबाई बेवा भोनजी जाति तंवर	112/7	0.846	0.135
68	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	15/2	0.177	0.012
69	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	16/2	0.263	0.111
70	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	17/2	0.108	0.078
71	हेमसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत	35/2	0.156	0.065
72	गुलाबसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर	43/2	0.127	0.127
73	गुलाबसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर	44/1	0.329	0.329
74	गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़	21/1/2	0.070	0.070
75	गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़	22/1/2	0.069	0.069
76	गोपाल पिता रामचन्द्र गुप्ता महाजन निवासी राजगढ़	24/2	0.335	0.125
77	कमलसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर	44/2/2	0.316	0.316
कुल योग :-			20.012	15.202

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व)

राजगढ़ जिला राजगढ़ के कर्मान्वय में किया जा सकता है।

क्रमांक 18406 भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम खापिड्यापुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम खापिड्यापुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रक्बा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	चैना पिता देवा जाती चमार	17	0.557	0.557

2	जगदीश पिता गोपीलाल जाती दांगी	19/1	0.753	0.447
3	जगदीश पिता गोपीलाल जाती दांगी	18/1	0.208	0.163
4	गोरखन पिता गोपीलाल जाती दांगी	18/2	0.209	0.011
5	गोरखन पिता गोपीलाल जाती दांगी	19/2	0.752	0.723
6	आनन्द किशोर पिता रामचरण जाती दांगी	19/3	1.897	0.877
7	हरिशंकर पिता प्रेमनारायण जाती दांगी	19/4	1.897	0.522
8	चैना पिता देवा जाती चमार	44/9/1	1.265	0.321
9	चैना पिता देवा जाती चमार	44/9/2	1.770	1.326
10	रामसिंह पिता देवजी जाति सौधिया	44/8	4.679	1.438
11	मांगीलाल पिता हीरालाल जाति सौधिया	44/11/1	1.517	0.144
12	धापू बाई बेवा जगन्नाथ जाती सौधिया	44/10/3	1.399	1.391
13	रोडजी पिता जगन्नाथ जाती सौधिया	44/10/2	0.263	0.263
14	श्रीलाल पिता जगन्नाथ जाती सौधिया	44/10/1	1.363	0.656
15	परबतसिंह पिता रामसिंह जाती सौधिया	44/4	2.086	0.929
16	बालूसिंह पिता हीरालाल	44/5/1	0.809	0.631
17	नारायणसिंह पिता रायसिंह	44/5/2	0.917	0.321
18	बनैसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया	44/2/1	0.463	0.463
19	प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह सुनील ना.बा. पिता हिम्मतसिंह	44/2/2	0.464	0.464
20	भारतसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया	44/2/3	0.464	0.295
21	मुरली पिता जगन्नाथ जाति सौधिया	44/6/1	0.416	0.173
22	जगदीश ,महेन्द्रसिंह ,बलवन्तसिंह पिता दरियावसिंह ,नवल बाई बिधवा दरियावसिंह	44/12	4.692	1.993
23	बनैसिंह पिता भंवरजी जाति सौधिया	40/4/1	1.796	0.552
24	प्रेमबाई बेवा हिम्मतसिंह ,सुनील पिता हिम्मतसिंह	40/4/2	1.795	0.088
25	रामनिवास पिता परबतसिंह जाति सौधिया	36/1/1	0.164	0.124
26	श्याम पिता परबतसिंह जाति सौधिया	36/1/2	0.165	0.165
27	सरजनसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	36/2	0.329	0.329
28	कमलसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	36/3	0.329	0.329
29	दिनेश पिता बजेसिंह जाति सौधिया	36/4	0.329	0.239
30	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह ,भंवरी बाई विधवा प्रेमसिंह जाति सौधिया	34/2	0.885	0.885
31	रोडजी पिता जगन्नाथ जाती सौधिया	34/1	0.342	0.202
32	दिनेश पिता बजेसिंह जाति सौधिया	35/4	0.499	0.450
33	कमलसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	35/3	0.499	0.251
34	सरजनसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	35/2	0.500	0.219

35	रामनिवास पिता परबतसिंह जाति सौधिया	35/1/1	0.250	0.168
36	श्याम पिता परबतसिंह जाति सौधिया	35/1/2	0.250	0.170
37	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, भंवरी बाई विधवा प्रेमसिंह जाति सौधिया	37	1.354	0.745
38	द्रोपती बाई पिता कालू जाती सौधिया	39	0.228	0.012
39	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, भंवरी बाई विधवा प्रेमसिंह जाति सौधिया	97/1	0.300	0.075
40	रोडजी पिता जगन्नाथ जाती सौधिया	97/2	0.269	0.269
41	सत्यनारायण पिता धीसालाल	98/2	2.000	1.346
42	लाडबाई पिता गोरीलाल, कंचन बाई बेवा गोरीलाल जाति सौधिया	98/1	0.640	0.029
43	मोतिलाल धूली बाई, नौरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया	110	0.253	0.116
44	बीरमसिंह धिरपसिंह रतनबाई अनोखाबाई अमरीबाई कमलाबाई ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया	111	0.316	0.316
45	लाडकुंवर पल्लि धीसालाल जाति सौधिया	113	0.937	0.718
46	बीरमसिंह धिरपसिंह रतनबाई अनोखाबाई अमरीबाई कमलाबाई ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया	114	0.013	0.013
47	मोतिलाल धूली बाई, नौरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया	112	0.038	0.038
48	कमलसिंह पिता बजेसिंह जाति सौधिया	117	0.190	0.069
49	मोतिलाल धूली बाई, नौरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया	116	0.138	0.138
50	गजराज पिता शिवसिंह जाति सौधिया	122/1/1	0.168	0.101
51	किशनलाल शिवसिंह जाति सौधिया	122/1/2	0.169	0.147
52	कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया	122/1/3	0.169	0.149
53	बीरमसिंह धिरपसिंह रतनबाई अनोखाबाई अमरीबाई कमलाबाई ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया	124	0.455	0.455
54	लाडबाई पिता गोरीलाल, कंचन बाई बेवा गोरीलाल जाति सौधिया	133	0.797	0.290
55	मोतिलाल धूली बाई, नौरंगबाई पिता गोपीलाल जाति सौधिया	126	1.543	0.069
56	बीरमसिंह धिरपसिंह रतनबाई अनोखाबाई अमरीबाई कमलाबाई ललताबाई पिता मावसिंह केसरबाई बेवा मावसिंह जाति सौधिया	125	0.531	0.531

57	लाडबाई पिता गोरीलाल ,कंचन बाई बेवा गोरीलाल जाति सौधिया	123/1	0.921	0.921
58	कंकूबाई,धापूबाई पिता नारूजी जाति सौधिया	123/2	0.253	0.173
59	बनैसिंह पिता भवरजी जाति सौधिया	252/1/3	0.299	0.011
60	गीता बाई बेवा गंगाराम ,मांगी बाई, रिकू बाई,एलकार पिता गंगाराम जाति सौधिया	252/1/6	0.693	0.161
61	परबतसिंह पिता गोपीलाल जाति चमार	252/1/8	1.265	0.430
62	पन्नालाल पिता परथी जाति चमार	252/1/7	0.455	0.312
63	बिरम पिता हीरालाल जाति चमार	252/1/1/2	0.690	0.622
64	रोडजी पिता हीरालाल जाति चमार	252/1/1/1	0.690	0.047
65	जगदीश गोरखन पिता गोपीलाल जाती दांगी	1 / 1 / 1	0.759	0.002
66	बनैसिंह पिता भवरलाल	1 / 1 / 2	3.035	0.004
67	नारायणसिंह पिता रायसिंह जाति सौधिया	33/1/2	0.429	0.015
68	श्रीलाल पिता जगन्नाथ जाती सौधिया	28/2 .1	0.601	0.463
69	मुरली पिता जगन्नाथ जाति सौधिया	28/2 .2	0.601	0.278
70	मोहनलाल पिता वागजी	28 / 5 .1	2.000	0.057
	कुल रकबा		60.171	27.401

भूमि के नक्शे (लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 18407-भू-अर्जन-2017

दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाइन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रधुनाथगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उद्यित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम रघुनाथगढ़

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	पन्नालाल पिता तुलाराम जाति भोई	32/2	4.300 ✓	1.720 ✓
2	दयाराम प्रेम भगवानसिंह पिता धूलजी तुलसीबाई सरदारबाई लक्ष्मीबाई कबूबाई गंगाबाई पिता धूलजी निवासी प्रतापगंज	32/5 //	3.667 ✓	1.237 ✓
3	नारायण पिता छोटेलाल बिहारीलाल पिता शिवनारायण जाति भोई	33	0.253 ✓	0.215 ✓
4	शिवनारायण पिता तुलाराम जाति भोई	32/3/1	2.099 ✓	1.460 ✓
5	मधु पति सुरेन्द्र सक्सेना जाति धाकड़ निवासी राजगढ़	32/3/2	1.189 ✓	1.189 ✓
कुल योग :-			11.508	5.821

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 18408-भू-अर्जन-2017

दिनांक 21 नवम्बर 2017

कमांक /भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक /अ-82/2016-2017 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रामपुरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण प्रभावित भूमि :—ग्राम रामपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद आ. देवचन्द्र खुशीलाल पिता किशनलाल	48/10 ✓	3.124 ✓	0.321 ✓
2	रामप्रसाद आ. देवचन्द्र खुशीलाल पिता किशनलाल	48/11 ✓	0.506 ✓	0.026 ✓
3	रामप्रसाद देवचन्द्र वगैरहा	48/12 ✓	0.481 ✓	0.180 ✓
4	गिरधारी पिता सौलाल जाति तंवर	48/4/1 ✓	2.024 ✓	0.513 ✓
5	मनिराम पिता सौलाल जाति तंवर	48/4/2 -	0.505 ✓	0.165 ✓
6	धापूबाई पति अमरसिंह जाति तंवर	48/7/2	1.139 ✓	0.363 ✓
7	शैतानबाई पति नगाजी जाति तंवर	62/4 ✓	0.698 ✓	0.357 ✓
8	शैतानबाई पति नगाजी जाति तंवर	48/14 ✓	3.920 ✓	0.005 ✓
कुल रकबा			12.397	1.930

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 18531-भू-अर्जन-2017

दिनांक 25 नवम्बर 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना, तहसील -राजगढ़, जिला-राजगढ़ की ग्राम-रोज्या के लिए रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित ढूब क्षेत्र, एप्रोच नहर के निर्माण के लिए भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि, निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित ढूब क्षेत्र, एप्रोच नहर की भूमि का भू-अर्जन (पूरक) प्रस्ताव, ग्राम —रोज्या

तहसील :- राजगढ़

जिला :- राजगढ़

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	एकबा (हे.में.)	प्रभावित एकबा (हे.में.)
1	प्रेमबाई मनोहरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	104/1/1	0.088	0.055
	किता	1	0.088	0.055
2	बंशीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	614/1/1	0.349	0.349
	किता	2	0.698	0.698
3	देवीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	614/1/2	0.696	0.696
	किता	1	0.696	0.696
4	भंवरलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	614/2/1	0.696	0.696
	किता	1	0.696	0.696
5	बालूसिंह पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	614/3/1	0.523	0.523
	किता	1	0.523	0.523
6	रामप्रसाद पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	614/3/2	0.523	0.523
	किता	1	0.523	0.523
7	रामचरण, बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	106/1	0.095	0.095
	किता	2	0.095	0.095
8	सुरेश पिता लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 104/2 105/2 72/2	0.082 0.076 0.088	0.082 0.076 0.040
	किता	3	0.246	0.198
9	रंगलाल पिता शिवनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	105/1 104/1/2 78/4	0.076 0.083 0.114	0.005 0.083 0.114
	किता	3	0.273	0.202

संख्या	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकवा (हे.मे.)	प्रभावित रकवा (हे.मे.)
10	महेशकुमार पिता बापूलाल, मुकेश कुमार पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	95 88	0.152 0.190	0.100 0.190
	किता	2	0.342	0.290
11	चंद्रलाल, राधेश्याम, पिता शिवजी, पुत्री डालूबाई, सुगनबाई पिता शिवजी मु. भूलीबाई बेवा शिवजी मांगीलाल, फूलसिंह पिता सुखराम पुत्री भवरीबाई, गुलाबबाई, मेहताबाई, जानीबाई पिता सुखराम, गोपाल देव्या जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	89 90 91	0.013 0.025 0.025	0.013 0.025 0.025
	किता	3	0.063	0.063
12	मांगीलाल, फूलसिंह पिता सुखराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	92 87 93	0.025 0.164 0.152	0.015 0.020 0.089
	किता	3	0.341	0.124
13	रामचन्द्र पिता जगन्नाथ, जसोदाबाई बेवा बापूलाल, कमलसिंह, कमलबाई बेवा बापूलाल, धापूबाई, प्रेमबाई पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	81/1 83	0.139 0.038	0.139 0.038
	किता	2	0.177	0.177
14	कमलसिंह पिता बापूलाल ना. बा. सर. जगन्नाथ पिता बापूलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	82	0.051	0.051
	किता	1	0.051	0.051
15	किशनलाल पिता रामलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	81/2 84	0.139 0.013	0.109 0.013
	किता	2	0.152	0.122
16.	रामचन्द्र, इन्द्ररसिंह, ग्यारीबाई, छीतीबाई, मैनाबाई पिता श्रीलाल चतरीबाई बेवा श्रीलाल, मदनलाल पिता रुद्धनाथ, अगृतलाल, जगदीश पिता मोहनलाल गुणबाई बेवा मोहनलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	146 147	0.051 0.544	0.051 0.040
	किता	2	0.595	0.091
17	रंगलाल, शिवनारायण, कुशलसिंह पिता लक्ष्मीचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	198	0.772	0.240
	किता	1	0.772	0.240
18	दोलजी पिता अमरसिंह, कंकूबाई बेवा रामलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	327	0.696	0.075
	किता	1	0.696	0.075
19	बालूसिंह पिता धीरपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	320/2	0.131	0.009
	किता	1	0.131	0.009
20	रामकंठरीबाई पिता बालू जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी	215/1	0.063	0.020
	किता	1	0.063	0.020
21	कमलसिंह पिता दोलजी जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी	503	0.114	0.024
	किता	1	0.114	0.024

सं.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
22	कमलाबाई पिता इन्द्रसिंह जाति राँधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	320/1	0.131	0.009
	किता	1	0.131	0.009
23	रामचरण पिता भवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	108/4/3	0.017	0.017
		107/4/3	0.038	0.038
		77/1	0.089	0.045
	किता	3	0.144	0.100
24	मांगीलाल पिता भवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	108/4/1	0.017	0.017
	किता	1	0.017	0.017
25	शिवनारायण, मनोहर पिता मांगीलाल, धीरेश्वराई बेवा मांगीलाल, नाथू धूलजी पिता शोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	190	0.531	0.178
		142	0.089	0.007
	किता	2	0.620	0.185
26	बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	202/2/1	0.050	0.050
	किता	1	0.050	0.050
27	हजारी पिता धूलजी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	143	0.304	0.072
	किता	1	0.304	0.072
28	रामप्रसाद, बापूलाल, आयोध्याबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	103/4	0.076	0.076
	किता	1	0.076	0.076
29	प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	108/3	0.051	0.051
	किता	1	0.051	0.051
30	शिवनारायण पिता नाथू जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	244/2	0.084	0.040
		245/2	0.021	0.021
		220/1	0.038	0.030
		222	0.152	0.076
	किता	4	0.295	0.167
31	देवीलाल पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	244/3/1	0.035	0.012
		96/2	0.190	0.065
		120/2/1	0.019	0.019
		245/3/1	0.010	0.010
	किता	4	0.254	0.106
32	कर्हैयालाल सितू बद्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	71/3	0.076	0.008
		244/3/2	0.035	0.013
		120/2/2	0.019	0.019
		245/3/2	0.011	0.011
	किता	4	0.141	0.051
33	उरसिंह पिता देवीलाल जाति अनुसूचित नि.ग्राम भू-स्वामी	12/1	1.012	0.200
	किता	1	1.012	0.200

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.गे.)	प्रभावित रकबा (हे.गे.)
1	2	3	4	5
34	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दाँगी ग्राम भू-स्वामी	108/4/2	0.017	0.017
		107/4/2	0.038	0.033
	किता	2	0.055	0.050
35	बंशीलाल पिता धुलीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	620/1	0.217	0.100
	किता	1	0.217	0.100
36	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	246	0.228	0.190
	किता	1	0.228	0.190
37	कुमेरसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया ग्राम भू-स्वामी	10/1/1	1.430	0.430
	किता	1	1.430	0.430
	किता	64	12.455	6.921

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविगाहीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 18532-भू-अर्जन-2017

दिनांक 25 नवम्बर 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्विवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम सिरपोई के लिये ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्विवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - सिरपोई		तहसील - जीरापुर	
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	269.494	253.295
	योग	269.494	253.295

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

स. क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क.	शामिल सर्व न. का प्रथक प्रथक रकवा	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	रिमार्क
1	भंवरलाल, गोकुल, रमेश पिता मेहताब, बदनबाई, सरदार बाई, सोरमबाई पिता मेहताब अनुसुचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9993350438	1/1		4.047	4.047	
	योग				4.047	4.047	
2	शकीला बी पिता आबिद रजा जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9755567005	1/2		0.777	0.777	
			1/30		0.210	0.210	
			6/1 6/2		1.570	1.570	
			योग		2.557	2.557	
3	राधाबाई वि. कालूसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7024090443	1/3		1.809	1.809	
			योग		1.809	1.809	
4	लालसिंह आ. हजारी अमरीबाई बैवा हजारी जाति बंजारा पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/4, 185/2/1 186/3/1 1/97/3	0.170 0.151 0.543 0.036	0.864	0.864	
			योग		0.900	0.900	
			1/5, 185/3, 186/2 42 50	0.083 0.219 0.261 0.405 0.081	0.563	0.563	
			50/215		1.497	1.497	
			योग		2.546	2.546	
5	मोड़सिंह, तरवरसिंह, ईश्वरसिंह, सौनारसिंह पिता हिन्दूसिंह, स्वरूप कुंवरबाई वि. हिन्दूसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/6	0.170	0.352	0.352	
			185/4	0.182			
6		8435316041	1/23, 121/1, 122/3 1/32	0.445 0.210 0.049 0.388	0.704	0.704	
			योग		1.444	1.444	
			1/7/1 184/6/1	0.060 0.065	0.065	0.065	
			योग		0.125	0.125	
7	भामा आ. धन्ना जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7898842639					
			योग		0.125	0.125	

8.	कालूलाल, रामलाल, लालूराम पिता बद्वा मोहनबाई पिता बद्वा जाति घमार, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/8,	0.243	0.538	0.538	
			185/6	0.295			
			1/105		0.951	0.951	
	योग				1.489	1.489	
9.	नारायण पिता भेरु जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9753006045	1/10/1,	0.108	0.137	0.137	
			1/12/1/1	0.029			
			1/74/1		0.231	0.231	
			185/9/1		0.032	0.032	
			185/1/13		0.008	0.008	
			योग			0.408	0.408
10.	भवरिया पिता भेरु जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7747041182	1/10/2,	0.108	0.138	0.138	
			1/12/1/2	0.030			
			185/9/2		0.033	0.033	
			योग			0.171	0.171
11.	भगवानसिंह, प्रेमसिंह, पटवारसिंह पिता बिहारी, पानीबाई बैवा बिहारी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8223867942	1/10/3,	0.108	0.138	0.138	
			1/12/1/3	0.030			
			185/10/1		0.032	0.032	
			योग			0.170	0.170
12.	शिवाजी रोडूलाल पिता पेमा नैनीबाई बैवा येमा जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी		1/13,	0.020	0.073	0.073	
			185/8	0.053			
			योग			0.073	0.073
13.	नगा पिता हरीसिंह जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7747041182	1/14-		0.624	0.624	
			185/1/17		0.016	0.016	
			योग			0.640	0.640
14.	प्रेमसिंह पिता भंवरलाल हजारी किशना पिता भेरु जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/15		0.291	0.291	
			योग			0.291	0.291
			योग			0.291	0.291
15.	गजरीबाई वि. मानसिंह जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8435316041	1/17/1	0.008	0.016	0.016	
			185/12/1	0.008			
			योग			0.016	0.016
16.	भंवरलाल देवसिंह पिता श्यामा मांग्या बाणिया पिता बाला जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8120254100	1/17/2,	0.194	0.595	0.595	
			185/12/2	0.401			
			184/4		0.121	0.100	
			योग			0.716	0.695
17.	भंवरलाल देवसिंह पिता श्यामा जाति बंजारा ज्ञता नि. ग्राम भूमि स्वामी		187/1		1.096	1.096	
			190/2		1.477	1.227	
			योग			2.573	2.323
18.	अमरीबाई बिला गैंदा जाति अनुसुचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9630852457	1/21-		0.275	0.275	
			1/36		0.405	0.405	

सं. क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क.	शामिल सर्वे न. का प्रथक प्रथक रकवा	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	रिमार्क
18			1/37/		0.202	0.202	
			112/1		0.093	0.093	
			112/2		0.093	0.093	
			124/4		0.020	0.020	
			योग		1.088	1.088	
19	श्यामा, आ. धूला, जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/22/1	0.081	0.099	0.099	
			122/2/1	0.018			
			1/95/1		0.182	0.182	
			1/97/6		0.028	0.028	
			योग		0.309	0.309	
20	बिहारी आ. धूला, जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7747004497	1/22/2	0.081	0.099	0.099	
			122/2/2	0.018			
			185/2/2		0.400	0.400	
			1/95/2		0.182	0.182	
			1/97/5		0.028	0.028	
			योग		0.709	0.709	
21	दल्ला आ. धूला जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9981205545	1/22/3		0.081	0.081	
			1/95/3		0.182	0.182	
			1/97/4		0.027	0.027	
			योग		0.290	0.290	
			योग		0.283	0.283	
22	मांगू आ. धूला जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009520673	1/22/4	0.081	0.100	0.100	
			122/2/4	0.019			
			1/95/4		0.183	0.183	
			योग		0.283	0.283	
			योग		4.724	4.550	
23	नारायणसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	9993755783	1/24/1,	0.017	0.171	0.171	
			119/3/1	0.029			
			120/1	0.115			
			121/2/1	0.010			
			1/87/1		1.518	1.518	
			1/103		0.243	0.243	
			127/1/2		0.506	0.332	
			3	1.254	2.286	2.286	
			4	1.032			
			योग		4.724	4.550	
24	दशालसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	9630223767	1/24/2,	0.016	0.172	0.172	
			119/3/2	0.030			
			120/2	0.115			
			121/2/2	0.011			
			1/87/2		1.265	1.265	
			10/2/1		0.444	0.444	
			185/13		0.024	0.024	
			योग		1.905	1.905	
25	घशवंतसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	9685797104	1/24/3,	0.016	0.171	0.171	
			119/3/3	0.030			
			120/3	0.114			
			121/2/3	0.011			
			1/87/3		1.264	1.264	
			10/2/2		1.943	1.943	
			11		1.153	1.153	
			12		0.202	0.202	
			योग		4.733	4.733	

सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क्र.	शामिल सर्वे नं. का प्रथक प्रथक रकवा	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	रिमार्क
26	रामबाबू पिता भामा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7898842639	1/25/1		0.178	0.178	
	योग				0.178	0.178	
27	जग्ना पिता धन्ना जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7440562332	1/25/2		0.178	0.178	
	योग				0.178	0.178	
28	रामा आ. मोती गायत्रीबाई बैवा राधेश्याम विकास शिवम अभिषेक शोभा खुशबू आ.राधेश्याम ना.बा. सरपर माता गायत्रीबाई बैवा राधेश्याम प्रेमबाई, कसूबाई, भगूबाई पिता मोती, गोपी कंवरलाल पिता नाथू जाति नाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/26,	0.178	0.267	0.267	
	योग		119/2	0.089			
29	रामाकुंवर बैवा प्रेमसिंह प्रध्यीराज सिंह अभयसिंह पिता प्रेमसिंह ना.बा.सरपरस्त माता रामाकुंवर बैवा प्रेमसिंह दरगालासिंह लाखनसिंह अत्मज प्रहलादसिंह जाति राजपूत पता नि. भूमि स्वामी	7869559339	1/27/1	0.045	0.290	0.290	
	योग		118/2	0.235			
			119/6/1	0.010			
			35/2/1		0.945	0.945	
			64/1		2.149	2.149	
			85/1		0.101	0.101	
			86/1		0.101	0.101	
			87/1		0.247	0.247	
	योग				3.833	3.833	
30	राजकुवरबाई बैवा प्रहलादसिंह महेन्द्र सिंह दिलीपसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9755440806	1/27/2,	0.044	0.289	0.289	
	योग		118/1,	0.235			
			119/6/2	0.010			
			35/2/2		0.946	0.946	
			64/2		2.149	2.149	
			85/2		0.101	0.101	
			86/2		0.101	0.101	
			87/2		0.247	0.247	
	योग				3.833	3.833	
31	राधाबाई आ. कालूसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7024090443	1/28,	0.016	0.421	0.421	
	योग		99/16	0.405			
32	कंवरिया पिता नाथू नारान पिता प्रभु रतनबाई बैवा प्रभु जाति अनुसुचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/29		0.049	0.049	
	योग		1/80		1.680	1.680	
			1/83		2.023	2.023	
			124/9		0.032	0.032	
			125/1		0.227	0.227	
			125/2		0.032	0.032	
			125/3		0.040	0.040	
	योग				4.083	4.083	
33	भागीरथ प्रभु झैलाश घनश्याम शातिबाई कबूबाई आ. अनार जाति नाई नि.ग्राम भूमि स्वामी		1/31/1		0.142	0.142	
	योग		34		0.239	0.239	
					0.381	0.381	
	श्रीमति नूरजहाँ बी पति मोहम्मद शकिल जाति मुसलमान नि.ग्राम भूमि स्वामी	942544049	1/31/2		0.052	0.052	
	योग		17/2		0.253	0.253	

सं. क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क्र.	शामिल सर्व न. का प्रथक प्रथक रकमा	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा	टिप्पणी
34			29		0.012	0.012	
			40	0.206	0.226	0.226	
			99/17	0.020			
			52	0.559	1.207	1.207	
			53	0.648			
			54		0.910	0.910	
			55		0.166	0.166	
			56/1		0.321	0.321	
			91/2		0.876	0.876	
			99/12/2		0.094	0.094	
			104/1		0.431	0.431	
			105		0.607	0.607	
			129/1		0.193	0.193	
			योग			5.348	5.348
35	काल्यूराम बद्रीलाल दयाराम आ. छीता हरकू बाई बैवा छीता जाति अनुसुचित जाति निग्राम भूमि स्वामी		1/38		2.000	2.000	
			योग			2.000	2.000
36	लक्ष्मण पिता अमरा जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/53		2.023	2.023	
			योग			2.023	2.023
37	विजयसिंह आ. नाथूलाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9993067161	1/54		1.222	1.222	
			62/1/2		6.611	6.611	
			77		1.372	1.372	
			योग			9.205	9.205
38	लालू पिता गिरधारी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9630917334	1/55		1.000	1.000	
			योग			1.000	1.000
39	हीरा पिता नारायण जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9753006045	1/56		1.000	1.000	
			योग			1.000	1.000
40	देवीसिंह पिता भंवरलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7747041182	1/57		0.833	0.833	
			1/61		0.167	0.167	
			योग			1.000	1.000
41	सागर आ. प्रेमसिंह जाति सोधिया नि.ग्राम आमलाले भूमि स्वामी	9009008654	1/58		0.938	0.938	
			1/66		1.000	1.000	
			1/67		1.000	1.000	
			योग			2.938	2.938
42	हीरा पिता धन्ना जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7247303209	1/60		1.052	1.052	
			योग			1.052	1.052
43	पप्पू संजू बबलू पिता समवन्द्र रामकुवरबाई निर्मलाबाई कृष्णाबाई पिता रामवन्द्र जाति धोबी निग्राम झाडमउ भूमि स्वामी		1/68		1.176	1.176	
			योग			1.176	1.176

सं. क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क.	शामिल सर्वे न. का प्रथक प्रथक रकवा	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	रिमार्क
44	बनेसिंह, राधेश्याम, भागीरथ पिता दल्ला, जाति बंजारा, पता नि. ग्राम भूमि खाली	9752341383	1/69		1.000	1.000	
			1/98/1		0.112	0.112	
			योग		1.112	1.112	
45	गंगाराम पिता मोती जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि खाली	8435085284	1/70		0.657	0.657	
			योग		0.657	0.657	
46	भगीरथ पिता नाशयण जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि खाली	9752341383	1/74/2		0.289	0.289	
			योग		0.289	0.289	
47	नर्मदाबाई पति गंगाराम जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि खाली	9753006045	1/74/3		0.289	0.289	
			योग		0.289	0.289	
48	शफीक अहमद पिता सईद खौं जाति मुसल्मान पता नि. ग्राम भूमि खाली	9755811245	1/78		4.719	4.120	
			1/94		0.101	0.101	
			13/1		0.109	0.109	
			14/1/1		0.225	0.225	
			15/1		0.213	0.213	
			16/1		0.344	0.344	
			135/1/1		0.237	0.137	
			171/1/3		0.500	0.500	
			186/1/1/1		0.312	0.312	
			योग		6.760	6.061	
49	बाबूसिंह, अमरवर्सिंह, जगदीशसिंह, मेहरबानसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि खाली	9752691120	1/81		4.047	4.047	
			43/2		0.274	0.274	
			48		0.243	0.243	
			49/3		0.265	0.265	
			67/3		0.202	0.202	
			71/3		0.328	0.328	
			74/2		0.156	0.156	
			75/2		0.376	0.376	
			76/3		0.192	0.192	
			82/3		1.069	1.069	
50	दयालसिंह गुलाबसिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि खाली	9124214243	1/82		4.107	4.107	
			49/1		0.530	0.530	
			70/1,	0.111	0.264	0.264	
			75/1	0.153			
			71/1		0.004	0.004	
			76/1		0.191	0.191	
			82/1		1.425	1.425	
			124/1		0.235	0.235	
			124/3		0.097	0.097	
			124/7		0.032	0.032	
			43/1		0.273	0.273	
			44/1		0.425	0.425	

सं. क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क्र.	शामिल सर्वे नं. का. प्रथक प्रथक रकवा	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	रिमार्क
51	देवीसिंह, मांगीलाल, कनीराम, करणसिंह, मोतीलाल पिता कंवरलाल जाति गूजर, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7869552379	44/2		0.263	0.263	
			45		0.308	0.308	
			46/1		0.240	0.240	
			67/1		0.389	0.389	
			योग		8.783	8.783	
52	मांगीलाल पिता कंवरलाल, जाति गूजर, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7869552379	1/84		1.330	1.330	
			99/9		0.235	0.235	
53	कनीराम पिता कंवरलाल जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8435825709	1/85		1.250	1.250	
			योग		1.250	1.250	
			योग		1.250	1.250	
54	धूला पिता मन्छा जाति अनुसुचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9981066214	1/88		1.214	1.214	
			योग		1.214	1.214	
55	अनार पिता मन्शा जाति अनुसुचित जाति पता भूमि स्वामी		1/89		1.214	1.214	
			योग		1.214	1.214	
56	पर्वत पिता मन्शा जाति अनुसुचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9981066214	1/90		1.214	1.214	
			योग		1.214	1.214	
57	नारायण पिता मन्छा जाति अनुसुचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8349643959	1/91		1.214	1.214	
			योग		1.214	1.214	
58	गंगाराम पिता मन्छा जाति अनुसुचित जाति पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8349643959	1/92		1.214	1.214	
			योग		1.214	1.214	
59	देवजी पिता उदा जाति गूजर पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8224059528	1/93		3.682	3.682	
			योग		3.682	3.682	
60	कलकिशन पिता गोरीलाल, धापूबाई बेवा गोरीलाल जाति बंजारा पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/96		0.591	0.591	
			1/99		0.121	0.121	
			योग		0.712	0.712	
61	अमरीबाई वि. दल्ला जाति बंजारा पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी		1/97/1		0.074	0.074	
			योग		0.074	0.074	
62	रोडीलाल आ. मेघा जाति बंजारा पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7089611482	1/97/2		0.037	0.037	
			1/98/2		0.111	0.111	
63	भवरलाल द. पुत्र मनना जाति बंजारा पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9685841334	योग		0.148	0.148	
			1/100		1.621	1.621	
			185/1/3		0.024	0.024	
			194/39		2.582	2.582	
			योग		4.227	4.227	

सं. क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नंबर	खसरा क्र.	शामिल सर्वे नं. का प्रथक प्रथक रकवा	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	रिमार्क
64	भंवरलाल पिता गिरधारी जाति बंजारा पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9685843334	1/101		1.051	1.051	
	योग				1.051	1.051	
65	जितेनद्रसिंह पिता दयलसिंह जाति राजपूत पिता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9755440777	5		0.688	0.688	
	योग		127/1/1		1.174	1.174	
66	रानी बी बैवा यावर खां जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9521248841	7/1		0.332	0.332	
	योग		8/1		0.227	0.227	
			9/1		0.031	0.031	
			10/1		0.182	0.182	
			14/1/2		0.220	0.220	
			186/1/1/2		0.200	0.200	
			135/1/2		0.236	0.136	
			185/1/1/1		0.162	0.162	
	योग				1.590	1.490	
67	उमर खॉ पिता हमीदुल्ला खॉ जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9009030707	7/2		0.332	0.332	
	योग		8/2		0.227	0.227	
			9/2		0.030	0.030	
			10/3		0.182	0.182	
			13/2		0.110	0.110	
			14/2		0.445	0.445	
			15/2		0.212	0.212	
			16/2		0.344	0.344	
			135/2		0.474	0.474	
			185/1/1/2		0.162	0.162	
	योग		186/1/2		0.512	0.512	
					3.030	3.030	
68	भगवानसिंह पिता मांगीलाल गंगाराम पिता चेना जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9179806661	17/1		0.184	0.184	
	योग		18		0.142	0.142	
			99/11		0.275	0.275	
			208/9		3.856	0.850	
	योग				4.457	1.451	
69	मांगीलाल पिता उदा जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9993446112	19		0.129	0.129	
	योग		21		0.105	0.105	
			22		0.061	0.061	
			23		0.069	0.069	
			25		0.518	0.518	
			65	1.279	1.765	1.765	
			69	0.486			
			90		1.902	1.902	
			99/14		0.251	0.251	
	योग				4.800	4.800	
70	कंचनबाई पति मांगीलाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		20		0.251	0.251	
	योग		31		0.364	0.364	

सं. क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क्र.	शामिल सर्वे न. का प्रथक प्रथक रक्कड़ा	भूमि का कुल रक्कड़ा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्कड़ा	रिमार्ड
			32		0.405	0.405	
	योग				1.020	1.020	
71	वीरम आ. रामलाल जाति अनुसुचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		24		0.142	0.142	
			33		0.219	0.219	
			38/2		0.405	0.405	
			99/12/1		0.125	0.125	
	योग				0.891	0.891	
72	राजदीरसिंह आ. दयालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	9755050143	26		0.713	0.713	
			194/19/1		1.113	0.750	
	योग				1.826	1.463	
73	वीरेन्द्रसिंह आ. दयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9685797104	27		0.466	0.466	
			28		0.259	0.259	
			194/7		0.750	0.750	
	योग				1.475	1.475	
74	चन्दपालसिंह पिता दयालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		30/1		0.435	0.435	
			30/2		1.265	1.265	
			56/2		0.327	0.327	
			57		0.170	0.170	
	योग				2.197	2.197	
75	भूरसिंह पिता विष्णुसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9977072977	35/1		0.529	0.529	
			36		0.979	0.979	
	योग				1.508	1.508	
76	मो० वकील मो० जमील खॉ आ० एहसान खॉ मरीयमबी बेवा एहसान खॉ जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9407444364	38/1		1.032	1.032	
			39		0.364	0.364	
	योग				1.396	1.396	
77	श्रीमति गुलाबबाई पट्टि विजयसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9993067161	41		0.644	0.644	
			181		1.084	0.150	
	योग				1.728	0.794	
78	केशरसिंह पिता दर्यावसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		46/2		0.241	0.241	
			74/1		0.156	0.156	
			75/3		0.152	0.152	
			76/2		0.192	0.192	
			49/2		0.265	0.265	
			71/2		0.154	0.154	
			67/2		0.178	0.178	
			80		0.182	0.182	
			82/2		1.070	1.070	
	योग				2.590	2.590	
79	नारायणसिंह दरियाव बाई हरलाल जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7869167858	47		0.882	0.882	
			99/4		0.575	0.575	

सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क.	शामिल सर्वे नं. का प्रथक प्रथक रकबा	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	रिमार्क
	योग				1.457	1.457	
80	दयालसिंह पिता गोरखनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9981710837	51		0.910	0.910	
			89		0.802	0.802	
			91/1		0.500	0.500	
	योग				2.212	2.212	
81	कालूलाल पिता धन्ना जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9685001407	58		2.562	2.562	
			63		3.177	3.177	
			99/5,	0.162	0.518	0.518	
			99/6	0.356			
	योग				6.257	6.257	
82	देवकरण पिता कालूसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9685001407	60		0.934	0.934	
			61		0.468	0.468	
			107/4		0.680	0.680	
	योग				2.082	2.082	
83	नारायणसिंह पिता नाथू जाति गूजर पता नि. ग्राम	8435233832	62/1/1/1		0.250	0.250	
	योग				0.250	0.250	
84	अनोखबाई बदामबाई सोहनबाई पिता नारायणसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		62/1/1/2		1.750	1.750	
					1.750	1.750	
85	गोरीलाल पिता नाथू जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9752516864	62/1/3		5.245	5.245	
			194/1/2/1		2.975	2.087	
					8.220	7.332	
86	बालू पिता नाथू जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8349596103	62/1/4		5.751	5.751	
			194/1/1/1		4.143	1.150	
					9.894	6.901	
87	पूरसिंह आ. कालूराम जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9179911503	62/2/1/1		0.850	0.850	
			92		1.315	1.315	
			94/1		2.148	2.148	
	योग				4.313	4.313	
88	सुरेश आ. कालूराम जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8120241161	62/2/1/2		0.850	0.850	
			95		0.854	0.854	
			101/1		0.533	0.533	
			102/2/1		0.713	0.713	
			103/1		0.298	0.298	
			158		0.809	0.435	
	योग				4.057	3.683	
89	बनेसिंह आ. कालूराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8720808810	62/2/1/3		0.850	0.850	
			101/2		0.533	0.533	
			157/1		0.496	0.496	
			159/1		0.111	0.050	
	योग				1.990	1.929	
90	कमलसिंह आ. कालूराम जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	96855132755	62/2/1/4		0.849	0.849	
			94/2		0.170	0.170	
			101/3		0.533	0.533	
			102/2/2		1.206	1.206	
			103/2		0.298	0.298	
			154/2/3,	0.115	n 378	0.050	

सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	गोबाईल नम्बर	खसरा क्र.	शाखिल सर्वे न. का प्रथक, प्रथक रकमा	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा	रिपोर्ट
			155/3	0.263	0.070	0.230	
			157/2		0.497	0.370	
			159/2		0.112	0.112	
	योग				4.043	3.818	
91	बालचन्द्र आ. कालूलाल जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9179911503	62/2/1/5 94/3 101/4 102/2/3 103/4 157/3 159/3	0.850 0.130 0.533 0.934 0.596 0.496 0.111	0.850 0.130 0.533 0.934 0.596 0.370 0.111	0.850 0.130 0.533 0.934 0.596 0.370 0.111	
	योग					3.650	3.524
92	शिवरिंह पिता नाना, जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9893327804	62/2/2/1 62/2/2/5 97/1 114/1 133 141/1 142/1, 143/1 96/1 96/5	1.000 1.644 1.000 0.067 0.991 0.511 0.270 0.048 0.500 0.304	1.000 1.644 1.000 0.067 0.991 0.511 0.318 0.318 0.500 0.304	1.000 1.644 1.000 0.067 0.991 0.511 0.318 0.318 0.500 0.304	
	योग					6.335	6.335
93	प्रभूलाल आ. नाना जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9685135034	62/2/2/2 62/2/2/4 96/2 96/4 114/2 140 141/2 142/2, 143/2 134/2	1.000 1.644 0.500 0.304 0.067 0.142 0.881 0.269 0.049 0.627	1.000 1.644 0.500 0.304 0.067 0.142 0.881 0.318 0.318 0.627	1.000 1.644 0.500 0.304 0.067 0.142 0.881 0.318 0.318 0.627	
	योग					5.483	5.483
94	रामसिंह आ. नाना, राधाबाई बेवा नाना जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8889065006	62/2/2/3 62/2/2/6 96/3 96/6 114/3 142/3, 143/3	1.000 1.646 0.500 0.303 0.068 0.269 0.049	1.000 1.646 0.500 0.303 0.068 0.318 0.318	1.000 1.646 0.500 0.303 0.068 0.318 0.318	
	योग					3.835	3.835
95	मांगीलाल आ. उदा जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		66		0.648	0.648	
	योग					0.648	0.648
96	नन्दसिंह जोजनसिंह शेरसिंह रघुवीरसिंह पिता रणजितसिंह कमलेश कुवर पिता रणजितसिंह गोविंद कुवर बंवा रणजितसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9981272322	68/1 72/1 73/1 79/1	0.357 0.101 0.259 0.073	0.357 0.101 0.259 0.073	0.357 0.101 0.259 0.073	

सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क्र.	शामिल सर्व न. का प्रथक प्रथक रकवा	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	रिमार्क
			98/1		0.505	0.505	
			144/1		1.123	0.465	
	योग				2.418	1.760	
97	मो.शकिल खां पिता उमर खां जाति मुसलमान नि. ग्राम भूमि स्वामी	9755567005	68/2		0.356	0.356	
			72/2		0.101	0.101	
			73/2		0.259	0.259	
			79/2		0.073	0.073	
			98/2		0.506	0.506	
			139/2		0.651	0.651	
			144/2		1.123	0.550	
			171/1/2/2		2.729	2.300	
	योग				5.798	4.796	
98	गुलाबबाई बेवा कालूराम जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9179911503	83		0.445	0.445	
			84		0.898	0.898	
			115		0.332	0.332	
	योग				1.675	1.675	
99	सूरजसिंह आ. कालूसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	7869115430	88		1.882	1.882	
			99/13		0.210	0.210	
	योग				2.092	2.092	
100	बनेसिंह पिता कालूराम जाति गूर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		93		1.720	1.720	
	योग				1.720	1.720	
101	घीसा रुपा पिता अमरा शातिबाई बेवा रतनलाल कवरिया पिता नाथ्या, नारान पिता प्रभु रतनबाई बैवा प्रभु जानीबाई, द्रोपदबाई पिता गणपत जाति अनुसुचित जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		97/2		0.570	0.570	
	योग				0.570	0.570	
102	अमरसिंह, लालसिंह, केशरसिंह पिता धूला जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7898587582	99/2,	0.206	0.490	0.490	
			116/1	0.284			
			100/1		1.538	1.538	
			106/1		1.004	1.004	
			107/1/1,	0.344	0.481	0.481	
			107/2/1	0.137			
			109/1		0.698	0.698	
	योग				4.211	4.211	
103	भेरुलाल आ. मांगीलाल जाति गूजर, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		99/3	0.207	0.490	0.490	
			116/2	0.283			
	योग				0.490	0.490	
104	देवीजी, पिता उदा जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		99/7	0.263	0.733	0.733	
			99/8	0.470			

सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क्र.	शामिल सर्वे न. का प्रथक प्रथक रकवा	भूमि का कुल रकवा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा	रिपोर्ट
105	पूरा आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		99/15		0.170	0.170	
			160		0.466	0.466	
			योग		1.369	1.369	
106	मोहनलाल आ. कालू जाति गूजर, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9754463939	99/10		0.113	0.113	
			योग		0.113	0.113	
107	भूलीबाई पति प्रभुलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9754372851	100/2		1.579	1.579	
			योग		1.579	1.579	
108	उसमान पिता उमर खें जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9617542786	104/2		1.050	1.050	
			योग		1.050	1.050	
			योग		1.509	1.509	
109	भेरुलाल, बद्रीलाल, देवीसिंह आ. मांगीलाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9926571510	106/2		1.003	1.003	
			109/2/1		0.506	0.506	
			योग		1.509	1.509	
			योग		0.674	0.674	
110	गोरीलाल पिता गिरधारी रोडी बे. बद्रीलाल कालुसिंह राजु पवन विकम पिता बंद्री लाल ना.बा. सर. माता रोडी बाई वें. बद्रीलाल जाति गुर्जर पता नि. भू—स्वामी	7247407299	107/1/2,	0.344	0.482	0.482	
			107/2/2	0.138			
			109/2/2		0.192	0.192	
			योग		0.674	0.674	
			योग		0.655	0.655	
111	लालसिंह पिता धूला जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9977358338	107/3		0.267	0.267	
			107/5	0.020			
			111	0.158	0.388	0.388	
			113	0.210			
112	जानीबाई, द्रोपदबाई पिता गणपत जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		107/6	0.024			
			107/7	0.049	0.882	0.882	
			108	0.809			
			योग		0.882	0.882	
113	शीताबाई पति गजराजसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9685274275	110		0.138	0.138	
			124/5		0.016	0.016	
			124/6		0.032	0.032	
			124/8		0.024	0.024	
			योग		0.210	0.210	
114	शानेइलाही पिता मोहम्मद शकील जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8602669062	128		1.243	1.243	
			योग		1.243	1.243	
115	उदयसिंह पिता प्रभुलाल जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9179392020	129/2		0.186	0.186	
			योग		0.186	0.186	
			योग		0.627	0.627	
116	रहीमुल्ला खें पिता एबादुल्ला जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		134/1		0.627	0.627	
			योग		0.627	0.627	
	रहीमुल्ला खें पिता एबादुल्ला जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		170/1		0.157	0.157	
			योग		0.157	0.157	

सं. क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क्र.	शामिल सर्वे नं. का प्रथक प्रथक रकमा	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा	रिमार्क
117	जमालउदीन आ. पिता एबादुल्ला जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7024917236	170/2		1.000	0.100	
	योग				1.000	0.100	
118	रियाज खां आ. उमर खां जाति मुसलमान नि. ग्राम भूमि स्वामी	9981874600	171/1/2/1		4.555	4.043	
	योग				4.555	4.043	
119	रानी बी बैवा यावर खां पिता सईद खां जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9617321001	171/1/4		0.235	0.235	
	योग		171/2/1		0.267	0.267	
					0.502	0.502	
120	मांगू पिता बाला जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/11		0.016	0.016	
	योग				0.016	0.016	
121	भंवरलाल आ. भेरु जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/2		0.008	0.008	
	योग				0.008	0.008	
122	प्रेमसिंह पिता भंवरलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/4		0.036	0.036	
	योग				0.036	0.036	
123	भगवान्सिंह प्रेमसिंह पटवारसिंह पिता बिहारी पानी बाई बैवा बिहारी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/5		0.008	0.008	
	योग				0.008	0.008	
124	रोदू पिता मेघा लालू बनेसिंह रुघनाथ देवीलाल राधेश्याम भागीरथ पित दल्ला अमरीबाई बैवा दल्ला जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/19		0.028	0.028	
			185/1/6		0.008	0.008	
	योग				0.036	0.036	
125	श्यामा बिहारी दल्ला मांगीलाल पिता धुला कालु छोटूलाल पिता नारायण धापूबाई बैवा नारायण कृष्णबाई पिता नारायण जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/7		0.016	0.016	
	योग				0.016	0.016	
126	बालक्रष्ण पिता गोरीया धापुबाई बैवा गोरीया जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/10/2		0.033	0.033	
	योग				0.033	0.033	
127	भंवरलाल देवसिंह पिता श्यामा नेनीबाई पिता श्यामा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/10		0.016	0.016	
	योग				0.016	0.016	
128	शिवा रोडूलाल पिता प्रेमा नानीबाई बैवा प्रेमा छमाबाई कालीबाई पिता प्रेमा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/14		0.008	0.008	
	योग				0.008	0.008	
129	भंवरिया आ. परथी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/15		0.012	0.012	
	योग				0.012	0.012	
130	मांगू कालु पिता गंगाराम जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/16		0.012	0.012	
	योग				0.012	0.012	

सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाइल नम्बर	खसरा क.	शामिल सर्वे न. का प्रथक प्रथक रक्कमा	भूमि का कुल रक्कमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रक्कमा	रिमार्क
131	बालकिशन पिता गोरीलाल देवबाई लीलाबाई रामबाई पिता गोरीलाल धापूबाई बैवा गोरीलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/18		0.020	0.020	
	योग				0.020	0.020	
132	किशनलाल हिरालाल बाणा पिता धन्ना जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/8		0.012	0.012	
	योग				0.012	0.012	
133	कालू आ. भंवरलाल जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/9		0.008	0.008	
	योग				0.008	0.008	
134	लालसिंह पिता हजारी अमरीबाई बैवा हजारी शुबाबाई गुजीबाई पिता हजारी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		185/1/12		0.024	0.024	
	योग				0.024	0.024	
135	भवाना पिता श्यामा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		187/2		0.016	0.016	
	योग				0.016	0.016	
136	बापू आ. किशोर जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी		188, 189	0.599 0.708	1.307	0.599 0.541	
	योग				1.307	1.140	
137	गोरीलाल आ. गिरधारी जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		190/1		0.587	0.587	
	योग				0.587	0.587	
138	सुजानसिंह आ. गोरीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	8085979774	194/1/2/2		1.771	1.771	
	योग				1.771	1.771	
139	बादामबाई बैवा प्रेमनारायण नन्दनी अंकिता ना.बा. सरपस्त माता बादामबाई बैवा प्रेमनारायण एवं दादा जी गोरीलाल पिता नाथु जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	9755765074	194/1/2/3		1.771	1.771	
	योग				1.771	1.771	
140	कमलसिंह आ. गोरीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	9755765074	194/1/2/4		1.771	1.771	
	योग				1.771	1.771	
141	धीसा लाल पिता राधाजी , सजनबाई बे वा उमाजी धीसालाल भवानीसिंह प्रे मसिं उमाजी नन्दलाल आ.लक्ष्मण जाति तेली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी		194/21		0.618	0.506	
	योग				0.618	0.506	

142	भगवानसिंह आ. विहारीलाल जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	8223867942	194/22		1.000	1.000	
	योग				1.000	1.000	
143	मांगीलाल आ. नगा जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी		194/26		1.000	1.000	
	योग				1.000	1.000	
144	मधुसुदन आ. सत्यनारायण न्याती जाति महेश्वरी निवासी इन्दौर भूमि स्वामी		194/27		1.002	0.750	
	योग		194/28		0.833	0.833	
			194/29		1.000	0.850	
145	अमरा आ. रोडीराम जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी				2.835	2.433	
	योग		194/32		1.000	1.000	
146	किशन आ. धन्ना जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी	9754709095	194/33		1.002	1.002	
			208/5/1		1.014	0.400	
			208/3/1		0.183	0.125	
	योग				2.199	1.527	
147	राधेश्याम आ. रत्नलाल जाति दांगी नि. ग्राम नाटाराम भूमि स्वामी	9009008654	207/2		1.761	0.260	
	योग				1.761	0.260	
148	बाणा आ. धन्ना जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9669644495	208/1/3		0.459	0.400	
	योग				0.459	0.400	
	कुल योग				269.494	253.295	

ग्राम सिरपोई की आवादी क्षेत्र खसरा नम्बर 117 की परिसमितियां भी अधिग्रहण की जाना है।

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू—अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 18534-भू—अर्जन-2017

(अंतर्गत धारा—19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना, तहसील—राजगढ़, जिला—राजगढ़ की ग्राम—कालीतलाई की भूमि रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित ढूब क्षेत्र के लिए भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा—19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि, निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित ढूब क्षेत्र के लिए भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव :— ग्राम कालीतलाई

तहसील—राजगढ़				जिला—राजगढ़
स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा (हि.में)
1	2	3	4	5
1	द्रोपतीबाई बेवा राजेन्द्र जाति अनुसूचित जाति	3/1	0.987	0.877

2	रमेश पिता धीसालाल जाति अनुसूचित जाति	3/2/1	0.925	0.275
3	गोपाल पिता धीसालाल जाति अनुसूचित जाति	3/2/3	0.925	0.500
4	दुर्गप्रिसाद पिता धीसालाल जाति अनुसूचित जाति	3/2/4	0.925	0.600
5	हिन्दुसिंह पिता गुलाब जाति सौंध्या नि. रोज्या	4/2	4.073	4.073
6	बद्रीलाल, अमृत, रामबाबू पिता किशन जाति दांगी	4/3/1	0.380	0.380
7	मोतीलाल पिता पन्नालाल जाति दांगी	4/3/2	0.379	0.379
8	देवसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा	4/4	1.518	1.518
9	कांतप्रसाद पिता सांवरलाल जाति ब्राह्मण	4/5	1.998	1.960
10	मांगीलाल पिता छीतर जाति लोड़ा	5	0.835	0.705
11	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति लोड़ा	6	1.088	1.088
12	नाराण पिता धूलजी जाति लोड़ा	7/1/1	0.294	0.245
13	रामचन्द्र पिता धूलजी जाति लोड़ा	7/1/2	0.294	0.230
14	रामरतन पिता धूलजी जाति लोड़ा	7/1/3	0.294	0.210
15	नानूराम पिता धूलजी जाति लोड़ा	7/1/4	0.294	0.210
16	धीसा पिता गंगाराम जाति लोड़ा	7/2	1.176	0.076
17	मदन पिता रुगनाथ जाति दांगी	13/1	0.203	0.203
		14/2	0.259	0.045
		14/3	0.259	0.045
		15/1/2	0.316	0.030
		15/2	0.759	0.150
18	अमृत, जगदीश पिता मोहनलाल जाति दांगी	13/2	0.202	0.102
		14/1	0.260	0.045
		14/4	0.259	0.160
		15/1/1	0.316	0.015
19	बबलू पिता रामचरण, गीताबाई बेवा रामचरण जाति गुर्जर	39/3	0.354	0.180
		41/3	1.472	0.045
20	गप्पूलाल पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर	39/4	0.354	0.080
		41/4	1.469	0.300
योग :-			22.867	14.726

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 15-09-2017-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित गाँवों के लिए, उसके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए :—

अनुसूची

तहसील: भैंसदेही, जिला: बैतूल

क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक सहित गाँवों के नाम	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)
01	01. मूल ग्राम चूनालोहमा 02. नवीन ग्राम बेहडाढाना 03. प.ह.नं. 45.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला बैतूल,
02	01. मूल ग्राम चूनालोहमा 02. नवीन ग्राम भुरुढाना 03. प.ह.नं. 45.	
03	01. मूल ग्राम चिल्लौर 02. नवीन ग्राम भवईपुरढाना 03. प.ह.नं. 16.	
04	01. मूल ग्राम रातामाटी 02. नवीन ग्राम प्रभुढाना 03. प.ह.नं. 43.	
05	01. मूल ग्राम रातामाटी 02. नवीन ग्राम सेलूढाना 03. प.ह.नं. 43.	
06	01. मूल ग्राम रातामाटी 02. नवीन ग्राम पडारूढाना 03. प.ह.नं. 43.	
07	01. मूल ग्राम रातामाटी 02. नवीन ग्राम माण्डवाकोल 03. प.ह.नं. 43.	
08	01. मूल ग्राम रातामाटी 02. नवीन ग्राम गौलागोंदी 03. प.ह.नं. 43.	
09	01. मूल ग्राम डाबरी 02. नवीन ग्राम रुमाकोल 03. प.ह.नं. 3.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 15-09-2017-सात-शा.6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-09-2017-सात-शा.6, दिनांक 6 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव।

Bhopal, the 6th December 2017

No. F. 15-09-2017-VII-Sec.6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof :—

SCHEDULE

Tahsil-Bhinsdehi, District-Betul

Serial No.	Name of village(s)with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01	01. Original Village Chunaloma 02. New Village Behadadhana, P.C.No. 45.	Superintendent of Land Records, District -Betul
02	01. Original Village Chunaloma 02. New Village Bhurudhana, P.C.No. 45.	
03	01. Original Village Chillore 02. New Village Bhvaipuedhana, P.C.No. 16.	
04	01. Original Village Ratamati 02. New Village Prabhudhana, P.C.No. 43.	
05	01. Original Village Ratamati 02. New Village Seludhana P.C.No. 43.	
06	01. Original Village Ratamati 02. New Village Padarudhana, P.C.No. 43.	
07	01. Original Village Ratamati 02. New Village Mandawakol, P.C.No. 43.	
08	01. Original Village Ratamati 02. New Village Goulagondi, P.C.No. 43.	
09	01. Original Village Dabri 02. New Village Rumakol, P.C.No. 43.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXSENA, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 16 नवम्बर 2017

क्र. 473-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तरीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—चितरंगी
- (ग) ग्राम—झोखो 197 पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—झोखो 68
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 14.209 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	755	0.268	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	758	0.312	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	लाईन के निर्माण हेतु
3	763	0.153		
4	761/1	0.037		
5	761/2	0.036		
6	761/3	0.037		
7	760	0.594		
8	759	0.413		
9	692/1			
10	692/2	0.044		
11	692/3			
12	693	0.034		
13	694	0.040		
14	695/1			
15	695/2	0.015		
16	695/3			
17	697	0.007		
18	696	0.160		
19	691/1	0.960		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	691/2	0.060		
21	691/3	0.060		
22	691/4	0.060		
23	691/5	0.100		
24	677	0.750		
25	676	0.220		
26	679/1	0.010		
27	679/2	0.030		
28	679/3	0.010		
29	679/4	0.010		
30	679/5	0.020		
31	679/6	0.020		
32	679/7	0.010		
33	679/8	0.020		
34	679/9	0.020		
35	679/10	0.050		
36	679/11	0.020		
37	679/12	0.020		
38	679/13	0.010		
39	679/14	0.020		
40	679/15	0.020		
41	679/16	0.020		
42	679/17	0.010		
43	679/18	0.020		
44	679/19	0.020		
45	686/1	0.030		
46	686/2	0.030		
47	686/3	0.020		
48	686/4	0.040		
49	686/5	0.040		
50	686/6	0.020		
51	686/7	0.020		
52	686/8	0.020		
53	686/9	0.020		
54	686/10	0.020		
55	686/11	0.020		
56	686/12	0.020		
57	686/13	0.020		
58	685	0.045		
59	निरंक	0.170		
60	निरंक	0.158		
61	675	0.100		
62	674	0.100		
63	684	0.203		
64	680/1	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65	680/2	0.020		
66	680/3	0.030		
67	680/4	0.020		
68	680/5	0.020		
69	680/6	0.020		
70	680/7	0.020		
71	680/8	0.020		
72	680/9	0.090		
73	680/10	0.020		
74	680/11	0.020		
75	680/12	0.040		
76	680/13	0.020		
77	680/14	0.020		
78	680/15	0.020		
79	680/16	0.030		
80	680/17	0.020		
81	680/18	0.030		
82	672	0.070		
83	673	0.610		
84	681	0.307		
85	197/1/1	0.080		
86	197/1/2	0.060		
87	197/2	0.060		
88	190	0.510		
89	193	0.020		
90	195	0.158		
91	199	0.130		
92	192	0.290		
93	198	0.170		
94	200	0.056		
95	201/1			
96	201/2	0.492		
97	201/3			
98	201/4			
99	266	0.177		
100	278	0.064		
101	280	0.250		
102	202	0.190		
103	203	0.060		
104	281	0.140		
105	279	0.053		
106	205/1			
107	205/2	0.032		
108	204	0.080		
109	259	0.180		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	282	0.111		
111	285	0.040		
112	254	0.075		
113	252	0.006		
114	286	0.617		
115	231/1	0.005		
116	323	0.120		
117	निरंक	0.155		
118	निरंक	0.144		
119	321	0.092		
120	319	0.071		
121	320	0.120		
122	318	0.580		
123	315	0.005		
124	298	0.038		
125	314	0.060		
126	313	0.087		
127	299	0.137		
128	295	0.324		
129	296	0.050		
130	294	0.002		
131	293	0.007		
132	308	0.148		
133	307/1	0.122		
134	307/2			
135	303	0.478		
136	305/1			
137	305/2	0.040		
निजी भूमि का योग . .		<u>14.209</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 475-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—चितरंगी

(ग) ग्राम—रेही 203, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कर्थुआ 70

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 5.726 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	641	0.072	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
2	642	0.317		
3	671	0.979		
4	669	0.432		
5	775	0.203		
6	773	0.121		
7	772	0.260		
8	767	0.197		
9	769	0.226		
10	768	0.030		
11	766	0.250		
12	765	0.007		
13	855	0.150		
14	856/1			
15	856/2	0.954		
16	856/3			
17	857	0.333		
18	832/2	0.008		
19	833	0.016		
20	832/1/1	0.981		
21	832/1/2			
22	858	0.190		
निजी भूमि का योग . .		<u>5.726</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 477-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्कस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आप जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—चितरंगी

(ग) ग्राम—खम्हरिया खुर्द 200, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर खम्हरिया कला 69.

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.989 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	770	0.319	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	775	0.348	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
3	774	0.012		
4	769	0.367		
5	781	1.289		
6	783/1	0.099		
7	783/2			
8	772	0.555		
निजी भूमि का योग . .		<u>2.989</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 479-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधार के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—चितरंगी
- (ग) ग्राम—खम्हरिया कला 199, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर खम्हरिया कला 69.
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 26.500 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	220	0.466	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	219	0.883	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
3	217	0.260		
4	221	0.241		
5	214	0.050		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	216	0.850		
7	227	0.171		
8	215	0.715		
9	212	0.140		
10	228	0.058		
11	198	0.028		
12	210	0.490		
13	236	0.540		
14	237	0.115		
15	238	0.101		
16	248	0.120		
17	249	0.060		
18	250	0.240		
19	251	0.129		
20	256	0.100		
21	255	0.043		
22	254/1	0.128		
23	254/2			
24	252	0.043		
25	273	0.013		
26	276	0.160		
27	340	0.146		
28	341	0.576		
29	344	0.150		
30	337	0.552		
31	336	0.126		
32	334	0.002		
33	519	0.070		
34	405	0.220		
35	403	0.110		
36	406	0.100		
37	404	0.290		
38	491	0.388		
39	409	0.300		
40	499	0.020		
41	497	0.265		
42	487	0.106		
43	488	0.415		
44	1004	0.018		
45	1008	0.027		
46	1007	0.031		
47	1018/1	0.652		
48	1018/2			
49	1022/2	0.368		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50	1023	0.026		
51	1041	0.422		
52	1038	0.409		
53	1039	0.768		
54	1043	0.255		
55	1036	0.836		
56	1047	0.240		
57	1048/1			
58	1048/2			
59	1048/3			
60	1048/4	3.324		
61	1048/5			
62	1048/6			
63	1048/7			
64	1048/8			
65	1049	0.347		
66	1050/1		0.018	
67	1050/2			
68	1140/1			
69	1140/2	0.443		
70	1140/3			
71	1139	0.130		
72	1122	0.001		
73	1138	0.060		
74	1137	0.270		
75	1136	0.200		
76	1131/1			
77	1131/2	0.230		
78	1131/2			
79	1131/3			
80	1131/3			
81	1135	0.203		
82	1132	0.400		
83	1134	0.100		
84	1129	0.050		
85	1128	0.100		
86	1127	1.190		
87	1127/1249	0.136		
88	Z37	0.015		
89	1130	0.001		
90	1051	0.007		
91	Z31	0.735		
92	Z30	0.196		
93	Z29	1.582		
94	Z18	0.252		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95	492	0.042		
96	Z3	0.038		
97	338	0.032		
98	356	0.220		
99	निरंक	0.160		
100	निरंक	1.190		
101	निरंक	0.213		
102	निरंक	0.380		
103	निरंक	0.140		
104	1017	0.015		
105	1016	0.018		
106	1025	0.009		
107	1141	0.009		
108	निरंक	0.12		
निजी भूमि का योग . .		26.500		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 481-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—आमो, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—0030 आमो
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 13.458 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	325	0.105	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	326	1.127	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	329/1			
4	329/2	1.429		
5	329/3			
6	330	0.150		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	331	3.642		
8	333	0.110		
9	342	0.560		
10	343	0.890		
11	344	0.202		
12	346/1	0.624		
13	346/2			
14	349/1	2.802		
15	349/2			
16	334	0.232		
17	335	0.052		
18	332/1			
19	322/2/1			
20	322/2/2			
21	322/2/3			
22	322/2/4			
23	322/2/5			
24	322/3/1			
25	322/3/2	0.147		
26	322/3/3			
27	322/4			
28	322/5/1			
29	322/5/2			
30	322/5/3			
31	322/5/4			
32	322/5/5			
33	345/1	0.009		
34	345/2			
35	337	0.430		
36	338	0.087		
37	323/1			
38	323/2	0.370		
39	323/3			
40	323/4			
41	324	0.490		
	निजी भूमि का योग . .	13.458		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 483-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—बड़ोखर 110, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बड़ोखर 37
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 31.271 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मे.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	9	0.420	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	12	0.980	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु
3	125/2	0.002		
4	124/1	0.510		
5	124/2			
6	118/1			
7	118/2			
8	118/3	1.822		
9	118/4			
10	120/1	0.001		
11	120/2			
12	119/1	0.072		
13	119/2			
14	53/1			
15	53/2	0.048		
16	53/3			
17	116/1/1			
18	116/1/2			
19	116/1/3			
20	116/2	0.900		
21	116/3/1			
22	116/3/2			
23	116/3/3			
24	113/1/1/1			
25	113/1/1/2	0.642		
26	113/1/2			
27	113/1/3			
28	114	0.010		
29	115/1	0.560		
30	115/2	0.280		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	112/1			
32	112/2	0.789		
33	112/3			
34	111/1			
35	111/2			
36	111/3	0.527		
37	111/4			
38	107/1			
39	107/2	0.130		
40	107/3			
41	107/4			
42	95/1	0.097		
43	95/2			
44	110/2/1	0.070		
45	110/1	0.210		
46	109/2	0.655		
47	109/1	0.690		
48	94	0.370		
49	162/1/1			
50	162/1/2	0.832		
51	162/2			
52	91/1/1	0.022		
53	91/1/2			
54	160/1/1			
55	160/1/2/1/1			
56	160/1/2/1/2			
57	160/1/2/1/3	0.200		
58	160/1/2/1/4			
59	160/1/2/2/1			
60	160/1/2/2/2			
61	160/1/2/2/3			
62	160/2			
63	160/3			
64	160/4			
65	160/5			
66	160/6			
67	164/1			
68	164/2			
69	164/3/1	0.705		
70	164/3/2/1/1			
71	164/3/2/1/2			
72	164/3/2/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	165/1			
74	165/2/1			
75	165/2/2	1.462		
76	165/3			
77	165/4			
78	167/1/1	0.090		
79	167/1/2/1	0.280		
80	167/1/2/2	0.080		
81	167/2/1	0.200		
82	167/2/2	0.200		
83	168	0.817		
84	169/1	0.526		
85	169/2			
86	Z28	0.218		
87	170/1	0.028		
88	Z44	0.012		
89	595	0.230		
90	596	0.030		
91	588	1.395		
92	593	0.080		
93	592	0.130		
94	591	0.130		
95	590/1			
96	590/2	0.013		
97	590/3			
98	597/1			
99	597/2			
100	597/3			
101	597/4	0.157		
102	597/5			
103	597/6			
104	597/7			
105	598/1			
106	598/2			
107	598/3			
108	598/4	0.785		
109	598/5			
110	598/6			
111	598/7			
112	Z52	0.191		
113	622	0.001		
114	607	0.133		
115	599	0.510		
116	600/1	0.400		
117	600/2	0.050		
118	601	0.600		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
119	608/1/1			
120	608/1/2			
121	608/2	0.725		
122	608/3			
123	608/4			
124	608/5			
125	605	0.210		
126	602	0.150		
127	Z32	0.083		
128	603	0.135		
129	613/1			
130	613/2/1			
131	613/2/2	0.446		
132	613/2/3			
133	613/3			
134	609	0.020		
135	611	0.230		
136	612/1		0.130	
137	612/2			
138	574	1.276		
139	573	1.890		
140	550	0.438		
141	568/1			
142	568/2		0.062	
143	568/3			
144	567/1/1			
145	567/1/2		0.091	
146	567/1/3			
147	567/2			
148	563/1/1/1			
149	563/1/1/2/1			
150	563/1/1/2/2		1.547	
151	563/1/1/3			
152	563/1/2			
153	563/2			
154	562/1	0.440		
155	562/2	0.120		
156	566/1/1			
157	566/1/2		0.855	
158	566/1/3			
159	566/2			
160	561	0.290		
161	1003/1145/1			
162	1003/1145/2/1		0.210	
163	1003/1145/2/2/1			
164	1003/1145/2/2/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
165	565/1			
166	565/2	0.635		
167	565/3			
168	565/4			
169	564/1			
170	564/2	0.736		
171	564/3			
172	514/1	0.065		
173	514/2			
174	554	0.014		
175	560	0.022		
176	559	0.017		
177	112/3	0.142		
निजी भूमि का योग . .		<u>31.271</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 483-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहीयों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—भलुगढ़, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—भलुगढ़ 005
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकमा 14.704 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	350	0.030	उपमुख्य अधियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	269	0.261	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	359	0.020		
4	271	0.353		
5	273	0.154		
6	363	0.050		
7	360	0.004		
8	361	0.002		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	362	0.050	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
10	352	0.120	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
11	353	0.080		
12	358	0.005		
13	354	0.048		
14	2579/277	0.100		
15	2579/278	0.090		
16	282	0.060		
17	279	0.080		
18	280	0.030		
19	306	0.030		
20	304	0.030		
21	300	0.050		
22	299	0.010		
23	302	0.010		
24	287	0.190		
25	285	0.080		
26	296	0.060		
27	301	0.020		
28	310	0.100		
29	311	0.140		
30	511	0.290		
31	558	0.240		
32	559	0.340		
33	492	0.030		
34	493	0.040		
35	1852	0.060		
36	1842	0.060		
37	1825	0.610		
38	1982	0.200		
39	376	0.160		
40	346	0.072		
41	329	0.130		
42	330	0.190		
43	331	0.140		
44	321	0.080		
45	322	0.050		
46	323	0.060		
47	324	0.040		
48	325	0.050		
49	326	0.070		
50	319	0.130		
51	318	0.080		
52	316	0.030		
53	315	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
54	351	0.040	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
55	347/2586	0.200	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
56	327	0.180		
57	281/1	0.370		
58	281/2			
59	284	0.450		
60	471	0.040		
61	497	0.040		
62	313	0.070		
63	308	0.020		
64	309	0.020		
65	307	0.120		
66	305	0.030		
67	472	0.286		
68	474	0.170		
69	502	0.070		
70	503	0.060		
71	504	0.070		
72	509	0.030		
73	508	0.030		
74	507	0.030		
75	506	0.030		
76	505	0.030		
77	555	0.320		
78	498/1			
79	498/2	0.770		
80	498/3/1			
81	498/3/2			
82	501	0.040		
83	500	0.040		
84	499	0.100		
85	476	0.034		
86	477	0.027		
87	478	0.035		
88	496	0.040		
89	494	0.040		
90	490	0.030		
91	1868	0.002		
92	1866	0.022		
93	1862	0.060		
94	1857	0.080		
95	1856	0.030		
96	1854	0.050		
97	1851	0.060		
98	1853	0.140		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99	1843	0.060	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
100	1960	0.064	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
101	1961	0.068		
102	1847	0.660		
103	1844	0.140		
104	1845	0.010		
105	1973	0.750		
106	1972	0.077		
107	1976	0.312		
108	1979	0.061		
109	264	0.012		
110	2603/264	0.013		
111	267	0.022		
112	272	0.002		
113	283	0.090		
114	289	0.050		
115	288	0.060		
116	286	0.130		
117	291	0.030		
118	294	0.113		
119	295	0.110		
120	297	0.020		
121	298	0.020		
122	521	0.029		
123	518	0.094		
124	519/1			
125	519/2	0.009		
126	519/3			
127	519/4			
128	517/1			
129	517/2	0.064		
130	517/3			
131	517/4			
132	516	0.072		
133	513	0.003		
134	512	0.029		
135	551	0.028		
136	554	0.066		
137	557/1	0.152		
138	557/2			
139	563	0.098		
140	1859/1			
141	1859/2	0.030		
142	1859/3			
143	364	0.104		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144	2580/278	0.090	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
145	2579/277	0.100	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
146	346	0.150		
147	320	0.070		
148	290	0.052		
149	514	0.040		
150	515	0.060		
151	474	0.170		
152	556	0.130		
153	475	0.133		
154	495	0.050		
155	1837	0.002		
156	1865	0.010		
157	561	0.090		
158	277	0.065		
159	278	0.085		
निजी भूमि का योग . .		14.704		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 487-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाजात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—भरुहा 75, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—खडौरा 24
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.213 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2/1/1	0.025	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	2/1/2	0.025	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
3	2/1/3	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	2/2	0.080	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
5	2/3	0.055	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
6	3/2/1			
7	3/2/2	0.008		
8	3/2/3			
9	3/2/4			
निजी भूमि का योग . .		0.213		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 489-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—छोवा 55, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—सहभार 19
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 8.201 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	12/2	0.020	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	14/1	0.052	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु।
3	14/2	0.052		
4	14/3	0.056		
5	15/1			
6	15/2	0.019		
7	15/3			
8	17/1			
9	17/2/1			
10	17/2/2	0.018		
11	17/2/3			
12	17/2/4			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	95/1	0.003	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
14	95/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
15	94/2	0.020		
16	97/1	0.094		
17	97/2			
18	99/2	0.020		
19	100/2	0.020		
20	101/2	0.020		
21	103/1	0.078		
22	103/2			
23	104/1	0.022		
24	104/2			
25	105/1/1			
26	105/1/2			
27	105/2			
28	105/3/1	0.709		
29	105/3/2			
30	105/4			
31	105/5/1			
32	105/5/2			
33	91	0.043		
34	128	0.127		
35	127/1/1			
36	127/1/2	0.087		
37	127/2			
38	106	0.050		
39	126/1/1/1			
40	126/1/1/2			
41	126/1/2	0.792		
42	126/1/3/1			
43	126/1/3/2			
44	126/1/4			
45	126/1/5			
46	125/1/1	0.005		
47	125/1/2	0.005		
48	125/2	0.010		
49	125/3/1	0.005		
50	125/3/2	0.005		
51	125/4	0.010		
52	125/5	0.010		
53	371/1/1			
54	371/1/2	0.192		
55	371/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56	124/1/1/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
57	124/1/1/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
58	124/1/2			
59	124/1/3			
60	124/2/1	0.425		
61	124/2/2			
62	124/2/3			
63	124/2/4			
64	124/2/5			
65	124/3			
66	372	0.048		
67	373/1/1/1			
68	373/1/1/2			
69	373/1/2			
70	373/1/3	0.330		
71	373/2			
72	373/3			
73	377/1/1/1			
74	377/1/1/2			
75	377/1/2	0.208		
76	377/1/3			
77	377/2			
78	377/3			
79	504	0.475		
80	505	0.200		
81	503	0.102		
82	502	0.254		
83	468	0.170		
84	470	0.098		
85	471	0.292		
93	473/1/1/3/4			
94	473/1/1/4/1			
95	473/1/1/4/2			
96	473/1/1/4/3			
97	473/1/1/4/4			
98	473/1/2			
99	474/1			
100	474/2			
101	474/3	0.375		
102	474/4			
103	474/5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
104	475/1			
105	475/2	0.409	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
106	475/3			
107	476/1/1			
108	476/1/2			
109	476/1/3	0.413		
110	476/1/4			
111	476/2			
112	476/3			
113	477/1			
114	477/2	0.197		
115	477/3			
116	477/4			
117	478/1			
118	478/2			
119	478/3	0.226		
120	478/4			
121	481/1			
122	481/2	0.197		
123	481/3			
124	481/4			
125	482/1			
126	482/2			
127	482/3	0.210		
128	482/4			
129	487/1			
130	487/2	0.174		
131	487/3			
132	487/4			
133	488	0.070		
134	489	0.030		
135	490	0.030		
136	479/1/1			
137	479/1/2	0.145		
138	479/1/3			
139	479/1/4			
140	479/2			
141	491	0.030		
142	98/2	0.020		
निजी भूमि का योग . .		8.201		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 491-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना

के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संबंधवहार नहीं करेगा या कोई संबंधवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—ढोगा, 35, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—ढोगा 13
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 14.793 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	834	0.110	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	835	0.138	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	836	0.190		
4	838	0.053		
5	839	0.019		
6	832	0.092		
7	831	0.288		
8	830	0.415		
9	827/1/1/1/1/1			
10	827/1/1/1/2			
11	827/1/1/2	0.026		
12	827/1/2			
13	827/2			
14	827/3			
15	843/1/1/1			
16	843/1/1/2			
17	843/1/2	0.217		
18	843/1/3			
19	843/2			
20	849	0.183		
21	847	0.050		
22	848	0.001		
23	851/1			
24	851/2/1			
25	851/2/2	0.284		
26	851/2/3			
27	851/3			
28	852/1	0.031		
29	852/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	853/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
31	853/2	0.070	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर	के निर्माण हेतु.
32	853/3			
33	853/4			
34	854/1	0.085		
35	854/2			
36	855/1/1			
37	855/1/2			
38	855/2/1/1	0.175		
39	855/2/1/2			
40	855/2/2			
41	855/2/3			
42	855/3			
43	792/1/1			
44	792/1/2/1			
45	792/1/2/2	0.180		
46	792/1/2/3			
47	792/2			
48	791	0.078		
49	790	0.084		
50	932/1/1			
51	932/1/2			
52	932/1/3	0.104		
53	932/1/4			
54	932/2			
55	782	0.015		
56	786/1/1			
57	786/1/2	0.290		
58	786/2			
59	788/1	0.144		
60	788/2			
61	1009/1	0.080		
62	1009/2			
63	1005	0.612		
64	1000/1	0.826		
65	1000/2			
66	996	0.001		
67	1117/1			
68	1117/2			
69	1117/3	0.518		
70	1117/4			
71	1117/5			
72	1117/6			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	1124	0.255	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
74	1125	0.040	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
75	1126	0.122		
76	1128	0.018		
77	1133	0.088		
78	1133/1	0.088		
79	1133/2			
80	1132	0.082		
81	1137/1			
82	1137/2/1			
83	1137/2/2	1.038		
84	1137/2/3			
85	1137/2/4			
86	1137/2/5			
87	1137/3			
88	1137/1353	0.215		
89	1141	0.040		
90	1137/1352	0.265		
91	1143/1			
92	1143/2	1.329		
93	1143/3			
94	1185/1			
95	1185/2	0.100		
96	1185/3			
97	1199/1	0.115		
98	1201	0.250		
99	1209/1	0.391		
100	1209/2			
101	1204/1	0.074		
102	1204/2			
103	1202/1	0.090		
104	1202/2	0.110		
105	1210	0.200		
106	1211/1	0.017		
107	1211/2			
108	1212/1	0.022		
109	1212/2			
110	1213	0.150		
111	1207	0.250		
112	1206/1	0.023		
113	1206/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
114	1214/1	0.026	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
115	1214/2			
116	1222/1			
117	1222/2			
118	1222/3			
119	1222/4	0.638		
120	1222/5			
121	1222/6			
122	1222/7			
123	1222/8			
124	1215/1	0.544		
125	1215/2			
126	1215/3			
127	1215/4			
128	1215/5			
129	1215/6			
130	1231/1	0.110		
131	1231/2/1/1	0.020		
132	1231/2/1/2	0.010		
133	1231/2/2	0.010		
134	1231/3	0.070		
135	1231/4	0.110		
136	1233/1			
137	1233/2/1	0.068		
138	1233/3			
139	1267	0.047		
140	1307	0.038		
141	1308	0.025		
142	1311	0.048		
143	1266	0.280		
144	1309	0.070		
145	1312	0.180		
146	1316	0.060		
147	1304	0.017		
148	1317	0.080		
149	1323	0.057		
150	1320/1/1	0.020		
151	1320/1/2	0.006		
152	1320/1/3	0.012		
153	1320/2	0.012		
154	1321/1	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
155	1321/2/1/1	0.047	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
156	1321/2/1/2	0.003	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर..	के निर्माण हेतु.
157	1321/2/1/3	0.025		
158	1321/2/2	0.025		
159	1325/1	0.015		
160	1325/2			
161	1326	0.045		
162	1299/1	0.017		
163	1299/2			
164	1298/1			
165	1298/2	0.295		
166	1298/3			
167	1328	0.207		
168	1297	0.180		
169	1296/1			
170	1296/2	0.098		
171	1296/3			
172	1264/1/1	0.002		
173	1264/1/2			
174	1264/2			
175	1341	0.001		
176	793/1/1/1			
177	793/1/1/2			
178	793/1/2/1			
179	793/1/2/2	0.283		
180	793/1/2/3			
181	793/1/2/4			
182	793/2/1			
183	793/2/2			
184	1112	0.002		
185	1011	0.002		
186	1003/1			
187	1003/2			
188	1003/3	0.002		
189	1003/4			
190	1134/1	0.211		
191	1134/2			
192	1203	0.020		
193	1260	0.012		
निजी भूमि का योग . .		14.793		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 493-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—गिधेर, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—00032 गिधेर
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 41.051 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7/1/1	0.042	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु।
2	7/1/2			
3	7/2			
4	9	1.420		
5	11/1	1.077		
6	11/2			
7	33/1	0.276		
8	33/2			
9	33/3			
10	34	0.484		
11	35	0.575		
12	36	0.972		
13	92	0.018		
14	94	0.053		
15	96	0.560		
16	98	1.075		
17	126	1.020		
18	125	1.083		
19	124	0.400		
20	123	0.710		
21	135	0.150		
22	121	0.193		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	160	1.559		
24	161	0.756		
25	190	0.272		
26	184	1.102		
27	183	0.100		
28	182	0.100		
29	185	1.420		
30	186/1	0.092		
31	186/2			
32	186/3			
33	293	0.350		
34	202	0.034		
35	294	1.010		
36	304	0.548		
37	390/1			
38	390/2			
39	390/3/1			
40	390/3/2	3.743		
41	390/3/3			
42	390/4			
43	390/5			
44	390/6			
45	391	0.490		
46	392	0.010		
47	393	0.150		
48	389	0.960		
49	394	1.480		
50	387	0.040		
51	404/1	2.170		
52	404/2			
53	404/3			
54	404/4			
55	414	0.770		
56	413	1.130		
57	406/1	0.434		
58	406/2			
59	407/1/1	1.804		
60	407/1/2			
61	407/2			
62	407/3			
63	407/4			
64	407/5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65	412/1	1.030		
66	412/1			
67	494	0.078		
68	495	0.011		
69	496	0.105		
70	498	0.550		
71	499/1	0.021		
72	499/2			
73	499/3			
74	499/4			
75	501	0.790		
76	503	1.377		
77	505	0.600		
78	506/1	1.475		
79	506/2			
80	552/1	0.675		
81	552/2	0.338		
82	552/3	0.337		
83	553/1	1.675		
84	553/2			
85	554	0.030		
86	556/1	0.148		
87	556/2			
88	557/1	0.010		
89	557/2	0.010		
90	138	0.010		
91	162	0.182		
92	298	0.293		
93	297	0.010		
94	296	0.070		
95	295	0.020		
96	291	0.219		
97	388	0.050		
98	385	0.061		
99	382	0.144		
100	415	0.040		
101	507	0.033		
102	410	0.024		
103	189	0.003		
निजी भूमि का योग . .		41.051		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 495-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेलिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाजात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—गोदवाली, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—गोदवाली 051
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.190 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मे.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	503	0.032	उपमुख्य अधियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	502/1	0.041	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	497	0.246		
4	558	0.064		
5	560	0.195		
6	561	0.200		
7	568	0.017		
8	570	0.022		
9	571	0.040		
10	573	0.026		
11	572	0.022		
12	574	0.020		
13	576/1			
14	576/2	0.112		
15	577	0.044		
16	578	0.060		
17	555	0.019		
18	562	0.003		
19	564	0.009		
20	565	0.012		
21	562/1	0.002		
22	562/2			
23	563	0.004		
	निजी भूमि का योग . .	1.190		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 497-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—हरा चन्देल 63, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—हरा चन्देल 21.
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 21.075 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	190/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	190/2	0.151	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	190/3			
4	187	0.050		
5	186	0.070		
6	185	0.050		
7	177	0.060		
8	173/1			
9	173/2	0.025		
10	173/3			
11	173/4			
12	191	0.014		
13	183	0.299		
14	181/1	0.150		
15	181/2	0.130		
16	178	0.220		
17	176	0.172		
18	175	0.041		
19	164	0.018		
20	163	0.002		
21	165/1/1/1			
22	165/1/1/2	0.640		
23	165/1/2			
24	179	0.057		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	234/1	0.070		
26	234/2	0.014		
27	234/3	0.014		
28	234/4	0.014		
29	234/5	0.014		
30	234/6	0.014		
31	235/1/1	0.064		
32	235/1/2	0.056		
33	235/2	0.130		
34	182/1	0.220		
35	182/2/1	0.270		
36	182/2/2	0.030		
37	182/2/3	0.030		
38	182/2/4	0.030		
39	182/2/5	0.030		
40	182/2/6	0.030		
41	231/1/1			
42	231/1/2			
43	231/2	0.380		
44	231/3			
45	231/4			
46	228/1			
47	228/2/1	0.445		
48	228/2/2			
49	236/1/1	0.030		
50	236/1/2	0.050		
51	236/1/3	0.050		
52	236/2/1	0.030		
53	236/2/2	0.050		
54	236/2/3	0.050		
55	236/3	0.130		
56	238/1	0.010		
57	238/2/1	0.002		
58	238/2/2	0.002		
59	238/2/3	0.002		
60	238/2/4	0.002		
61	238/2/5	0.002		
62	238/3	0.020		
63	238/4	0.030		
64	237/1/1	0.181		
65	237/1/2	0.022		
66	237/2	0.027		
67	273/3	0.010		
68	237/4	0.010		
69	237/5	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70	237/6	0.010		
71	240/1	0.160		
72	240/2	0.170		
73	239/1	0.080		
74	239/2/1	0.018		
75	239/2/2	0.018		
76	239/2/3	0.018		
77	239/2/4	0.018		
78	239/2/5	0.018		
79	247/1	0.050		
80	247/2	0.040		
81	247/3	0.090		
82	246/1/1	0.100		
83	246/1/2	0.010		
84	246/1/3	0.010		
85	246/2	0.040		
86	246/3	0.020		
87	246/4	0.020		
88	245/1	0.120		
89	245/2	0.110		
90	245/3	0.110		
91	244/1/1	0.010		
92	244/1/2	0.020		
93	244/1/3	0.020		
94	244/2	0.050		
95	244/3	0.040		
96	244/4/1	0.025		
97	244/4/2	0.015		
98	248	0.265		
99	300/1/1			
100	300/1/2			
101	300/1/3			
102	300/1/4			
103	300/2	0.301		
104	300/3			
105	300/4			
106	300/5			
107	300/6			
108	295/1/1	0.020		
109	295/1/2	0.020		
110	295/1/3	0.020		
111	295/2	0.060		
112	295/3	0.070		
113	295/4/1	0.025		
114	295/4/2	0.025		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	295/4/3	0.010		
116	294/1/1	0.032		
117	294/1/2	0.008		
118	294/2	0.060		
119	294/3	0.060		
120	293/1	0.110		
121	293/2	0.110		
122	293/3	0.100		
123	296/1	0.030		
124	296/2	0.030		
125	296/3	0.040		
126	299	0.335		
127	297/1/1	0.040		
128	297/1/2	0.020		
129	297/2	0.040		
130	292/1	0.200		
131	292/2			
132	291/1		0.175	
133	291/2			
134	290	0.195		
135	298	0.230		
136	416/1/2			
137	416/2/1			
138	416/2/2	0.160		
139	416/2/3			
140	416/2/4			
141	416/2/5			
142	419	0.203		
143	417/1		0.158	
144	417/2			
145	418/1/1	0.260		
146	418/1/2	0.032		
147	418/2	0.098		
148	420	0.140		
149	421	0.020		
150	422	0.186		
151	423/1	0.016		
152	423/2			
153	424/1	0.137		
154	424/2			
155	425/1/1			
156	425/1/2			
157	425/1/3	0.145		
158	425/1/4			
159	425/1/5			
160	425/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
161	434/1	0.157		
162	434/2			
163	435	0.011		
164	436	0.120		
165	439	0.200		
166	440/1	0.060		
167	440/2	0.034		
168	440/3	0.016		
169	440/4	0.030		
170	440/5	0.030		
171	443/1	0.234		
172	443/2	0.046		
173	444/1			
174	444/2	0.143		
175	444/3			
176	445/1/1			
177	445/1/2	0.098		
178	445/2/1			
179	445/2/2			
180	446	0.331		
181	447/1	0.266		
182	447/2	0.054		
183	498/1			
184	498/2	0.065		
185	498/3			
186	497/1	0.057		
187	497/2			
188	496/1			
189	496/2			
190	496/3	0.048		
191	496/4			
192	496/5			
193	494	0.013		
194	484/1	0.070		
195	484/2	0.070		
196	484/3	0.080		
197	483/1	0.030		
198	483/2	0.030		
199	482	0.010		
200	481	0.250		
201	485	0.170		
202	492	0.041		
203	491	0.005		
204	490	0.016		
205	489	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
206	488	0.006		
207	487/1	0.030		
208	487/2	0.250		
209	486/1	0.020		
210	486/2	0.010		
211	486/3	0.010		
212	486/4	0.010		
213	486/5	0.020		
214	486/6	0.020		
215	479/1	0.110		
216	479/2	0.110		
217	479/3	0.100		
218	478/1	0.020		
219	478/2	0.080		
220	477	0.090		
221	465/1	0.209		
222	465/2			
223	466/1	0.210		
224	466/2	0.060		
225	467/1	0.090		
226	467/2	0.080		
227	467/3	0.080		
228	468	0.390		
229	468/2	0.390		
230	475	0.060		
231	474	0.080		
232	473	0.010		
233	472	0.230		
234	471/1	0.010		
235	471/2	0.010		
236	471/3	0.010		
237	470	0.010		
238	453	0.035		
239	452/1			
240	452/2	0.376		
241	452/3			
242	469/1/1/1	0.020		
243	469/1/1/2	0.030		
244	469/1/2	0.020		
245	469/2	0.060		
246	451/1/1	0.040		
247	451/1/2	0.050		
248	451/2	0.090		
249	451/3	0.090		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
250	449/1	0.020		
251	449/2/1/1	0.040		
252	449/2/1/2	0.050		
253	449/2/1/3	0.050		
254	449/2/2	0.020		
255	450	0.090		
256	397	0.080		
257	398/1	0.030		
258	398/2	0.030		
259	399	0.037		
260	401	0.160		
261	402	0.080		
262	403/1	0.090		
263	403/2	0.090		
264	448	0.080		
265	404/1/1	0.070		
266	404/1/2	0.010		
267	404/2	0.070		
268	404/3	0.080		
269	405	0.170		
270	407	0.080		
271	408	0.080		
272	409/1	0.053		
273	409/2	0.017		
274	406/1	0.040		
275	406/2	0.040		
276	411/1			
277	411/2	0.094		
278	410			
279	410/1	0.086		
280	410/2			
281	400	0.046		
282	414/1	0.190		
283	414/2			
284	413	0.080		
285	412	0.081		
286	438/1	0.030		
287	438/2	0.030		
288	437/1	0.030		
289	437/2/1	0.006		
290	437/2/2	0.006		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
291	437/2/3	0.006		
292	437/2/4	0.006		
293	437/2/5	0.006		
294	433	0.080		
295	432	0.050		
296	431	0.030		
297	430	0.050		
298	429/1/1	0.016		
299	429/1/2	0.004		
300	429/2	0.020		
301	429/3	0.010		
302	426/1/1	0.072		
303	426/1/2	0.018		
304	426/2	0.090		
305	426/3	0.080		
306	427	0.050		
307	428/1	0.040		
308	428/2	0.028		
309	428/3	0.012		
310	428/4	0.010		
311	232	0.520		
312	242/1	0.030		
313	242/2	0.020		
314	243/1/1	0.044		
315	243/1/2	0.044		
316	243/1/3	0.044		
317	243/1/4	0.044		
318	243/1/5	0.044		
319	243/2	0.210		
320	249	0.069		
321	499/1	0.170		
322	499/2			
323	500/1	0.001		
324	500/2			
325	500/3			
326	732/469/1	0.010		
327	732/469/2	0.010		
328	480	0.040		
329	428/5	0.020		
	निजी भूमि का योग .	21.075		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 499-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—झरिया, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—00023 पुरवा
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रक्का 3.798 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्का (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)
1	30/1/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	30/1/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	30/2			
4	30/3			
5	30/4	1.336		
6	30/5			
7	30/6			
8	30/7			
9	32	0.030		
10	34/1	2.165		
11	34/2			
12	35	0.080		
13	38	0.184		
14	39	0.003		
निजी भूमि का योग . .		3.798		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 501-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—कटौली 62, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—हरा चन्देल 21
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 16.659 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	116/1	0.432	उपमुख्य अधियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	116/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	117	0.005		
4	114/1			
5	114/2			
6	114/3	0.035		
7	114/4			
8	115	0.040		
9	195	0.068		
10	194/1			
11	194/2			
12	194/3	1.713		
13	194/4			
14	194/5			
15	198	0.016		
16	136			
17	136/1	0.076		
18	136/2			
19	190	0.340		
20	189	0.010		
21	202/1	0.014		
22	202/2	0.014		
23	202/3	0.014		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	202/4	0.014		
25	202/5	0.014		
26	201/1	0.445		
27	201/2	0.445		
28	203/1/1	0.032		
29	203/1/2	0.032		
30	203/1/3	0.032		
31	203/1/4	0.032		
32	203/1/5	0.032		
33	203/2	0.160		
34	203/3	0.160		
35	203/4	0.160		
36	203/5	0.160		
37	199	0.426		
38	204	0.275		
39	205/1	0.072		
40	205/2			
41	174	0.004		
42	173	0.053		
43	188	0.030		
44	206	0.300		
45	207	0.680		
46	208	0.157		
47	210	0.072		
48	211	0.074		
49	186	0.280		
50	212/1			
51	212/2			
52	212/3	0.930		
53	212/4			
54	212/5			
55	185	0.430		
56	213/1			
57	213/2			
58	213/3	1.882		
59	213/4			
60	213/5			
61	184	0.234		
62	183	0.544		
63	182/1/1			
64	182/1/2	0.483		
65	182/1/3			
66	182/2			
67	214/1	0.830		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	214/2	0.250		
69	214/3	0.250		
70	214/4	0.260		
71	225	0.170		
72	226	0.038		
73	219	0.088		
74	181	0.290		
75	215	0.150		
76	217	0.320		
77	218	1.149		
78	179	0.105		
79	180/1	0.047		
80	180/2	0.047		
81	180/3	0.048		
82	180/4	0.048		
83	192	0.120		
84	193	0.610		
85	191	0.050		
86	187	0.240		
87	172	0.023		
88	227	0.001		
89	216	0.180		
निजी भूमि का योग ..		16.659		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 503-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तरीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर

- (ग) ग्राम—खड़ौरा 74, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—खड़ौरा 24
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.496 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	486	0.120	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन
2	487	0.028	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
3	489	0.030		
4	488	0.010		
5	490	0.106		
6	491	0.010		
7	492	0.030		
8	493	0.040		
9	494	0.020		
10	495	0.026		
11	496	0.005		
12	498	0.012		
13	499	0.230		
14	500/1	0.030		
15	500/2	0.040		
16	501	0.037		
17	502/1	0.037		
18	502/2			
19	504	0.133		
20	505	0.208		
21	631	0.185		
22	635	0.002		
23	480/1			
24	480/2	0.019		
25	480/मिन-2			
26	479	0.016		
27	506	0.012		
28	511	0.014		
29	485/1	0.032		
30	485/2			
31	484/1			
32	484/2	0.040		
33	484/3			
34	483	0.024		
	निजी भूमि का योग . .	<u>1.496</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 505-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—खोभा 52, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—नौढिया आबाद 18
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रक्का 13.914 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्का (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3/1/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु।
2	3/1/2			
3	3/1/3	0.181		
4	3/1/4			
5	3/2			
6	3/3			
7	3/4			
8	3/5			
9	3/6			
10	2/1			
11	2/2			
12	2/3/1/1			
13	2/3/1/2			
14	2/3/1/3	0.683		
15	2/3/1/4			
16	2/3/2			
17	2/3/3			
18	2/3/4			
19	2/3/5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	4/256/1/1	0.065		
21	4/256/1/2	0.018		
22	4/256/2	0.042		
23	4/255/1	0.097		
24	4/255/2	0.032		
25	4/1/ख			
26	4/1/2/ख			
27	4/1/क/1			
28	4/1/क/2			
29	4/1/क/3			
30	4/1/ग/1	1.436		
31	4/1/ग/2			
32	4/2/1			
33	4/2/2			
34	4/2/3			
35	4/3/क			
36	4/3/ख			
37	4/4/1			
38	4/4/2			
39	4/4/क			
40	4/4/ख			
41	5/1/1/1	0.201		
42	5/1/1/2	0.084		
43	5/1/1/3	0.084		
44	5/1/2/1	0.008		
45	5/1/2/2	0.180		
46	5/1/2/3	0.180		
47	5/2/1/1			
48	5/2/1/2			
49	5/2/1/3			
50	5/2/1/4	0.550		
51	5/2/1/5			
52	5/2/1/6			
53	5/2/1/7			
54	5/2/1/8			
55	5/2/1/9			
56	5/2/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57	5/3	0.132		
58	58/1/1			
59	58/1/2/1/1			
60	58/1/2/1/2/1			
61	58/1/2/1/2/2			
62	58/1/2/1/2/3			
63	58/1/2/1/क/1			
64	58/1/2/1/क/2			
65	58/1/2/1/ख	0.481		
66	58/1/2/1/ख/3			
67	58/1/2/2/1			
68	58/1/2/2/2			
69	58/1/2/2/3			
70	58/1/3/1			
71	58/1/3/2			
72	58/1/4			
73	58/2			
74	58/3/1			
75	58/3/2			
76	58/3/3			
77	54/1/1			
78	54/1/2			
79	54/2/1/1			
80	54/2/1/2			
81	54/2/2			
82	54/2/3/1/1			
83	54/2/3/1/2			
84	54/2/3/1/3			
85	54/2/3/2			
86	54/2/4/1			
87	54/2/4/2	0.609		
88	54/2/4/3			
89	54/2/4/8			
90	54/2/5/1/1			
91	54/2/5/1/2			
92	54/2/5/2			
93	54/2/6/1			
94	54/2/6/2			
95	54/2/6/3			
96	54/2/8			
97	52/1			
98	52/2			
99	52/3/1	0.353		
100	52/3/2			
101	52/3/3			
102	52/3/4			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
103	51	0.061		
104	53/1/1			
105	53/1/2			
106	53/1/3			
107	53/1/4	0.205		
108	53/2/1			
109	53/2/2			
110	47/1/1/1			
111	47/1/1/2			
112	47/1/2	0.325		
113	47/1/3			
114	47/1/4			
115	47/2/1	0.068		
116	47/2/2	0.067		
117	47/2/3	0.067		
118	49/1	0.004		
119	49/2			
120	48/1/क			
121	48/1/ख	0.004		
122	48/1/ग			
123	48/2			
124	99/1	0.036		
125	99/2			
126	98 शा. नं. 97/4	0.245		
127	97/4 शा. नं. 98			
128	92/1			
129	92/2/1/1			
130	92/2/1/2			
131	92/2/2	0.728		
132	92/3			
133	92/4			
134	92/5			
135	92/6			
136	92/7			
137	93	0.061		
138	94	0.324		
139	95/1			
140	95/2	0.170		
141	95/3			
142	95/4			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
143	91/261/1/1	0.102		
144	91/261/1/2			
145	91/261/1/3			
146	91/261/1/4			
147	91/261/2			
148	91	0.129		
149	220/1/1			
150	220/1/2			
151	220/1/3	0.353		
152	220/1/4			
153	220/1/5			
154	220/1/6			
155	220/2			
156	221/1/1	0.082		
157	221/1/2	0.020		
158	221/1/3	0.020		
159	221/1/4	0.020		
160	221/1/5	0.020		
161	221/2/1	0.078		
162	221/2/2	0.028		
163	221/2/3	0.028		
164	221/2/4	0.028		
165	221/3	0.162		
166	221/4/1	0.062		
167	221/4/2	0.020		
168	221/4/3	0.020		
169	221/4/4	0.020		
170	221/4/5	0.020		
171	221/4/6	0.020		
172	226/1/1	0.031		
173	226/1/2	0.031		
174	226/2/1	0.062		
175	226/2/2	0.062		
176	226/3/1	0.097		
177	226/3/2	0.014		
178	226/3/3	0.014		
179	226/4/1	0.124		
180	226/4/2	0.063		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
181	219/1/1/1			
182	219/1/1/2			
183	219/1/1/3			
184	219/1/1/4			
185	219/1/2	0.150		
186	219/2/1			
187	219/2/2			
188	219/3/1			
189	219/3/2			
190	219/3/3			
191	219/3/4/1			
192	219/3/4/2			
193	218/1/1			
194	218/1/2	0.125		
195	218/2			
196	217/1/1			
197	217/1/2			
198	217/1/3	0.177		
199	217/2/1			
200	217/2/2			
201	222/1/1	0.030		
202	222/1/2	0.030		
203	222/2/1	0.030		
204	222/2/2	0.030		
205	222/3/1	0.020		
206	222/3/2	0.020		
207	222/3/3	0.020		
208	222/4	0.065		
209	223/1			
210	223/2	0.220		
211	223/3			
212	224/1/1			
213	224/1/2			
214	224/2/1			
215	224/2/2	0.022		
216	224/3/1			
217	224/3/2			
218	224/3/3			
219	224/3/4			
220	224/4			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
221	216/1		0.228	
222	216/2			
223	215/1/1/1/1			
224	215/1/1/1/2			
225	215/1/1/1/3			
226	215/1/1/1/4			
227	215/1/1/1/5			
228	215/1/1/2/1/1	0.263		
229	215/1/1/2/1/2			
230	215/1/1/2/2/1			
231	215/1/1/2/2/2			
232	215/1/1/3/1			
233	215/1/1/3/2			
234	215/1/1/4/1			
235	215/1/1/4/2			
236	215/1/1/5/1			
237	215/1/1/5/2			
238	215/1/1/मिन-1/1			
239	215/1/1/मिन-1/2			
240	215/1/1/मिन-2/1			
241	215/1/1/मिन-2/2			
242	215/1/2/1/1			
243	215/1/2/1/2			
244	215/1/2/2/1			
245	215/1/2/2/2			
246	215/1/3/1/1			
247	215/1/3/2			
248	215/1/4/1/1			
249	215/1/4/1/2			
250	215/1/4/2/1			
251	215/1/4/2/2			
252	215/1/4/3/1			
253	215/1/4/3/2			
254	215/1/5/1/1			
255	215/1/5/1/2			
256	215/1/5/2/1			
257	215/1/5/2/2			
258	215/1/5/3/1			
259	215/1/5/3/2			
260	215/1/5/4/1/1			
261	215/1/5/4/1/2			
262	215/1/5/4/2/1			
263	215/1/5/4/2/2			
264	215/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
265	214/1/1/1/1			
266	214/1/1/1/2			
267	214/1/1/2/1			
268	214/1/1/2/2			
269	214/1/1/3			
270	214/1/1/4/1	0.321		
271	214/1/1/4/2			
272	214/1/2/1			
273	214/1/2/2			
274	214/1/3/1			
275	214/1/3/2			
276	214/1/4/1			
277	214/1/4/2			
278	214/2			
279	213/1/1			
280	213/1/1/क			
281	213/1/2			
282	213/1/2/क/1			
283	213/1/2/क/2			
284	213/1/2/ख			
285	213/1/3			
286	213/1/4			
287	213/1/क/1/1/1	0.311		
288	213/1/क/1/2			
289	213/1/क/1/3/1			
290	213/1/क/1/3/2			
291	213/1/ख/1/1/1			
292	213/1/ख/1/1/2			
293	213/1/ख/1/2			
294	213/2			
295	213/3/1/1			
296	213/3/1/2			
297	213/3/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
298	206/1/1/1/1			
299	206/1/1/1/2			
300	206/1/1/2/1			
301	206/1/1/2/2			
302	206/1/2/1			
303	206/1/2/2			
304	206/2/1/1			
305	206/2/1/2			
306	206/2/2			
307	206/3/1/1			
308	206/3/1/2			
309	206/3/1/3			
310	206/3/1/4/1	0.353		
311	206/3/1/4/2			
312	206/3/2			
313	206/4/1/1			
314	206/4/1/2			
315	206/4/2/1			
316	206/4/2/2			
317	206/4/3			
318	206/5/1/1			
319	206/5/1/2			
320	206/5/1/3			
321	206/5/1/4			
322	206/5/2			
323	202/1	0.184		
324	202/2			
325	205/1/1/1			
326	205/1/1/2			
327	205/1/2/1			
328	205/1/2/2			
329	205/2/1			
330	205/2/2	0.170		
331	205/3/1			
332	205/3/2			
333	205/3/3			
334	205/3/4			
335	205/4/1			
336	205/4/2			
337	205/4/3			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
338	203	0.110		
339	204/1/1/1			
340	204/1/1/2			
341	204/1/1/3			
342	204/1/2	0.510		
343	204/2/2			
344	204/3/2			
345	204/4/2			
346	204/5/2			
347	25/1/1			
348	25/1/2	0.029		
349	25/1/3			
350	198/1/1/1/क	0.002		
351	198/1/1/1/ख/1	0.007		
352	198/1/1/1/ख/2	0.005		
353	198/1/1/1/ख/3	0.006		
354	198/1/1/2	0.016		
355	198/1/2	0.008		
356	निरंक	0.941		
	निजी भूमि का योग . .	13.914		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपर्युक्त अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 507-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करयेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुनिश्चित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—कुरसा 38, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुर्सा 14
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 4.940 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1944/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	1944/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	के निर्माण हेतु.
3	1944/3	0.351		
4	1944/4			
5	1944/5			
6	1945/1			
7	1945/2			
8	1945/3			
9	1945/4	0.208		
10	1945/5			
11	1945/6			
12	1945/7			
13	1945/8			
14	1945/9			
15	1946/1			
16	1946/1	0.484		
17	1946/2			
18	1946/3			
19	1973/1			
20	1973/2	0.003		
21	1973/3			
22	1973/4			
23	1967	0.012		
24	1940	0.029		
25	1948	0.438		
26	1949	0.064		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	1950/1			
28	1950/2			
29	1950/3			
30	1950/4/1	0.115		
31	1950/4/2			
32	1950/5			
33	1965	0.170		
34	1960	0.305		
35	2012	0.578		
36	2017	0.336		
37	2025	0.064		
38	2015	0.007		
39	2023	0.267		
40	2022/1			
41	2022/2			
42	2022/3			
43	2022/4			
44	2022/5	0.223		
45	2022/6			
46	2022/7			
47	2022/8			
48	2022/9			
49	2033/1/1			
50	2033/1/2	0.186		
51	2033/1/3			
52	2013	0.511		
53	1957	0.357		
54	1956/2259	0.009		
55	2011/2	0.003		
56	2011/1/1	0.189		
57	2011/1/2			
58	2024	0.034		
	निजी भूमि का योग . .	<u>4.940</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 509-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—पुरवा जागीर 69, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पुरवा 23
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 28.360 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	347	0.230	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	352/1	0.766	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	352/2			
4	371	0.716		
5	372	0.600		
6	375	0.790		
7	390	0.498		
8	376/1			
9	376/2	0.332		
10	376/3			
11	376/4			
12	386/1	0.320		
13	386/2	0.070		
14	386/3	0.320		
15	387	1.859		
16	384/1			
17	384/2	0.057		
18	384/3			
19	384/4			
20	406	0.041		
21	396/1	0.005		
22	396/2			
23	399/1	1.257		
24	399/2			
25	405	0.524		
26	400	0.270		
27	401	0.009		
28	404	1.480		
29		0.038		
30		0.021		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	695	1.880		
32	697	0.246		
33	696	0.051		
34	711	0.002		
35	694	0.297		
36	745	1.010		
37	712	0.065		
38	713	0.021		
39	746	2.123		
40	749/1/1			
41	749/1/2			
42	749/1/3	1.779		
43	749/2/1			
44	749/2/2			
45	749/2/3			
46	747	0.365		
47	748/1	0.210		
48	748/2	0.220		
49	748/3	0.210		
50	757	0.110		
51		0.120		
52	758	0.150		
53	756/1	0.040		
54	756/2	0.030		
55	756/3	0.040		
56	750/1/1			
57	750/1/2			
58	750/1/3			
59	750/1/4			
60	750/1/5			
61	750/2/1			
62	750/2/2			
63	750/2/3			
64	750/2/4			
65	750/2/5	0.115		
66	750/3			
67	750/4/1			
68	750/4/2			
69	750/4/3			
70	750/4/4			
71	750/5/1			
72	750/5/2			
73	750/5/3			
74	750/5/4			
75	750/5/5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76	751/1/1/1			
77	751/1/1/2			
78	751/1/2			
79	751/2/2			
80	751/2/3	0.026		
81	751/2/4			
82	751/2/5			
83	751/3			
84	751/4/1			
85	751/4/2			
86	751/5/2			
87	751/5/3			
88	755	0.230		
89	760	0.462		
90	794/1			
91	794/2			
92	794/3	0.626		
93	794/4			
94	794/5			
95	754/1/1/1			
96	754/1/1/3			
97	754/1/2			
98	754/2/1			
99	754/2/2			
100	754/3			
101	754/4/1			
102	754/4/2	1.860		
103	754/4/3			
104	754/4/4			
105	754/5/1			
106	754/5/2			
107	754/5/3			
108	754/5/4			
109	754/5/5			
110	795/1			
111	795/2	1.940		
112	795/3			
113	795/4			
114	795/5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	796	0.513		
116	9/1	0.112		
117	9/2			
118	8	0.120		
119	7	0.100		
120	6/1	0.050		
121	6/2	0.010		
122	5	0.070		
123	4	0.170		
124	3	0.410		
125	2	0.010		
126	45	0.111		
127	47	0.040		
128	46	0.103		
129	49	0.320		
130	48	0.409		
131	744	0.154		
132	348	0.145		
133	1/1/1	0.065		
134	1/2	0.100		
135	1/3	0.100		
136	1/4	0.100		
137	1/5	0.065		
138	1/6	0.065		
139	1/7	0.065		
140	44	0.010		
141	50	0.230		
142	51	0.037		
143	52	0.005		
144	53	0.045		
145	55	0.026		
146	54/1	0.019		
147	54/2			
148	9/1	0.112		
149	9/2			

निजी भूमि का योग . . 28.322

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 511-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—सहुआर 54, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—सहुआर 19
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 16.484 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	3/2		पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	3/3	0.042		
4	3/4			
5	3/5			
6	4	0.200		
7	5	0.036		
8	6/1	0.567		
9	6/2			
10	1487/22	0.109		
11	2/1			
12	2/2			
13	2/3	0.004		
14	2/4			
15	17	0.268		
16	1435/27	0.071		
17	27/1436	1.196		
18	27/1434	0.425		
19	25	0.001		
20	22/1/1/1/1			
21	22/1/1/1/2	0.720		
22	22/1/1/2			
23	22/1/2			
24	22/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	23/1			
26	23/2			
27	23/3	1.263		
28	23/4			
29	23/5/1			
30	23/5/2			
31	19	0.009		
32	35/1			
33	35/2			
34	35/3	0.623		
35	35/4			
36	35/5			
37	35/6			
38	36/1/1/1			
39	36/1/1/2			
40	36/1/2			
41	36/2			
42	36/5/1			
43	36/5/2	0.268		
44	36/6/1			
45	36/6/2			
46	36/7/1			
47	36/7/2			
48	36/8			
49	37	0.040		
50	38/1/1			
51	38/1/2/1/1/1			
52	38/1/2/1/1/2	0.710		
53	38/1/2/2			
54	38/2			
55	38/3			
56	39/1	0.225		
57	39/2			
58	40/1	0.212		
59	40/2			
60	41/1	0.238		
61	41/2			
62	42/1	0.220		
63	42/2			
64	43/1/1			
65	43/1/2/1			
66	43/1/2/2	0.174		
67	43/1/2/3			
68	43/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69	44/1	0.220		
70	44/2			
71	44/3			
72	44/4			
73	44/5			
74	45/1	0.238		
75	45/2			
76	46/1	0.346		
77	46/2			
78	1489/1/1			
79	1489/1/2			
80	1489/1/3			
81	1489/1/4			
82	1489/1/5			
83	1489/1/6			
84	1489/1/7			
85	1489/1/8/1			
86	1489/1/8/2			
87	1489/2			
88	1489/3/1			
89	1489/3/2			
90	1489/3/3			
91	1489/3/4			
92	1489/3/5			
93	1489/3/6			
94	1489/3/7			
95	1489/3/8			
96	1489/4/1			
97	1489/4/2			
98	1489/4/3	0.040		
99	1489/4/4			
100	1489/4/5			
101	1489/4/6			
102	1489/4/7			
103	1489/4/8/1			
104	1489/4/8/2			
105	1489/4/8/3			
106	1489/4/8/4			
107	1489/4/8/5			
108	1489/5/1			
109	1489/5/2			
110	1489/5/3			
111	1489/5/4/1			
112	1489/5/4/2			
113	1489/5/5			
114	1489/5/6			
115	1489/5/7			
116	1489/5/8			
117	1489/6			
118	1489/33/6			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
119	52/1/1			
120	52/1/2/1/1			
121	52/1/2/1/2			
122	52/1/2/2			
123	52/1/3/1			
124	52/1/3/2			
125	52/1/3/3			
126	52/1/3/4			
127	52/1/3/5			
128	52/1/3/6			
129	52/1/4/1			
130	52/1/4/2			
131	52/1/4/3			
132	52/1/4/4			
133	52/1/5/1			
134	52/1/5/2			
135	52/1/5/3			
136	52/1/5/4			
137	52/1/5/5			
138	52/1/5/6			
139	52/1/5/7			
140	52/1/5/8			
141	52/1/5/9	1.809		
142	52/1/6/1/1			
143	52/1/6/1/2			
144	52/1/6/1/3			
145	52/1/6/1/4			
146	52/1/6/2/1			
147	52/1/6/2/2			
148	52/1/6/2/3			
149	52/1/6/2/4			
150	52/1/6/3/1			
151	52/1/6/3/2			
152	52/1/6/3/3			
153	52/1/6/3/4			
154	52/1/6/4/1			
155	52/1/6/4/2			
156	52/1/6/4/3			
157	52/1/6/4/4			
158	52/1/7/1			
159	52/1/7/2			
160	52/1/7/3			
161	52/1/8/1			
162	52/1/8/2/1			
163	52/1/8/2/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
164	52/1/9/1			
165	52/1/9/2			
166	52/1/9/3			
167	52/1/9/4			
168	52/1/9/5			
169	52/1/9/6			
170	52/2			
171	49/1/1			
172	49/1/2			
173	49/1/3			
174	49/1/4			
175	49/1/5			
176	49/1/6	0.802		
177	49/1/7			
178	49/2/1			
179	49/2/2/1			
180	49/2/2/2			
181	49/2/3/1			
182	49/2/3/2			
183	49/3/1			
184	49/3/2			
185	49/4/1			
186	49/4/2			
187	51/1	0.216		
188	51/2			
189	50/1/1			
190	50/1/2			
191	50/2/1/1			
192	50/2/1/2			
193	50/2/2			
194	50/3/1			
195	50/3/2			
196	50/3/3			
197	50/3/4	0.308		
198	50/3/5			
199	50/3/6			
200	50/4/1			
201	50/4/2			
202	50/4/3			
203	50/4/4			
204	50/5/1			
205	50/5/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
206	50/5/3			
207	50/5/4			
208	50/5/5			
209	50/5/6			
210	50/5/7			
211	50/5/8			
212	50/5/9			
213	50/6/1/1			
214	50/6/1/2			
215	50/6/1/3			
216	50/6/1/4			
217	50/6/2/1			
218	50/6/2/2			
219	50/6/2/3			
220	50/6/2/4			
221	50/6/3/1			
222	50/6/3/2			
223	50/6/3/3			
224	50/6/3/4			
225	50/6/4/1			
226	50/6/4/2			
227	50/6/4/3			
228	50/6/4/4			
229	50/7/1			
230	50/7/2			
231	1499/53	0.007		
232	70	0.002		
233	61	0.152		
234	60	0.125		
235	59/1	0.041		
236	59/2	0.041		
237	59/3	0.041		
238	59/4	0.120		
239	58	0.486		
240	57	0.190		
241	62	0.108		
242	63	0.008		
243	507/1/1			
244	507/1/2	2.625		
245	507/1/3			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
246	507/1/4			
247	507/2			
248	507/3			
249	507/4/1			
250	507/4/2/1			
251	507/4/2/2			
252	507/4/3			
253	507/5			
254	507/6/1			
255	507/6/2			
256	507/7			
257	507/8			
258	507/9			
259	507/10			
260	507/11			
261	507/12			
262	507/13			
263	507/14			
264	507/15			
265	507/16			
266	507/17			
267	507/18/1/1			
268	507/18/1/2			
269	507/18/2			
270	507/19/1			
271	507/19/2			
272	507/20/1/1/1/1			
273	507/20/1/1/1/2			
274	507/20/1/1/2			
275	507/20/1/2/1			
276	507/20/1/2/2			
277	507/20/1/2/3			
278	507/20/1/2/4			
279	507/20/1/2/5			
280	507/20/1/3/1			
281	507/20/1/3/2			
282	507/20/1/4/1			
283	507/20/1/4/2			
284	507/20/1/4/3			
285	507/20/2			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
286	507/20/3/1			
287	507/20/3/2			
288	507/21			
289	507/22/1			
290	507/22/2			
291	507/23/1			
292	507/23/2			
293	507/24			
294	507/25			
295	1525/1/1			
296	1525/1/2	0.016		
297	1525/2			
298	1525/3			
299	511/1			
300	511/2			
301	511/3/1			
302	511/3/2			
303	511/3/3			
304	511/3/4			
305	511/4			
306	511/5	0.012		
307	511/6			
308	511/7/1			
309	511/7/2			
310	511/7/3			
311	511/7/4			
312	511/8/1			
313	511/8/2			
314	511/8/3			
315	511/9			
316	511/10			
317	7/1	0.187		
318	7/2			
319	1488/22	0.010		
320	31/1			
321	31/2	0.713		
322	31/3			
323	31/4			
निजी भूमि का योग . .		16.484		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 513-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—सिलफ, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—00030 आमे
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 21.241 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	121	0.863	उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	118	0.040	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	92	0.100		
4	123	0.316		
5	122	0.060		
6	115	0.530		
7	114	0.010		
8	112	0.020		
9	111	0.320		
10	110	0.918		
11	139	1.274		
12	143	0.250		
13	140	0.040		
14	141	0.600		
15	229/1			
16	229/2	0.410		
17	229/3			
18	230/854	0.424		
19	निरंक	0.191		
20	246	0.593		
21	250	0.320		
22	251	0.170		
23	252	0.010		
24	244	0.540		
25	निरंक	0.008		
26	333	0.200		
27	332	0.380		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	334/1			
29	334/2	0.292		
30	334/3			
31	334/4			
32	निरंक	0.862		
33	331	0.642		
34	330/1			
35	330/2	0.858		
36	330/3			
37	330/4			
38	323	0.430		
39	317	0.412		
40	322	0.180		
41	318	0.574		
42	303/1		0.932	
43	303/2			
44	निरंक	0.081		
45	301/1			
46	301/2/1			
47	301/2/2			
48	301/2/3	0.122		
49	301/2/4			
50	301/2/5			
51	301/2/6			
52	301/2/7			
53	301/2/8			
54	320	0.830		
55	256/1	0.043		
56	256/2			
57	निरंक	0.158		
58	255/1		0.272	
59	255/2			
60	226/1		0.707	
61	226/2			
62	116	0.552		
63	284/1			
64	284/2	0.050		
65	284/3			
66	319/1	1.176		
67	319/2	0.400		
68	230/854	0.530		
69	228	0.338		
70	227	0.030		
71	232	0.545		
72	247	0.145		
73	निरंक	0.072		
74	निरंक	0.172		
75	निरंक	0.036		
76	निरंक	0.818		
77	निरंक	0.395		
	निजी भूमि का योग . . .	21.241		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 515-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगमी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाधार के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—देवसर
- (ग) ग्राम—वरिगांव 70, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—पुरवा 23
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 15.215 हेक्टेयर।

क्र.	खसरा न.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6/1		उपमुख्य अभियंता (निर्माण)	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
2	6/2	0.250	पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।	के निर्माण हेतु।
3	6/3			
4	5	0.030		
5	85	0.009		
6	84/1	0.113		
7	84/2			
8	87	0.088		
9	88	0.097		
10	91	0.165		
11	93/1	0.008		
12	93/2			
13	94	0.011		
14	299	0.060		
15	97	0.002		
16	105/1	0.109		
17	105/2			
18	106/1	0.121		
19	106/2			
20	107	0.286		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	109	0.120		
22	109/1	0.120		
23	109/2	0.110		
24	110			
25	110/1			
26	110/2	0.013		
27	110/3			
28	112/1		0.118	
29	112/2			
30	111/1			
31	111/2		0.023	
32	111/3			
33	121/1		0.158	
34	121/2			
35	120/1		0.067	
36	120/2			
37	117	0.010		
38	118/1		0.170	
39	118/2			
40	119/1		0.204	
41	119/2			
42	150	0.180		
43	149	0.090		
44	148	0.090		
45	142/1/2	0.080		
46	142/1/3	0.242		
47	142/1/4	0.004		
48	142/1/5	0.004		
49	142/2	0.080		
50	141/1		0.143	
51	141/2			
52	158	0.012		
53	153	0.014		
54	152/1			
55	152/2		0.016	
56	152/3			
57	151/1			
58	151/2		0.025	
59	151/3			
60	151/4			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61	160	0.555		
62	147	0.180		
63	146	0.130		
64	145	0.080		
65	143	0.330		
66	140	0.370		
67	137	0.284		
68	134	0.056		
69	133	0.025		
70	162	0.162		
71	199	0.010		
72	212	0.968		
73	285	0.002		
74	292/1	0.910		
75	292/2	0.550		
76	288	0.001		
77	290	0.031		
78	291	0.290		
79	279	0.630		
80	294	1.310		
81	278	0.492		
82	296	2.804		
83	92	0.120		
84	298/1			
85	298/2	0.178		
86	298/3			
87	298/4			
88	104/1	0.065		
89	104/2	0.065		
90	198	0.065		
91	297	1.110		
निजी भूमि का योग . .		15.215		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

प्र. क्र.-02-अ-82-2016-17-15895.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	सोनासावरी	16.538	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी।	पवारखेड़ा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—पवारखेड़ा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-04-अ-82-2016-17-15897.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	धौखेड़ा	3.595	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी।	पवारखेड़ा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—पवारखेड़ा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-05-अ-82-2016-17-15899.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	जुझारपुर	8.191	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी।	पवारखेड़ा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—पवारखेड़ा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-01-अ-82-2016-17-15901.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी	16.699	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी।	पवारखेड़ा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—पवारखेड़ा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-06-अ-82-2016-17-15903.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	पथरौदा	8.890	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी।	पवारखेड़ा से जु़झारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—पवारखेड़ा से जु़झारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-03-अ-82-2016-17-15905.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	रैसलपुर	7.296	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी।	पवारखेड़ा से जु़झारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—पवारखेड़ा से जु़झारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-07-अ-82-2016-17-15907.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) होशंगाबाद	(2) इटारसी	(3) देहरी	(4) 3.644	(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी। (6) पवारखेड़ा से जु़झारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—पवारखेड़ा से जु़झारपुर अप दिशा में एकल लाईन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना में निजी भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील—सांवेर, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 4243-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक-29-अ-82-2016-17

सांवेर, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

प्ररूप—“घ” { नियम—6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 1555/भू-अर्जन/2017, सांवेर, दिनांक 09/05/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भल्ला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जैन तक नर्मदा-मालवा-गंगारी लिंक परियोजना की दोंयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19/05/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

॥ अनुसूची ॥

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	सिन्नौद, प.ह.न.- 18	2/1	0.064
			2/2	0.070
			2/3	0.045
			2/4	0.036
			2/5	0.010
कुल योग			05	0.225

क्र.-4246-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक-30-अ-82-2016-17

सांवर, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

प्ररूप—“घ” { नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक— 1555/भू-अर्जन/2017, सांवर, दिनांक 09/05/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घटिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दोंयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19/05/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

॥ अनुसूची ॥

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5		
इन्दौर	सांवर	मगरखेड़ी, प.ह.न. — 04	118/2	0.032		
			187	0.237		
			188	0.002		
			226	0.199		
			227/1	0.164		
इन्दौर	सांवर	मगरखेड़ी, प.ह.न. — 04	227/2	0.052		
			234/2	0.083		
			234/3	0.002		
			238	0.037		
			239/1	0.094		
			240/1/2/1/0001	0.021		
			240/2/1	0.043		
			240/1/2/2	0.082		
			240/3/1/2			
			240/4	0.068		
कुल योग			241/1	0.003		
			16	1.119		

क्र.-4249-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक-31-अ-82-2016-17

सांवर, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

प्ररूप— “घ” { नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक—1540/भू-अर्जन/2017, सांवर, दिनांक 09/05/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने

ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घटिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—गालवा—गंगीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19/05/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिपोरी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	चित्तौड़, प.ह.न.— 04	1/1	0.008
			1/2	0.008
			1/3	0.008
			1/4	0.008
			7/1	0.004
इन्दौर	सांवेर	चित्तौड़, प.ह.न.— 04	40/4	0.154
			46/1/2	0.248
			46/2	0.132
			46/3	0.008
			48/1	0.058
			48/2	0.128
			51	0.211
			61/1 पड़बा II	0.180
			67/2	0.024
			67/1/2	0.008
			68	0.136

			72 क्षे	0.164
			69	0.109
			75/1	0.053
			77	0.047
			75/2	0.029
			76	0.112
			78/1/2	0.006
			78/2/1	0.148
			78/2/2	0.096
			220/4/2	0.131
			222/1	0.109
			222/2	0.088
			222/3	0.092
			कुल योग	29
				2.507

क्र.-4255-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक-32-अ-82-2016-17

सांवर, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

प्ररूप—“घ”
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 1555/भू-अर्जन/2017, सांवर, दिनांक 09/05/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम— बोरखेड़ा भल्ला, तहसील— घटिया, जिला— उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिधाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19/05/2017 को प्रकाशित की गई तथा क्लेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (डिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	बालरिया, प.ह.न. — 05	82/1	0.047
			83/1	0.048
			84/2	0.044
			85	0.040
			86	0.054
इन्दौर	सांवर	बालरिया, प.ह.न. — 05	91	0.081
			92	0.037
			93/2	0.095
			93/1	0.118
			96	0.002
			95	0.056
			101	0.199
			108	0.001
			110	0.054
			112	0.155
			115/2	0.003
			155/1/1	0.040
			156/4	0.027
			155/1/2	0.010
			155/3	0.317
155/4				
156/3				
156/1	0.119			
कुल योग		23	1.547	

क्र.-4255-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक-41-अ-82-2016-17

सांवर, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

प्ररूप—“घ”
[नियम—6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक— 2282/भू—अर्जन/2017, सांवर, दिनांक 28/06/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम— बड़ीकलभेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेडा भल्ला, तहसील—घट्टिया, जिला—उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दोयी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलान अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21/07/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पचायत एवं सुंबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चाप्सा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	कछालिया, प.ह.न. — 24	580	0.521
			583/1	0.116
			576	0.142
			575/2/2	0.045
			575/1	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेहर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	कछालिया, प.ह.न. - 24	567/2	0.067
			568/2	
			567/1	0.066
			568/1	
			554	0.040
			555	0.001
			553/2	0.041
			556/2	0.042
			556/1	0.054
			548	0.034
			547	0.030
			546	0.062
			545	0.107
			542/3	0.034
			542/2	0.034
			542/1	0.038
			541	0.031
			540	0.041
			447	0.116
			446	0.184
			445	0.065
			442	0.002
			443	0.051
			444/1	0.054
444/2	0.040			
328/2	0.037			
324	0.001			
325	0.093			
323/2	0.024			
323/1	0.030			
322	0.042			
321	0.110			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेगर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	कछालिया, प.ह.न. - 24	279	0.067
			278	0.105
			272	0.130
			271	0.030
कुल योग			41	2.738

क्र.-4258-भू-अर्जन-2017-राजस्व प्रकरण क्रमांक-42-अ-82-2016-17

सांवर, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

प्ररूप—“घ”
{ नियम—6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक—5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक—2287/भू-अर्जन/2017, सांवर, दिनांक 28/06/2017 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम—बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर से ग्राम—बोरखेड़ा भल्ला, तहसील—घटिया, जिला—उज्जैन तक नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना की दोंषी तट पाईप नहर में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21/07/2017 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विलंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिकटेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवर	बलधारा, प.ह.न. — 19	248	0.034
			247	0.150
			254	0.049
			255	0.078
			243/4	0.026
इन्दौर	सांवर	बलधारा, प.ह.न. — 19	243/3	0.081
			242/3	0.060
			242/4	0.067
			240/1	0.141
			241	0.042
			236/2	0.042
			238/2	0.091
			260/419/1	0.094
			212/3	0.051
			212/2	0.067
			212/1	0.054
			272/2/2	0.106
			272/2/1	0.043
			273	0.025
			209/1	0.052
			207/3	0.059
			207/4	0.017
			207/2/1	0.035
			207/2/2	0.042
			156/7	0.036
			156/6	0.077
			156/3	0.037

				155/2	0.061
				75	0.123
				76/3	0.101
				71/1	0.122
				72/1	0.091
				72/2	0.017
				59/1	0.048
				167/2	0.021
				58	0.033
				168/1/1	0.130
इन्दौर	सांवर	बलधारा, प.ह.न. - 19		169	0.066
				171	0.023
				172/2	0.090
				172/1	0.102
				192	0.001
				178/1	0.012
				191	0.067
				183/1/1	0.079
				184/1/1	
				186/1	0.072
				186/3	0.072
				183/1/2	0.058
				184/1/2	
				183/2	
				184/2	0.036
				186/2	0.060
			कुल योग	53	3.141

रवीश श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवर, जिला-इन्दौर (म.प्र.).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 13 नवम्बर 2017

क्र. 7991-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—बरघाट
- (ग) नगर/ग्राम—जावरकाठी
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—1.070 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
703/2	0.40
704	2.070
706/2	0.120
706/3	0.090
708/2	0.100
709/2	0.340
योग . .	1.070

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मवेशी बाजार हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व, तहसील-बरघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, नगर परिषद् बरघाट, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चन्द्र डाढ़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्र. 165-भू-अर्जन प्र. क्र.-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कॉलम (3) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—जबलपुर
- (ग) ग्राम—मादोताल (प.ह.नं. 25/31/1)
- (घ) गा.नि. मण्डल—जबलपुर-1
- (ड) अर्जनाधीन क्षेत्रफल—0.042 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली अन्य सम्पत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
175/1 में से	0.042
कुल रकबा . .	0.042

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जबलपुर विकास प्राधिकरण में ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं उक्त ब्रिज निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाधान स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के जानकारी बेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की बेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है।
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहलपुर के कार्यालय में एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	178	0.067
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	180	0.073
	181	0.081
	182	0.088
	209	0.005
	208	0.064
	207	0.010
	204	0.044
	221	0.014
	239	0.009
	237	0.111
	356	0.071
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .		0.849
अ+ब का योग . .		1.567

पत्र क्र. 1871-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—मढ़ा
- (घ) क्षेत्रफल —1.567 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
355	0.006
354/2	0.107
354/3	0.054
327	0.086
330	0.012
328	0.010
329	0.121
316	0.008
317	0.071
305	0.010
309	0.001
306	0.232
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1873-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—पगरा
- (घ) क्षेत्रफल —3.104 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ—निजी पट्टे की भूमि

308	0.011	747	0.011
145	0.005	746	0.089
381	0.115	735	0.006
173	0.009	736	0.089
177	0.072		

(1)	(2)	(1)	(2)
737	0.016	495	0.121
728	0.006	497	0.009
729	0.045	515	0.083
727	0.008	514	0.028
726	0.065	516	0.017
721	0.009	517	0.004
723	0.001	521	0.020
714	0.116	667	0.009
640	0.022	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . .	<u>2.432</u>
639	0.010		
641	0.078		ब. म. प्र. शासन की भूमि
644	0.008	1155	0.007
642	0.092	1156	0.013
643	0.021	1157	0.058
681	0.005	1166	0.094
698	0.051	1165	0.032
697	0.008	805	0.096
685	0.190	806	0.070
684	0.010	807	0.001
438	0.102	461	0.009
440	0.009	520	0.085
472	0.340	519	0.014
474	0.008	531	0.135
471	0.106	542	0.027
467	0.086	543	0.025
466	0.005	544	0.006
455	0.028	म. प्र. शासन की भूमि का योग . . .	<u>0.672</u>
459	0.024	अ + ब का योग . . .	<u>3.104</u>
462	0.005		
456	0.110	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 24” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
454	0.123		
458	0.114	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	
460	0.002		
490	0.018		
489	0.019	पत्र क्र. 1875-प्रका. भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वर्चवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार	
491	0.008		
488	0.004		
492	0.002		
494	0.072		

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	(2)	(3)	
(क) जिला—सतना	1105	0.029	
(ख) तहसील—अमरपाटन	1097	0.001	
(ग) ग्राम—झिन्ना	1108	0.049	
(घ) क्षेत्रफल —9.330 हेक्टेयर.	1109	0.036	
खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)		
(1)	(2)		
अ—निजी पट्टे की भूमि			
1830	0.007	1754	0.033
1791	0.072	1758	0.126
1790	0.001	1761	0.015
1789	0.173	1762	0.186
1778	0.265	1765	0.157
1738	0.055	738	0.035
1735	0.070	737	0.110
1736	0.084	736	0.007
1734	0.073	734	0.070
1190	0.020	732	0.003
1191	0.040	733	0.109
1195	0.086	730	0.007
1194	0.043	749	0.143
1722	0.021	750	0.002
1733	0.033	751	0.106
1092	0.014	752	0.016
1093	0.016	721	0.051
1094	0.033	714	0.066
1053	0.028	713	0.080
1059	0.076	703	0.093
1058	0.003	711	0.001
1060	0.076	702	0.011
1057	0.017	704	0.126
1056	0.125	706	0.080
1100	0.003	913	0.001
1101	0.021	1167	0.270
1102	0.042	1168	0.096
1104	0.080	1169	0.142

(1)	(2)	(1)	(2)
1163	0.117	502	0.025
1159	0.022	503	0.106
1162	0.010	504	0.067
939	0.045	505	0.142
940	0.072	155	0.145
954	0.053	154	0.036
955	0.075	433	0.047
958	0.140	430	0.024
959	0.128	429	0.032
960	0.008	245	0.070
961	0.093	248	0.014
911	0.097	243	0.065
430	0.002	251	0.413
421	0.063	227	0.098
423	0.100	225	0.004
445	0.001	224	0.004
444	0.026	221	0.040
440	0.033	222	0.083
441	0.048	215	0.171
434	0.052	216	0.008
438	0.093	210	0.113
439	0.045	209	0.047
241	0.005	198	0.024
237	0.011	104	0.027
236	0.070	103	0.011
235	0.058	102	0.065
454	0.086	100	0.001
460	0.084	87	0.048
459	0.031	93	0.039
467	0.115	94	0.055
477	0.001	95	0.047
476	0.023	25	0.004
475	0.045	19	0.001
474	0.093	20	0.057
468	0.001	21	0.054
472	0.093	10	0.047
473	0.021	130	0.026
471	0.063	131	0.098
470	0.120		
161	0.010		

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

9.134

ब. म. प्र. शासन की भूमि	(1)	(2)
22	0.057	89
197	0.108	130
223	0.002	106
455	0.029	128
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.196</u>	127
अ +ब का योग . .	<u>9.330</u>	125

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1877-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—रीवा	293	0.030	
(ख) तहसील—सिरमौर	294	0.101	
(ग) ग्राम—अकौरी नं. 1-1	299	0.003	
(घ) क्षेत्रफल —1.996 हेक्टेयर.	300	0.057	
खसगा नं.	अर्जित रकमा	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	
	(हे. में)	<u>1.986</u>	
(1)	(2)		
अ—निजी पट्टे की भूमि		ब—म. प्र. शासन की भूमि	
2	0.027	1	0.010
4	0.050	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.010</u>
6	0.001	अ +ब का योग . .	<u>1.996</u>
26	0.105		
24	0.074		
33	0.102		
48	0.068		
55	0.060		
57	0.089		
88	0.044		

म. प्र. शासन की भूमि

1

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .

0.010

अ +ब का योग . .

1.996

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12” एवं सब-माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1879-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—कपुरी 68
- (घ) क्षेत्रफल —0.867 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

78	0.099
79	0.041
88	0.004
81	0.048
82	0.067
83	0.062
74	0.044
59	0.003
58	0.106
60	0.008
33	0.032
32	0.134
30	0.006
35	0.091
36	0.018
39	0.082
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	0.845
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
38	0.022
म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.022
अ +ब का योग	0.867

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1881-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—खोखम 142
- (घ) क्षेत्रफल —0.963 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

35	0.066
34	0.107
32	0.169
33	0.001
31	0.036
30	0.086
29	0.016
28	0.138
5	0.066
14	0.078
13	0.005
11	0.169
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	0.937

ब. म. प्र. शासन की भूमि

27	0.026
म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.026
अ +ब का योग	0.963

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 1883-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगावं
- (ग) ग्राम—अतरैला-17
- (घ) क्षेत्रफल —0.102 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

अ—निजी पट्टे की भूमि

248	0.008
160	0.018
168	0.004
10	0.072

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.102

ब. म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.000
अ +ब का योग	0.102

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” के ब्रान्च माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1885-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगावं
- (ग) ग्राम—बेलई टोला
- (घ) क्षेत्रफल —1.594 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

13	0.162
12	0.180
17	0.359
19	0.027
20	0.089
36	0.129
35	0.120
32	0.185
29	0.079
31	0.136
21	0.115

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.581

ब. म. प्र. शासन की भूमि

142 0.013

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.013

अ +ब का योग 1.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1887-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगंवा
- (ग) ग्राम—कटहा-47
- (घ) क्षेत्रफल — 3.446 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकम
(हे. में)

(1)

(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

1	0.154
3	0.126
4	0.027
20	0.319
25	0.159
39	0.084
29	0.053
34	0.098
30	0.104
85	0.033
86	0.054
102	0.080
100	0.086
116	0.210
117	0.007
118	0.037
147	0.248
171	0.020
170	0.102
169	0.032
168	0.016
167	0.018
154	0.050
162	0.062
157	0.033
150	0.010
241	0.023
242	0.054

(1)	(2)
240	0.205
234	0.084
275	0.035
273	0.080
220	0.439
221	0.024
32	0.118
155	0.004
158	0.015
259	0.033
152	0.001
236	0.072

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3.409

ब. म. प्र. शासन की भूमि

115	0.009
148	0.018
226	0.010
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.037
अ + ब का योग	3.446

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1889-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—पैपर्खरा	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल —2.424 हेक्टेयर.	264	0.009
खसरा नं.	अर्जित रकबा	255
	(हे. में)	259
(1)	(2)	250
	अ—निजी पट्टे की भूमि	258
		249
46	0.100	432
45	0.058	3
43	0.097	4
42	0.036	5
40	0.031	10
105	0.008	12
106	0.019	14
110	0.101	2
112	0.058	23
119	0.125	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.215
120	0.060	
118	0.002	ब. म. प्र. शासन की भूमि
179	0.047	104 0.019
180	0.005	157 0.049
182	0.029	257 0.006
184	0.022	156 0.135
185	0.005	ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.209
187	0.002	अ + ब का योग . . . 2.424
186	0.011	
194	0.010	
193	0.025	
192	0.150	
197	0.003	
302	0.133	
301	0.008	
212	0.001	
297	0.035	
296	0.056	
295	0.020	
294	0.015	
293	0.015	
292	0.016	
291	0.053	
275	0.015	
282	0.018	
276	0.012	
277	0.021	
281	0.044	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 25” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1891-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—पड़िया	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—1.803 हेक्टेयर.	100	0.073
खसरा नं.	अर्जित रकबा	101
	(हे. में)	102
(1)	(2)	0.022
अ—निजी पट्टे की भूमि	138	0.049
471/7	0.036	140
471/5	0.008	141
471/4	0.020	142
471/3	0.056	135
471/2	0.024	134
366	0.045	128
365	0.049	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.772
346	0.003	ब. म. प्र. शासन की भूमि
347	0.051	367
350	0.096	83
352	0.010	103
351	0.009	145
335/2/1	0.047	ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.031
335/2/2	0.063	अ + ब का योग . . . 1.803
335/2/3	0.081	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,
335/3/1	0.025	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।
334/1	0.017	
286	0.044	
285	0.005	पत्र क्र. 1893-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—
283	0.081	
282	0.072	
279	0.054	
278	0.036	
277	0.036	
276	0.024	
275	0.018	
274	0.001	
82	0.128	
75	0.002	
76	0.004	
80	0.004	
77	0.080	
78	0.049	
63	0.011	
97	0.130	
95	0.002	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—झिरिया कोपरिहान	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			
(घ) क्षेत्रफल—0.805 हेक्टेयर.				
खसरा नं.	अर्जित रकबा	(1)	(2)	
	(हे. में)			
अ—निजी पट्टे की भूमि	0.000	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
ब. म. प्र. शासन की भूमि				
636	0.001	पत्र क्र. 1895-प्रका.—भू-अर्जन—2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:		
634	0.033			
635	0.037			
628	0.021			
657	0.040			
658	0.031			
659	0.004			
694	0.036			
693	0.030			
691	0.054			
690	0.001			
543	0.056			
543/1097	0.002	खसरा नं.	अर्जित रकबा	
684	0.003		(हे. में)	
544	0.040	(1)	(2)	
547	0.040	अ—निजी पट्टे की भूमि		
548	0.022	415	0.004	
551	0.016	411	0.035	
552	0.020	412	0.029	
554	0.016	413	0.070	
555	0.020	405	0.035	
366	0.038	406	0.077	
365	0.006	408	0.005	
364	0.072	403	0.109	
363	0.004	382	0.004	
29	0.058	366	0.001	
26	0.065	367	0.142	
18	0.033	368	0.005	
15	0.006	379	0.005	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .	0.805	380	0.002	
अ + ब का योग .	0.805	375	0.126	
		376	0.053	

(1)	(2)	(ग) ग्राम—टेढ़वा (घ) क्षेत्रफल—0.570 हेक्टेयर.
229	0.075	खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में)
233	0.008	
232	0.101	
208	0.126	(1) (2) अ—निजी पट्टे की भूमि
207	0.005	
206	0.079	195 0.080
205	0.007	194 0.008
204	0.097	193 0.014
185	0.006	192 0.006
186	0.080	197 0.061
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.286</u>	199 0.071
		ब. म. प्र. शासन की भूमि
184	0.104	200 0.005
183	0.011	204 0.010
180	0.029	203 0.007
179	0.033	202 0.047
177	0.001	208 0.004
177/430	0.005	209 0.103
176	0.035	213 0.060
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.218</u>	224 0.009
अ +ब का योग . .	<u>1.504</u>	219 0.009
		214 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1897-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.553</u>
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
198	0.007
201	0.010

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.017</u>
अ +ब का योग . .	<u>0.570</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1899-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—सनेही बोधाली
- (घ) क्षेत्रफल—1.396 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

3	0.059
15	0.057
16	0.003
17	0.026
18	0.027
19	0.050
33	0.127
32	0.006
27	0.016
24	0.102
25	0.075
26	0.014
152	0.048
151	0.013
158	0.139
137	0.005
160	0.140
161	0.005
162	0.028
163	0.031
203	0.024
197	0.002

(1)	(2)
198	0.010
200	0.003
201	0.046
212	0.002
214	0.008
215	0.033
216	0.054
217	0.086
222	0.002
221	0.059
220	0.012
219	0.068
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.380

ब. म. प्र. शासन की भूमि
153 0.009
202 0.007
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.016
अ +ब का योग . . 1.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 21” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1901-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—डिटौरा		(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—4.447 हेक्टेयर.		602	0.213
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	211	0.016
(1)	(2)	205	0.296
अ—निजी पट्टे की भूमि		201	0.076
845	0.030	214	0.113
844	0.090	209	0.080
843	0.010	206	0.133
839	0.005	200	0.109
842	0.109	199	0.096
848	0.030	167	0.007
826	0.009	611	0.029
825	0.067	614	0.020
824	0.051	612	0.002
821	0.043	613	0.093
820	0.008	617	0.032
819	0.197	626	0.006
812	0.008	625	0.014
813	0.105	624	0.033
727	0.077	618	0.003
726	0.098	623	0.024
488	0.130	622	0.007
490	0.087	632	0.015
491	0.007	213	0.026
697	0.181	212	0.022
696	0.060	218	0.170
695	0.038	219	0.043
705	0.144	220	0.079
706	0.005	278/907	0.053
693	0.044	318	0.295
689	0.077	323	0.019
687	0.032	324	0.118
684	0.098	325	0.027
683	0.006	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.438
594	0.096	ब. म. प्र. शासन की भूमि	
595	0.007	729	0.009
596	0.061	म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.009
591	0.078	अ + ब का योग . .	4.447
590	0.010		
599	0.001		
600	0.058		
601	0.012		
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर ऋ. 21” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	

पत्र क्र. 1903-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया
जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन
हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—अमरपाटन
- (ग) ग्राम—गुजरा
- (घ) क्षेत्रफल—2.604 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा	156	0.063
	(हे. में)	10/209	0.076

(1)	(2)		
अ—निजी पट्टे की भूमि		14	0.172

131	0.052	13	0.011
129	0.022	1	0.019
128	0.007		
127	0.066		

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.500

ब. म. प्र. शासन की भूमि

126	0.072	118	0.020
125	0.029	160	0.008
136	0.011	150	0.013
137	0.092	151	0.012
88	0.074	165	0.032
86	0.076	166	0.001
87	0.024	164	0.005
46	0.068	152	0.013
80	0.012		
47	0.089		
42	0.003		
49	0.002		
48	0.025		
50	0.076		
51	0.015		
53	0.041		
56	0.0045		
58	0.032		
60	0.002		
57	0.0102		
39	0.052		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती
नहर के अन्तर्गत बेला वितरक के माइनर क्र. 22” में
आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति
के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं
पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया
जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.